Thursday, 23 November, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

4th Lok Sabha

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8, गुरुवार, 23 नवम्बर, 1967/2 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 8, Thursday, November 23, 1967/Agrahayana 2, 1889 (Saka)

		पृष्ठ/PAGES
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	1015
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary Reference	1015—1018
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	
210. क—स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया, संसद् सदस्य का उपचार	Medical treatment of the late Dr. Ram Manohar Lohia, M. P.	1018—1028
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या	Short Notice Question No.	
3. पश्चिम पाकिस्तान को नदियों के पानी की सप्लाई	Supply of River Water to West Pakistan	1028—1034
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या		
S. Q. No.		
211. भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की नोटिस	Strike Notice by Employees of Indian Oil Corporation	1034—1035
212. भारतीय लोगों द्वारा विदेशों में होटल खोले जाना	Opening of Hotels abroad by Indians	1035
213. राष्ट्रीय आय	National Income	1035—1036

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
214.	सेवा-निवृत्त भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक	Retired Comptroller and Auditor General of India	1036
215.	वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के दौरान उनके पुत्र का उनके साथ जाना	Finance Minister's son accompanying him during his tour abroad	1037
216.	नेफ्था का अभाव	Shortage of Naphtha	1037
217.	हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन	Haldia-Barauni Pipe Line	1038
218.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा	Job security for L. I. C. Employees	1038
219.	लक्ष्मी कमर्शल बैंक	Laxmi Commercial Bank	1038—1039
220.	नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल का कार्य-संचालन	Working of Willington Hospital, New Delhi	1039
221.	आय, मजूरी और मूल्यों के संबंध में भारत के रिजर्व बैंक के कर्णधार दल का प्रतिवेदन	Reserve Bank Steering Group's Report on Income wages and Prices	1039
222.	दिल्ली में मेडिकल कालेजों में दाखिला	Admission to Medical Colleges in Delhi	1039—1040
223.	राज्यों द्वारा भारत के रक्षित बैंक से अधिक धन निकाला जाना (ओवरड्राफ्ट)	Overdrafts by States on R. B. I.	1040
224.	नीमच अफीम कारखाने से अफीम की चोरी	Theft of opium from Neemuch Opium Factory	1040—1041
225.	श्री बीजू पटनायक की फर्मों से आयकर की बकाया राशि	Income tax due from Shri Biju Patnaik's Firms	1041
226.	विदेशी तेल कम्पनियों की तेल साफ करने की क्षमता	Refining Capacity of Foreign Oil Companies	1041—1042
227.	इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिये ड्रम	Barrels for Indian Oil Corporation	1042—1043
228.	बम्बई के एक करोड़पति के विरुद्ध कार्यवाही	Proceedings Against Multimillionaire of Bombay	1043

तारां० प्रं० संख्या

S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
229. पारादीप बन्दरगाह	Paradeep Port	1043—1044
230. सरकारी उपक्रमों द्वारा मंदी का सामना किया जाना	Fighting of Recession by Public Undertakings	1044—1045
231. औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation	1045
232. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दल का भारत का दौरा	International Monetary Fund Team's visit to India	1045—1046
233. सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो	Bureau of Public Enterprises	1046
234. नेफ्था और मोटर स्प्रिट का निर्यात	Export of Naphtha and Motor Spirit	1046
235. स्टाक एक्सचेंज	Stock Exchanges	1047
236. बरौनी में ड्रम कारखाना	Drum plant at Barauni	1047
237. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	Hindustan Housing Factory	1048
238. कृषि पुनर्वित्त निगम	Agricultural Refinance Corporation	1048
239. भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के मकानों के लिये भूमि का दिया जाना	House Sites for Landless Agricultural Workers	1048—1049
240. राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	1049—1050

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. Q. Nos.

1432. आँध्र प्रदेश में समाज कल्याण योजनाएं	Social Welfare Schemes in Andhra Pradesh	1050
1433. कृषि हेतु बिजली देने के लिये महाराष्ट्र को अर्थ सहायता	Subsidy to Maharashtra for supply of Electricity for Agricultural Purposes	1050
1434. महाराष्ट्र की सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes of Maharashtra	1050—1051
1435. भारत के रक्षित बैंक द्वारा ऋण सम्बन्धी नीति को उदार बनाया जाना	Liberalisation of Credit policy by Reserve Bank of India	1051
1436. साबुन बनाने के कारखाने	Soap Manufacturing Factories	1051—1052
1437. साबुन बनाने के कारखाने	Soap Factories	1052
1438. परिवार नियोजन	Family Planning	1052—1053

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1439.	घाटे की अर्थ-व्यवस्था	Deficit Financing	1053—1054
1440.	छावनी क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान	Accommodation for Employees in Cantonment Areas	1054—1055
1441.	मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड	Messrs Maekanzies Limited	1055
1442.	बम्बई के एक दलाल के पास से पकड़े गये दस्तावेज	Documents Seized from a Bombay Broker	1056
1443.	तावा परियोजना	Tawa Project	1056—1057
1444.	पी० फार्म	P. Form	1057
1445.	कृषि वित्त निगम	Agricultural Finance Corporation	1057—1058
1446.	भारतीय तथा विदेशी मुद्रा को जब्त किया जाना	Seizure of Indian and Foreign Currency	1058
1447.	गुजरात राज्य को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat	1058—1059
1448.	पाक जल डमरू-मध्य के आरपार तस्कर व्यापार	Smuggling Across Pak Strait	1059
1449.	गुजरात में देशी चिकित्सा प्रणाली	Indigenous Systems of Medicine in Gujarat	1060
1450.	आयुर्वेदिक चिकित्सक	Ayurvedic Practioners	1060
1451.	औषधि और खाद्य उप-मिश्रण अधिनियम में संशोधन	Amendment of Drugs and Food Adulteration Acts	1060—1061
1452.	अस्पृश्यता के मामले	Untouchability Cases	1061
1453.	अन्धे बच्चों की शिक्षा	Education of Blind Children	1061
1454.	दिल्ली पोलीटैक्निक के भैषजिक डिप्लोमा को मान्यता न दी जाना	Non-recognition of Pharmacy Diplomas of Delhi Polytechnic	1061—1062
1455.	भारतीय समुद्र में विदेशी मोटर बोटें	Foreign Motor Boats in Indian Waters	1062
1456.	बिहार के अकालग्रस्त क्षेत्रों में फीस की मुआफी	Fee concession in Famine Stricken areas of Bihar	1062—1063
1457.	ग्रामों में मेडिकल कालेज	Medical Colleges in Villages	1063
1458.	संघ राज्य क्षेत्रों में मेडिकल कालेजों में दाखिला	Admissions to Medical Colleges in Union Territories	1063—1064

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1459.	उत्पादन शुल्कों में रियायतें	Concessions in Excise Duties	1064
1460.	सिंदरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertilizer Factory	1065
1461.	राज्यों में प्रति व्यक्ति व्यय	Per capita Expenditure in States	1065
1462.	अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में दुर्घटना	Accident in Oil Fields at Ankleshwar	1065—1066
1463.	भूतपूर्व खाद्य मंत्री को किसी पद पर लगाना	Assignment for Former Food Minister	1066
1464.	फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, ट्राकनकोर	Fertilizers and Chemicals Travoncore	1066—1067
1465.	खाद्य पदार्थों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं को आधुनिकीकरण	Modernisation of Food Testing Laboratories	1067—1068
1466.	भारतीय उर्वरक निगम के नंगल कारखाने द्वारा तैयार किया गया नई किस्म का उर्वरक	New Fertilizer developed by Nangal Unit of Fertilizer Corporation of India	1068
1467.	लंका को ऋण	Loan to Ceylon	1068—1069
1468.	शहरी आय को अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling of Urban Income	1069
1469.	प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income	1069—1070
1470.	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants	1070
1471.	चण्डीगढ़ में भूमि की नीलामी	Auction of Land in Chandigarh	1070—1071
1472.	शान्ति दल के स्वयंसेवक	Peace Corps Volunteers	1071
1473.	तिब्बिया कालेज का औषधि सम्बन्धी डिपलोमा	Tibbia College Diploma on Medicine	1071—1072
1474.	पिछड़े वर्गों सम्बन्धी काका कलेलकर आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Kaka Kalelkar Commission on Backwards Classes	1072
1475.	बौद्धिक शक्ति में कमी	Intellecutal Dwarfing	1072—1073
1476.	बहु-प्रयोजनीय सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना	Speedy Completion of Multi-purpose Irrigation Projects	1073—1074

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1477.	जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation	1074
1478.	लेखापरीक्षक तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट	Auditors and Chartered Accountants	1074—1075
1479.	विदेशों में रहनेवाले भारतीयों द्वारा धन भेजा जाना	Remittance of Money by Indians Abroad	1075—1076
1480.	दिल्ली में नलकूप परियोजनाओं का असफल रहना	Failure of Tube Well Projects in Delhi	1076
1481.	यमुना नदी के दायें किनारे पर बाँध बनाना	Embankment of Right Bank of Jamuna	1076—1077
1482.	भारतीय उर्वरक निगम का भूतपूर्व अध्यक्ष	Ex-Chairman of Fertilizer Corporation of India	1077—1078
1483.	सिन्दरी उर्वरक कारखाने में उत्पादन	Production at Sindri Fertilizers	1078—1079
1485.	सातवीं अरब पेट्रोलियम कांग्रेस	Seventh Arab Petroleum Congress	1079—1080
1486.	रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नीति को उदार बनाया जाना	Liberalisation of credit policy by Reserve Bank	1080—1081
1487.	कृषि वित्त निगम	Agricultural Finance Corporation	1081
1488.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा में महिला डाक्टर	Lady Doctors in C. G. H. S.	1081—1082
1489.	भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा देय बकाया राशि	Dues from Ex-Ministers	1082
1490.	परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी सम्मेलन	Conference of Family Planning Programme	1082—1083
1491.	कृषि कार्यक्रम के लिये धन की व्यवस्था करना	Financing of Agricultural Programme	1083
1492.	अनुसूचित आदिमजातियों में निरक्षरता	Illiteracy among scheduled Tribes	1084
1493.	आदिम जातीय विकास खण्ड	Tribal Development Block	1084
1494.	स्नेहक तेल के लिये आयात लाइसेंस	Import Licences for Lubricant oil	1084—1085
1495.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	National Malaria Eradication Programme	1085

अ० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1496.	बम्बई में विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Foreign Currency Unearthed in Bombay	1085—1086
1497.	अफीम और गांजा बरामद किया जाना	Recovery of Opium and Ganja	1086
1498.	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सोना और चांदी का जब्त किया जाना	Seizure of gold and silver in M.P., U.P. and Rajasthan	1086—1087
1499.	रिजर्व बैंक में हिन्दी विभाग	Hindi Department in Reserve Bank of India	1087
1500.	प्रधान मंत्री के निवास स्थान की सजावट	Decoration of P. M's Residence	1087—1088
1501	मंत्रियों तथा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बंगलों की सजावट पर व्यय	Expenditure on Decoration of Houses	1088
1502.	स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारी	State Bank of India Staff	1088—1089
1503.	घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग के कारण सिन्दरी उर्वरक कारखाने में उत्पादन में कमी	Loss of Production in Sindri Fertilizer Factory due to use of inferior quality of coal	1089
1504.	सरकारी उपक्रमों द्वारा बकाया राशियों की वसूली	Recovery of Dues by Public undertakings	1089—1090
1505.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की बकाया राशि	Dues of N.B.C.C.	1090—1092
1506.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की फालतू मशीनें	Surplus Machinery of N.B.C.C.	1092—1093
1507.	गांवों के मकान बनाने की योजनाएं	Village Housing Schemes	1093
1508.	काली मिर्च पर निर्यात शुल्क समाप्त किया जाना	Abolition of Export Duty on Black Pepper	1093—1094
1509.	बीमा धारियों की शिकायतें	Complaints by Policy Holders	1094
1510.	बचत एवं बीमा योजना	Savings-cum Insurance plan	1094

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1511.	भारत द्वारा अरब देशों को दिया गया ऋण	Indian credit to Arab Countries	1095
1512.	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली	Willingdon Hospital, New Delhi	1095
1513.	मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत पर व्यय	Expenditure on Repairs to Minister's Bungalows	1095—1096
1514.	नीमच में अफीम का कारखाना	Opium Factory at Neemuch	1096
1515.	सूरत में चांदी का पकड़ा जाना	Silver recovered in Surat	1096
1516.	आसाम में तेल के क्षेत्र	Oil fields in Assam	1096—1097
1518.	एक फ्रांसीसी राष्ट्रजन से निषिद्ध चरस का पकड़ा जाना	Contraband charas recovered from a French National	1097
1519.	आयकर की बकाया राशि	Income tax arrears	1097—1098
1520.	दिल्ली में तपेदिक के रोगी	T. B. Patients in Delhi	1099
1521.	औषधों के मूल्य	Prices of Drugs	1099—1100
1522.	पूर्व यूरोप के देशों से ऋण	Credit from East European countries	1100
1523.	खायी जाने वाली गर्भरोधक गोलियां	Oral contraceptive Pills	1100—1101
1524.	औषधियों का मूल्य	Drug Prices	1101
1525.	बजट प्रणाली और कर विधियों में सुधार	Reforms in Budgetary Systems and Tax laws	1101—1102
1526.	लघु उद्योगों के लिये स्टेट बैंक से सहायता	State Bank's Assistance to Small scale industries	1102—1103
1527.	केन्द्रीय बिजली मंत्रणा परिषद्	Central Electricity consultative council	1103
1528.	आदिवासी	Adivasis	1103
1530.	फरक्का बांध	Farrakka Barrage	1103—1104
1531.	पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, चण्डीगढ़ में दुकानों का नियतन	Allotment of shops in post graduate Medical Institute, Chandigarh	1104—1105

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1532.	विदेशी यात्रा के लिये दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange released for foreign Tours	1105
1533.	प्रसाद नगर, करौल बाग, नई दिल्ली	Prasad Nagar, Karol Bagh. New Delhi	1105—1106
1534.	दिल्ली / नई दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना	Demolition of Jhuggies in Delhi/ New Delhi	1106
1535.	बम्बई में हीरों और जवाहरात का पकड़ा जाना	Seizure of Diamonds and Jewels in Bombay	1106
1536.	जाली बैंक ड्राफ्ट	Forged Bank Drafts	1107
1537.	सिंचाई आयोग	Irrigation Commission	1107
1538.	परिवार नियोजन के लिये गोलियाँ	Pills for Family Planning	1107—1108
1540.	दिल्ली में अधिक अस्पताल	More Hospitals in Delhi	1108
1541.	राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना	National Defence Remittance schemes	1108—1109
1542.	लखनऊ में माल प्रेषण संस्थान	Load despatching Institute at Lucknow	1109
1543.	मेसर्स साहू जैन द्वारा देय आयकर की बकाया राशि	Income tax arrears from M/s Sahu Jain	1109
1544.	अपना मकान बनाओ योजना	Own your Home Scheme	1110
1545.	भारत में जापान का धन निवेश	Japanese Investment in India	1110—1111
1546.	नेपाल से बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity from Nepal	1111
1547.	कृषि उपज को बढ़ाने के लिये राज्यों को ऋण	Loans to states for stepping up Agricultural production	1111
1548.	कोचीन और हल्दिया तेल शोधक कारखानों को अशोधित तेल की सप्लाई करने का करार	Agreement for supply of crude oil to Cochin and Haldia Refineries	1112
1550.	सरकारी कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम से ऋण	L. I. C. loans to Government servants	1112—1113

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1552.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	1113
1553.	सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance for Employees of Public Undertakings	1113—1115
1554.	नेपाल में पश्चिमी कोसी नहर क्षेत्र का सर्वेक्षण	Survey of Western Kosi Canal Area in Nepal	1115
1555.	नेपाल में कमला बान्ध का निर्माण	Construction of Kamla Barrage in Nepal	1115
1556.	कमला नदी पर बांध	Embankments on River Kamala	1116
1557.	राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to State Government Employees	1117
1558.	पश्चिमी कोसी नहर परियोजना	Western Kosi Canal Project	1117
1559.	दमन की सीमा के निकट पकड़ी गई घड़ियां	Watches seized near Daman Border	1117—1118
1560.	आय-कर की वसूली	Recovery of Income Tax	1118—1119
1561.	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में ठेका अधिकारी की नियुक्ति	Contract Officer in D. G. S. & D.	1120
1562.	धन की कमी के कारण रुकी हुई सिंचाई योजनायें	Irrigation Projects held up for want of Funds	1120—1121
1563.	सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना	Gold Smuggling	1121
1564.	पुरानी इमारतों से पानी का टपकना	Leakage of old Buildings	1121
1565.	सिंधु नदी आयोग	Indus Commission	1121—1122
1566.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	Hindustan Anti-biotics, Ltd.	1122
1567.	मंत्रियों द्वारा निवास स्थानों का परिवर्तन	Change of Residences by Ministers	1123
1568.	खाद्य पदार्थों में मिलावट	Food Adulteration	1123—1124
1569.	विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan	1124

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1570.	बागान उद्योग को कर से मुक्ति	Tax Holiday for Plantation Industry	1124
1571.	कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर नगरपालिका कर की बकाया राशि	Municipal Tax Arrears on Centre's Property in Calcutta	1124—1125
1572.	बिना डाक्टरों वाले स्वास्थ्य केन्द्र	Health centres without Doctors	1125
1573.	कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन	Calcutta Stock Exchange Association	1125—1126
1574.	बिहार को बाढ़ सहायता कार्य के लिये सहायता	Aid to Bihar for Flood Relief	1126
1575.	बिहार में ग्राम्यगृह-निर्माण योजना	Village Housing Scheme in Bihar	1126—1127
1576.	अशोधित सोना	Primary Gold	1127
1577.	आदिम जातीय क्षेत्रों में मैडिकल कालेज	Medical Colleges in Tribal Areas	1128
1578.	सड़क कूटने के इंजन	Road Rollers	1118—1129
1579.	केन्द्र में और राज्यों के समाज कल्याण विभाग	Social Welfare Departments at the Centre and in the States	1129
1580.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गृह निर्माण योजनायें	Housing schemes for scheduled Castes and scheduled Tribes	1129—1130
1581.	ग्राम गृह निर्माण परियोजना	Village Housing Project Scheme	1130
1582.	जैसलमेर में गैस	Gas in Jaisalmer	1131
1583.	गर्भ निरोधक सामग्री का आयात	Import of Contraceptives	1131
1584.	प्रधान मंत्री का निवास स्थान	Prime Minister's House	1131
1585.	तेल में आत्म निर्भरता	Self Sufficiency in Oil	1132
1587.	गावों में बिजली व्यवस्था	Provision of Electricity in Villages	1132

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1588.	नाइलोन के धागे का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Nylon Yarn	1132—1133
1589.	बम्बई की फार्मों द्वारा नायलोन के धागे का आयात	Import of Nylon Yarn by Bombay Firms	1133—1134
1590.	भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारियों द्वारा खर्च की जा सकने वाली राशि का खाता	Expense Account allowed to Officers of Fertilizer Corporation of India	1134—1135
1591.	कम्पनियों को जीवन बीमा निगम के ऋण	L.I.C. loans to companies	1135
1592.	ग्वालियर और इंदौर के भूतपूर्व नरेशों की सम्पत्तियों पर सम्पदा शुल्क का निर्धारण	Assessment of Estate Duty in respect of properties of the former Rulers of Gwalior and Indore	1135—1136
1593.	राज्यों द्वारा विकास निधियों का व्यय	Spending of Development funds by states	1136—1137
1594.	मंहगाई और पेंशन का दिया जाना	Payment of dearness allowance and Pension	1137
1595.	मध्य प्रदेश में बिजली द्वारा पम्पों को चलाना	Electrification of Pumps in Madhya Pradesh	1137—1138
1596.	पालम हवाई अड्डे पर एक विमान से बरामद किये गये हीरे जवाहरात	Jewellery Recovered from an aircraft at Palam Airport	1138
1597.	मुजफ्फरपुर में गांजा पकड़ा जाना	Ganja seized at Muzaffarpur	1138
1598.	दिल्ली में अवैध रूप से विदेशी मुद्रा का बेचा जाना	Illegal sale of foreign exchange in Delhi	1138—1139
1599.	आसाम में पेट्रोकेमिकल कारखाने की स्थापना	Petro-Chemical Unit in Assam	1139
1600.	वाराणसी में कारखानों पर आयकर की बकाया राशि	Income tax due from factories in Varanasi	1139

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1601.	गंगा गोमती योजना	Ganga Gomti Scheme	1139—1140
1602.	बरौनी और नामरूप उर्वरक कारखाने	Barauni and Namrup fertilizer plants	1140
1603.	गंडक परियोजना तथा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की क्रियान्विति	Implementation of Gandok Project Plan and Western Kosi Canal Project	1140—1141
1604.	केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद्	Central Family Planning Council	1141
1605.	सोडा ऐश कारखाने	Soda Ash Factories	1142
1606.	प्रकाशन प्रबन्धक की पात्रता	Fitness of Manager of Publications	1142—1143
1607.	प्रकाशन प्रबंधक	Manager of Publications	1143
1609.	मनीपुर में पानी की सप्लाई	Water Supply in Manipur	1143—1144
1610.	राजस्थान नहर प्राधिकार	Rajasthan canal Authority	1144
1611.	नेफ़ा में तेल की खोज	Exploration of Oil in Nefa	1144
1612.	राज्यों से ऋण की बकाया राशि	Loans due from States	1144—1145
1613.	बम्बई में चांदी का तस्कर व्यापार	Smuggling of Silver from Bombay	1145
1614.	केन्द्रीय सरकार द्वारा गंडक परियोजना का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Gandak project	1146
1615.	मकानों की कमी	Shortage of Houses	1146
1616.	औषधियों के मूल्य	Drug Prices	1146—1147
1617.	सागर चिकित्सा कालेज	Medical College at Saugar	1147
1618.	समाज कल्याण बिभाग के लिये धनराशि का नियतन	Allocation for Social Welfare	1147
1619.	सागर जिला के बीड़ी उद्योगपतियों द्वारा देय करों की बकाया राशि	Taxes due from Bidi Industrialists of Saugar District	1147—1148

अता० प्र० संख्या

S·Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1620. ग्रान्ड होटल, शिमला	Grand Hotel Simla	1148
1621. बृहत बम्बई भत्सा जल योजना	Greater Bombay Bhatsa Water Scheme	1148—1149
1622. महाराष्ट्र की पीने के पानी की योजनायें	Drinking Water Schemes of Maharashtra	1149
1623. आयकर बचाने वालों के विरुद्ध मुकदमे	Prosecution Against Income-tax Evaders	1149
1624. राज्यों द्वारा खर्च में कमी की जाना	Curtailing of expenditure by states	1150
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	1150—1154
अमरीका द्वारा बमबारी के कारण हनोई में अन्तराष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के एक भारतीय सारजेंट की मृत्यु	Death of Indian Sergeant of IC in Hanoi by American Bombing	
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1154—1156
राज्य सभा से सन्देश	Massage from Rajya Sabha	1156
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit	1157
पहला प्रतिवेदन	First Report	
उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा उनकी हाल की विदेश यात्राओं के बारे में वक्तव्य	Statement by Deputy Prime Minister and Minister of Finance on his Recent Visits Abroad	1157
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	
मंत्री परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	1157—1171
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen	
श्री हुमायूं कबीर	Shri Humayun Kabir	
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Point of Personal Explanation	1171—1180
श्री अशोक मेहता	Shri Ashok Mehta	

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरूवार, 23 नवम्बर, 1967/2 अग्रहायण, 1889 (शक)

Thursday, November 23, 1967 Agrahayana 2, 1889 (Saks)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री मुरासोली मारान (दक्षिण-मद्रास) [तामिल*]

निधन संबंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : हमने मास्टर तारासिंह के निधन का शोक समाचार बड़े दुख के साथ सुना है। मास्टर जी एक उदार नेता थे, उन्होंने जीवन में अपना एक उद्देश्य बनाकर देश की सेवा की और वह लगभग पचास वर्ष तक उस उद्देश्य के लिये, जिनमें उनकी आस्था थी, संघर्ष करते रहे। मास्टर जी के प्रति सभी जातियों के लोग आदर की भावना रखते थे। न केवल सिख जाति अपितु सम्पूर्ण देश ने आज एक महान व्यक्ति खोया है।

---

* सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी भाषा में शपथ ली थी।

* The language shown against the name of a Member indicates that he took oath in that language.

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य तथा योजना तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मैं मास्टर तारा सिंह की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ । वह देश के स्वतंत्रता संग्राम के पुराने सेनानियों में से थे । हो सकता है कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने जो कुछ किया उससे सभी चाहे सहमत न रहे हों, किन्तु वह एक प्रतिभाशाली तथा जीवट वाले व्यक्ति थे । वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अत्यन्त लगन और उत्साह से कार्य करते रहे । उनका निधन देश के लिये बहुत बड़ी क्षति है ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मास्टर तारा सिंह हमारे देश के नेता थे । निस्संदेह उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान दिया था । यद्यपि उनका कई नेताओं से मतभेद हो गया था, किन्तु उन्होंने सिख जाति तथा देश के हित के लिये व्रत रखा था । वह न केवल सिख जाति के अपितु देश के अल्पसंख्यक लोगों के बड़े हितैषी नेताओं में से थे । वह वर्तमान पंजाब के निर्माताओं में से थे । यद्यपि वह पंजाब के वर्तमान स्वरूप से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने पंजाब राज्य के निर्माण में अद्वितीय कार्य किया था । उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये, विशेषतया सिख जाति की रक्षा के लिये अनेक कार्य किये थे । यद्यपि अनेक अवसरों पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं से सहमत नहीं हो सके थे किन्तु उन्होंने जो कार्य किये और उन कार्यों के लिये जो साहस और निष्ठा दिखाई थी उसके लिये वह प्रशंसा के पात्र हैं । वह लम्बी आयु तक जीवित रहे और अन्त तक एक अच्छे सेनानी रहे । वह अपने सिद्धान्तों के लिये अथक साहस और दृढ़ता से कार्य करते रहे, जिसके लिये हम उनकी सराहना करते हैं । हम सब उनके निधन पर शोक प्रकट करते हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, while paying tributes to the late Dr. Lohia I had stated that veteran leaders of old generation were passing away one by one. Among them the Master Tara Singh occupied an important place. He always displayed great courage towards the cause he undertook, which inspired to others. One realised after coming in close touch with him that he was innocent as a child. He was always clear in his mind and clean at his heart. The name of Master Tara Singh will find a place in the history of modern India for his services he rendered for the sake of the country and the Panth in his own way. He was the leader of Sikhs and hence he was a national leader. His passing away is a loss to us and we associate ourselves with the sentiments expressed by the other Hon. Members of the House.

श्री अंबाजागन (तिरुचेंगोड) : * अध्यक्ष महोदय, मास्टर तारा सिंह पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध थे । वह सिख जाति के लिये तथा उसकी उन्नति के लिये मार्गदर्शक थे । हाल ही में उनके निधन पर देश की सम्पूर्ण जनता ने अत्यन्त शोक प्रकट किया है । वह न केवल एक महान नेता थे, अपितु अल्पसंख्यक जातियों तथा अपने अधिकारों के लिये लड़ने वाले लोगों के मार्ग दर्शक थे । देश के विभिन्न भागों के विभिन्न आन्दोलनों के नेताओं ने उनके संघर्ष का समय समय पर समर्थन किया था । यह कहना अनुचित न होगा कि सिख जाति का नेतृत्व करने में उन्होंने जो

* मूल भाषण तामिल में ।

दृढ़ता और योग्यता दिखाई थी उसकी अनेक लोगों ने सराहना की थी। पंजाब के लोगों की अपनी एक विशेषता है। वे योग्य लोग हैं और अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अपने इस विशेषता के कारण ही मास्टर तारा सिंह ने इस बात को साबित कर दिया था। उनके निधन पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं हार्दिक शोक प्रकट करता हूँ। उनके निधन पर भारत के विभिन्न भाषा-भाषी लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया है और मैं द्रविड़ मुनेत्र कषगम तथा तामिलनाड के लोगों की ओर से अपनी भाषा में अपना शोक प्रकट करता हूँ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I had an opportunity to have had a talk with Master Tara Singh when the Punjabi Suba movement was in its full swing. During our talks I found him a man of firm determination. The Punjab of today as the result of the efforts made by Master Tara Singh in this regard. I think it is loss not to our Sikh brothers but also to the country as a whole. I pay my tributes on my own behalf and on behalf of my group to the departed soul.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I pay my tributes to Master Tara Singh as valiant freedom fighter and also a leader. Let us all pledge solemnly on this occasion to bury the narrow mindedness, intolerance and extrasiengence responsible for the division of the country. I would also likes to add that the restoration of cordial relations between the Sikh and the Hindu goes to the credit of the U. F. Government in Punjab at present.

It would be of no use to repeat all those differences which we were in with Master Tara Singh. The only benefit we can drive from it is that we all, Hindu, Muslim and Sikhs, should stand together and United as one Indian and a nation.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुये थे और अकाली अन्दोलन भी आरंभ में ऐसा ही था। मुझे स्मरण है कि 1923-24 में देश ने अकालियों का साथ दिया था। उन दिनों ये गुरुद्वारे अंग्रेज साम्राज्यवादियों द्वारा नामजद महंतों के अधीन थे। उस समय ये महन्त गुरुद्वारों का उपभोग राष्ट्रीय संघर्ष के विरुद्ध करते थे। उस समय गुरुद्वारों को इन महन्तों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिये ही अकाली आन्दोलन आरम्भ हुआ था। इसीलिये मैंने कहा कि आरंभ में अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी था। इसका उद्देश्य गुरुद्वारों को अंग्रेजी सामाज्यवाद से मुक्त कराना था। उन्हीं दिनों मास्टर तारा सिंह अकाली नेता के रूप में प्रसिद्ध हुये थे और उन्होंने अपने ढंग से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था। हमारा उनसे चाहे कुछ भी मतभेद रहे हों, हम उनके निधन पर शोक सन्तप्त हैं। हमें स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा की गई सेवाओं का स्मरण करना चाहिये। अपने से पूर्व वक्ताओं के समान ही मैं भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यद्यपि मास्टर तारा सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था तथापि वह अपने उद्देश्यों के लिये अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़े थे। हमने किसी उद्देश्य के लिये लड़ने वाले सभी लोगों को सदैव श्रद्धांजलि अर्पित की है। हो सकता है कि हम मास्टर तारा सिंह की राजनीति से सहमत न हों किन्तु वास्त-

विकता यह है कि वह अदम्य उत्साही व्यक्ति थे । मिल्टन ने कहा है कि अगोचर शक्ति कभी हार नहीं मान हैं । वह भी ऐसे ही थे । वह अपनी मृत्यु के समय तक अपने उद्देश्य के लिये संघर्ष करते रहे थे । उनके बहुमुखी व्यक्तित्व ने यह बात गलत साबित कर दी थी कि वृद्ध व्यक्ति कारगर ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं । मैं प्रधान मंत्री के इस कथन से सहमत हूँ कि मास्टर तारा सिंह का व्यक्तित्व प्रगतिशील था । उनके निधन पर हम शोक सन्तप्त हैं । हमारा दल प्रधान मंत्री तथा अन्य सदस्यों के साथ उनके निधन पर शोक प्रकट करता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि हम उनकी स्मृति में कुछ देर के लिये मौन खड़े रहें ।

इसके बाद सदस्य कुछ देर के लिये मौन खड़े रहे

(The Members then stood in silence for a short while)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगित किये गये प्रश्न संख्या 210 क * को लेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था तो मैंने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था । मेरा अनुपूरक प्रश्न यह था कि क्या इस आपरेशन विशेष में साढ़े तीन घंटे लगे थे जब कि सामान्यतः इसमें लगभग पन्द्रह मिनट लगते हैं तथा क्या यह भी सच है कि आपरेशन से पहले उनका रक्तचाप सामान्य नहीं किया गया था और उनका घाव नहीं खोला गया था जब कि उसे खोला जाना चाहिये था । ब्रिगेडियर लाल तथा अन्य लोग इस बारे में कोई निश्चय नहीं कर सके थे । वे टाल मटोल कर रहे थे । अन्ततः डा० घोष, जो वेलौर से आये थे, तथा डा० मेहता, जो सौभाग्य से बम्बई से दिल्ली आये हुये थे, से सलाह ली गई थी और उन्होंने कहा था कि घाव को फिर खोलना पड़ेगा और तब घाव खोला गया था । इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय सम्पूर्ण जानकारी के बारे में वक्तव्य देने वाले थे । इस वक्तव्य में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । उन्होंने केवल यह जानकारी दी है 28 तारीख से

* तारांकित प्रश्न संख्या 92, जो 16 नवम्बर, 1967 को पूछा गया था और जिसका उत्तर दिया गया था, आज की प्रश्न सूची में प्रश्न संख्या 210 क के रूप में रखा गया है ।

Starred Question No. 92 put and answered on 16th November, 1967, renumbered as No. 210-A in today's List.

उनकी मृत्य के समय तक क्या क्या हुआ था । यह संतोषजनक नहीं है क्योंकि हम विलिंगडन अस्पताल की स्थिति के बारे में जानते हैं । मैं यह जानना चाहता कि विलिंगडन अस्पताल के कार्यकरण बारे में कोई जांच कराई जायेगी ।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि सरकार नई दिल्ली स्थिति सरकारी अस्पतालों, जिनमें विलिंगडन अस्पताल भी शामिल है; के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त कर चुकी है । सरकार उन परिस्थितियों की जांच कराने के लिये जाँच समिति नियुक्त नहीं कर सकती है जिनमें डा० लोहिया की मृत्यु हुई थी क्योंकि इससे कर्मचारी और सर्जन निरुत्साहित होंगे । इससे डाक्टर लोग विशिष्ट व्यक्तियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं कर पायेंगे क्योंकि जांच समिति नियुक्त करने से वे समझेंगे कि उनका अनादर किया जा रहा है । मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूँ कि डा० लोहिया का यथासंभव इलाज किया गया था । मैं स्वयं कई बार अस्पताल जाकर डा० लोहिया से मिला था । बम्बई, बनारस, वेलौर आदि कई स्थानों के विशेषज्ञ दल उनके पास गये थे । उन्होंने आपस में परामर्श किया था और वे इस बात से सहमत थे कि उस परिस्थिति में वे सब तरीके अपनाये गये थे जो उस समय उपलब्ध थे ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह एक गंभीर मामला है और हम सब में इसके बारे में असंतोष है । आपको याद होगा कि इस अस्पताल में पहले इस सभा के सदस्य श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी की मृत्यु हुई थी । इस बात की पूर्व परीक्षा किये बिना उन्हें पेनिसिलीन का इंजेक्शन दिया गया था कि वह उसे सहन नहीं कर सकते थे । उसके बाद इसी प्रकार स्वर्गीय श्री फिरोज गांधी की मृत्यु हुई थी ।

जब वे अस्पताल गये, तो उनसे कहा गया कि "आप ठीक हैं; एक प्याला चाय लीजिये ।" बेचारे सज्जन ने एक प्याला चाय ली और जब तक उन्हें आक्सीजन टेंट में ले जाया जाये, वे लगभग मृतप्राय हो गये । इसके अतिरिक्त श्री जय बहादुर सिंह के पास इलाहाबाद मेडिकल कालेज से एक प्रमाण पत्र था कि वे एक हृदय रोगी हैं । जब वे ब्रिगेडियर लाल के पास गये, तो उन्होंने उन्हें बताया "आप हृदय रोगी हैं; मुझे भी यही रोग है; आपको चिन्ता करने की कोई बात नहीं है ।" वे सामान्य रूप से काम करते रहे. भूख हड़ताल की और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई । मैं पूर्ण गंभीरता से कहता हूँ कि यह एक बूचड़खाना बन गया है । यदि वी. आई. पी. के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है; तो साधारण गरीब रोगियों की क्या हालत होती होगी ? यह सोचकर मैं कांप उठता हूँ । मैं माननीय मंत्री से सहमत नहीं हूँ कि जांच का निरुत्साहक प्रभाव होगा । हम इस सारे मामले की न्यायिक जांच चाहते हैं । जब डाक्टर लोहिया बीमार थे, हम उन्हें देखने जाते थे और हम जानते हैं कि उनका क्या इलाज किया गया । मैं श्री मोरार जी देसाई का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि उनके इलाज के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा दी जायेगी ।

Shri Madhu Limaye : Foreign exchange was not required. They did not pay any sum to the foreign docters.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानता हूँ कि उनसे सबको सहानुभूति थी । ब्रिगेडियर लाल एक बड़े डाक्टर हैं परन्तु वे एक सैनिक डाक्टर हैं, जो अंग काटने के अलावा और कुछ नहीं

जानते क्योंकि उनका काम ही ऐसा है । क्या इस पूरे मामले की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई जायेगी, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ भी होंगे ?

डा० चन्द्रशेखर : वर्तमान जांच समिति के अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवाओं के महानिर्देशक हैं। वे आपरेशन की परिस्थियों, प्रचलित सामान्य प्रक्रिया तथा अपनाई गई प्रक्रिया की जांच करेंगे ? अतिरिक्त महानिर्देशक ने पूर्ण सावधानी से डाक्टर लोहिया के मामले की जांच की, आप्रेशन के इतिहास की जांच की, उन व्यक्तियों से पूछताछ की, जिनसे लन्दन में टेलीफोन से परामर्श किया गया था और इस सब जांच के बाद हम सन्तुष्ट हैं कि इस मामले में हर संभव चीज की गई।

Shri S. C. Jha : The way the hon. Minister has replied makes it clear that they do not want the facts to see day light rather they covering the facts. The statement made by him a week earlier shows that no attempt was made to enquire into the facts. Are you prepared to place on the table all the medical bulletiu ?Then we may be allowed to put question than it will be proved how the Health Minister is to blame and he will be caught red-handed.

Now I will put to questions on the basis of the statement only. Is it not a fact that in the treatment of Dr. Lohia there have been series of carelessness ? Is it not that Dr. Lohia did not die but was killed as a result of carelessness on the part of Willingdon Hospital and its Medical Superintendent Brigadier Lal, who is supported by the Health Minister ?

Dr. Lohia was admitted to the Willingdon Hospital on 28th and he had some idea about the mismanagment there. Dr. Rajendra Prasad preferred to go to Sen's Nursing Home on being asked he told Pandit Nehru that he did not want to go to Willingdon Hospital as the arrangement were unsatisfactory there. When Dr. Lohia enquired from Brig. Lal about the arrangement, he presented a wrong picture to the former. He told Dr. Lohia if he did not have confidence in them and said that it was an ordinary operation, which they could very well perform.

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । हम सब महसूस करते हैं कि डा० लोहिया, जो एक सम्मानित नेता और इस सभा के सदस्य थे हमारे बीच नहीं हैं । लेकिन यह प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है । प्रश्न-काल को कोई अन्य रूप नहीं देना चाहिये श्री झा यदि आपको भाषण दिये बिना कोई प्रश्न पूछना हो, तो मैं इसके लिये अनुमति दूंगा ।

Shri S. C. Jha : Did Dr. Lal not betray Dr. Lohia and presented a wrong picture to him about the arrangement on the basis of which Dr. Lohia went there and met his end ?

About preliminary test it has been stated that complete examination of urine, blood and electrocardiogram was done. Then it has been stated that prostate glands were firmly adherent. But precautionary steps were not taken at the find of preliminary tests. In case of major operation blood transfusion is to be done before that but it was done later on. . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये ।

Shri S. C. Jha : Is it not a fact that the preliminary tests was conducted hastily and due care was not taken ? Is it not a fact that operation was not done properly.

श्री सोलावने : सभी सदस्यों का डा० लोहिया के समान इलाज होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप डाक्टर लोहिया के समान इलाज क्यों चाहते हैं ? हम में से किसी को इसकी आशा नहीं करनी चाहिये ।

श्री सोलावने : यदि इसकी आवश्यकता हो ।

Shri S. C. Jha: My fourth question is if they could not cure Dr. Lohia. other doctor......

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ।

Shri Raghuvir Singh Shastri: When our Ex-President Dr. Rajendra Prasad was taken ill he had gone to the Sen's Nursing Home and Dr. Radha Krishnan had gone to go abroad. Are we to understand that there are no satisfactory arrangements for treatment in Willingdon Hospital and in our other hospitals? The treatment meted out even to the members of family of M. Ps. at the Willingdon Hospital can be well compared to the treatment at a charitable hospital. Members of our family have to run from one room to another for 2-3 hours. On the basis of my personal experience I can say that no member of our family will like to pay a second visit to the hospital.

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न पूछने से पहले आधा मिनट अथवा एक मिनट तक स्पष्टीकरण दिया जा सकता है परन्तु यहाँ तो प्रश्न के नाम पर 10 मिनट तक भाषण दिया जा रहा है······ [अन्तर्बाधायें]

श्री हेम बरुआ : आपने कई अवसरों पर निर्णय दिया है कि प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि श्री हेम बरुआ ने इसकी ओर ध्यान दिलाया ।

Shri Raghuvir Singh Shastri: When Dr. Lohia's condition was such, why was he not shifted from Willingdon Hospital to the Sen's Nursing Home? What step are proposed to be taken on the incidents brought to notice of Health Minister in respect of M. Ps.

डा० चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य ने कहा कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इलाज के लिये गैर-सरकारी नर्सिंग होम में जाना पसन्द किया और डा० राधा कृष्णन, जब राष्ट्रपति थे, तो वे इलाज के लिये विदेश गये । मैं नहीं समझता कि ये बातें यहाँ पर संगत हैं। राष्ट्रपति जहाँ चाहें जा सकते हैं । राष्ट्रपति एक गैर-सरकारी चिकित्सक रख सकते हैं, जो उनके स्वास्थ्य से परिचित हो और उसकी सलाह पर वे जहाँ चाहें इलाज करा सकते हैं । डा० लोहिया जहाँ चाहते जा सकते थे ।

दूसरा प्रश्न था कि डाक्टर लोहिया को एक गैर-सरकारी नर्सिंग होम में क्यों नहीं ले जाया गया । परिस्थितियों को देखते हुये डाक्टरी दृष्टि से यह उचित तथा व्यवहार्य नहीं था । उनके लोग चिन्ताजनक हालत में उनका आप्रेशन कराना और फिर दूसरी जगह ले जाया जाना नहीं चाहते थे ।

Shri Raghuvir Singh Shastri: Mr. Speaker, my question has not been replied.

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker I had written a detailed letter to the P. M. in this connection but the reply to the points raised therein is still awaited. I hope that

the new Health Minister or Deputy Prime Minister or Prime Minister will reply to those points. I have carefully gone through his statement. I want clarification on 2-3 points.

There is no reference in it to the view of the surgeon on 2nd, who operated upon Dr. Lohia, that the condition of Dr. Lohia deteriorted as he developed cononary throambosis. Later on electro-cardio-gram was done, it was done daily-but there was no evidence of it. I read a news item in the Patriot of 2nd or 3rd that Dr. Lohia was suffering from Cancer. I understand that all the doctors from all India Institute and particularly from Bombay said that they had no confidence at the Willingdon Hospital. They were particularly not satisfied with the sterilisation arrangements at the hospital. The Prime Minister was also operated upon. The doctor who attended on her brought all the equipment from Bombay as he could not rely on the arrangements at the Willingdon Hospital. Was it proper according to the medical science to raise such rumours as coronary thrambosis, malignant growth, cancer etc.

Dr. Lohia has gone. He cannot come back, but if we are really sorry, the government should institute an enquiry so that hospitals in Delhi and other States may function properly. In the month of August there was a case of Gas Gagrin at the all India Institute of Medical Institute and the operation theatre there was closed for ten days. It was neither reported in the press nor this House was informed about it. The Government should clarify these two-three points and the enquiry committe, which should not be official one, should consist of private physicians and surgeons and one such person who should be endowed with capability of judging facts. Will the Health Minister appoint a three man Committee to look into not only this case but into the working of all the hospitals, Willingdon Hospital, Safdarganj Hospital and All India Institute of Medical Sciences to suggest concrete remedial measures ?

Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narayan Sinha): I had discussed this matter with the Hon. Member and he had desired a committee to look into not only the case of Dr. Lohia but should go into the working of all the hospital under the Central Government, and to report the shortcomings. He wanted that there should be no person in this committee connected, directly with the Health Ministry. Let me give the names of the members of the committee. About one person, Dr. K, N. Rao, iDirector General of Health Services, it may be said he is connected with the Heaetlh Ministry through technically connected with the Health Ministry he is due to retire within two months. Therefore, he is not very much connected with the Health Ministry. Everyone knows about the second Member "Dr. D. S. Kothari and the third member Major General K. K. Menon, Deputy Director General of Armed Forces Medical Services. The fourth member is Prof. V. K. Dicat, Director-Professor of Pathology, Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh and the fifth one is Dr. A. Venugopal, Honrary Surgeon, Government General Hospital, Madras and the member secretary is Dr. P. Deish, Deputy Director General of Health Services.

After all only doctors, who can judge these things, can be nominated on this committee.

श्री स० मो० बनर्जी : डा० डी० एस० राजू संसद सदस्य हैं, उप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्हें इस समिति में क्यों नहीं रखा जाना चाहिये ?

श्री म० ला० सोंधी : नौकरशाही के दृष्टिकोण से न तो हम और न ही देश का कोई अन्य व्यक्ति संतुष्ट होगा । हमें विश्वास है कि डा० लोहिया को मारा गया है। मैं यहाँ पर

यह आरोप लगाता हूँ । देश में ऐसा महसूस किया जा रहा है । मंत्री महोदय इसे छिपा क्यों रहे हैं ?

Shri Satya Narayan Sinha: We are also equally grieved at the death of Dr. Lohia.

Shri M. L. Sondhi: Let him give it some concrete shape.

Shri Satya Narayan Sinha: First go through the history of India for the last 20 years. The facility of doctors is arranged in the case of Dr. Lohia was provided in no other case.

श्री म० ला० सोंधी : श्री मोरारजी देसाई के कहने से पहले नहीं ।

Shri Arjun Singh Bhadoria: The doctors from Germany did not come on your initiative.

Shri Satya Narayan Sinha: That may be by you. Their visit was arranged and they came.

श्री म० ला० सोंधी : इससे पहले डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी के बारे में भी ऐसा ही हुआ था । हमारे इतिहास का यह दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है ।

Shri Satya Narayan Sinha: Rest assured whatever precautions may be taken, death cannot be prevented.

Shri Balraj Madhok: If the Hon. Minister believes in the fatalism, then what is the need of doctors. Why has he opened hospitals ?

Shri Madhu Limaye: My question should be answered. I did not say that nobody expressed sympathy. I accept that doctors from Bombay came on the intervention of Shri Morarji Desai. But we want explanation about the mistakes of local surgeons and doctors till 2nd and 3rd.

Shri Satya Narayan Sinha: The name of Dr. Raju has been suggested for being included in this committee. He is a very eminent doctor. We will have no objection to include him in the committee.

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को क्या हुआ ।

डा० चन्द्रशेखर : उनका इलाज करने वाले डाक्टरों ने पहले तो समझा अथवा सन्देह किया कि यह कारोनरी आक्रमण हो सकता है, बाद में उन्होंने सोचा कि ये कारसीनोमा भी हो सकता है । फिर स्नायु परीक्षा की गई और पाया गया कि यह कारसीनोमा नहीं है । 27 डाक्टरों का एक दल उनकी परीक्षा कर रहा था और वे सभी संभावनाओं और कठिनाइयों पर विचार कर रहे थे ताकि वास्तविक चीज चाहे कुछ भी रही हो वे ठीक इलाज कर सकें । स्वाभाविक है कि जब लोग डाक्टरों पर बौछार करते रहे, तो उन्होंने कहा कि ये कारोनरी थ्रामबोसिस हो सकता है, अथवा कारसिनोमा अथवा कुछ और हो सकता है । वे हर पहलू की जांच कर रहे थे ताकि उनमें से कोई चीज हो तो उसकी उपेक्षा न हो और ठीक इलाज हो सके । मैं नहीं समझता कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध यह सब कहा जाये, जो अपनी सफाई देने के लिये यहाँ नहीं है मैं समझता हूँ कि यह बहुत अनुचित बात है ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, he has not answered my question. By mentioning 27 doctors he is trying to mislead the House. I am talking of the position before any outside doctor came on the scene. When cornoary thrombosis came to be diagnosed, no outside doctor had arrived by that time. Why such a wrong statement was made ?

The news about cancer has already appeared in the newspapers, and the German doctor deliberately told me that this news has been given for the purpose of giving indication to the people about the seriousness of the case. I asked the German doctor if he was satisfied that there was cancer involved in that case and whether there was any connection between cancer and the treatment being given to Dr. Lohia ? He said that there was no connection and he had no knowledge. They are giving such reports. He should answer my question whether the doctors there had issued my statement about Dr. Lohia's developing coronary thrombosis or not ? I am talking of the doctors of Willingdon Hospital. I also want to know whether a wrong statement about cancer was also issued or not ? This was broadcast on A. I. R. also. We also asked Shri Shah as to why such a wrong statement was being broadcast ? It was all clear—the doctor from Colaber or Dr. Shanti Mehta had been insisting for reopening the wound but the doctors of Willingdon Hospital opposed this advice. But finally Dr. Shanti Mehta not caring for their opposition reopened the wound. Had this been done on 2nd or 3rd perhaps all these things would not have arisen. I shall not sit until my question is answered.

डा० चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य सही, विस्तृत तथ्य नहीं दे रहे हैं । लोगों की सलाह से केथेटर पुनः लगा दिया गया ताकि पेशाब निकाला जा सके । परन्तु जब चार या पांच डाक्टर होते हैं तो उनमें विचार विमर्श होता है और उपचार की विधि में भिन्न राय हो सकती हैं ।

Shri Madhu Limaye : I want an answer from the Prime Minister or the Minister of Health how the news of malignant growth appeared in the papers—whether the complete report will be laid on the table ? Many days have passed when I wrote to you. Why is the Government not replying to my contentions ? I have not levelled any charge against you that you have deliberately killed Dr. Lohia. I simply want an enquiry so that the conditions in hospitals and health services may improve.

डा० चन्द्रशेखर : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी का सुझाव है कि मैं डाक्टरों की समिति द्वारा दी गई तकनीकी रिपोर्ट को यहाँ पर पढ़ दूं । जब डा० लोहिया के गलत निदान आदि के बारे में शंकाएँ व्यक्त की गई तो हमने उसकी जांच करवाई और हमें उस बारे में एक तकनीकी रिपोर्ट मिली है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसे पढ़े देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रख दिया जाये क्यों हम इसे समझ नहीं सकते । सभा पटल पर रखे जाने से माननीय सदस्य इसका गहराई से अध्ययन कर सकेंगे ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I am raising this issue in all seriousness. The whole thing should be investigated by a non-official committee so that there may be no room for doubt.

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, योजना तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हम कुछ छिपाना नहीं चाहते । अध्यक्ष महोदय, आपने सभा की भावना व्यक्त कर दी है कि डा० लोहिया के निधन से हम सब को कितना दुःख हुआ है । स्वास्थ्य मंत्री यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डा० लोहिया के मामले में जो कुछ भी संभव था वह किया गया । शुरू से ही, जो भी व्यक्ति मेरे पास आया मैंने उनको यही कहा कि हम हर प्रकार की सहायता करेंगे । उसके पश्चात् मैं विदेश गई परन्तु मैं उप प्रधान मंत्री और अपने अन्य सहयोगियों से इस मामले से निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिये कह गई थी । श्री मधु लिमये ने एक बात 'मैलिग्नेंट ग्रोथ' के बारे में उठाई थी । मेरा ऐसा ख्याल था कि ये सब तथ्य दिये गये वक्तव्य में शामिल कर लिये गये थे । मेरे पास जो उत्तर है वह इस तरह है । ब्रिगेडियर लाल ने कहा है कि 2 या 3 अक्तूबर के आस पास विलिंगडन अस्पताल के किसी डाक्टर ने प्रोस्ट्रेट ग्लैण्ड रिमूव में कैंसर की संभावना के बारे में प्रेस या आकाशवाणी के संवादताओं को कोई बयान नहीं दिया था । परन्तु 10 अक्तूबर को या उसके आसपास डा० अलकेन और डा० डैविड ने ब्रिगेडियर लाल को सुझाव दिया था कि डा० लोहिया के स्वास्थ्य के बारे में जारी किये जाने वाले बुलेटिन में यह उल्लेख करना अच्छा होगा कि प्रोस्ट्रेट ग्लैण्ड रिमूव में कैंसर के होने की संभावना है । डा० लाल ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि कोई निष्कर्ष निकालने से पहले हमें अन्तिम रिपोर्ट मिलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये । वास्तव में अन्तिम हिस्टोलाजिकल रिपोर्ट डा० लोहिया के निधन के बाद प्राप्त हुई थी । मैं यह जानकारी देना चाहती थी ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री ने जांच सम्बधी मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । प्रश्न यह थी कि गैर-सरकारी समिति द्वारा इस सारे मामले की जांच की जाये ताकि लोगों के संदेह दूर हो सकें । प्रधान मंत्री से हम इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं इस समिति में, गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करने के बारे में अपने सहयोगियों से बात करूंगी । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

डा० शांतिलाल मेहता के बारे में श्री मधुलिमये ने जो बात उठाई है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि वे जहां भी जाते हैं अपने औजार साथ ले जाते हैं । इसलिये इससे उस स्थान के बारे में कोई गलत धारणा नहीं बननी चाहिये जहाँ वे उन्हें ले जाते हैं । क्योंकि यह तो उनकी आदत हो गई है ।

Shri Yashpal Singh : Only indigenous medicines can prove efficacious for persons born in India and not medicines brought from thousands of miles away from our land. Mahatma Gandhi always advocated this. Dr. Ram Manohar Lohia was a true patriot and only indigenous medicines could have cured him—and not foreign medicines. Did some expert of the Health Ministry give attention to this aspect ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary (Hoshangabad) : Will the Minister be pleased to state if the blood pressure of the patient was taken on the occasion when he was examined and what the blood pressure was and if the blood pressure was excessive, in view of the fact that in patients who have excessive blood pressure, the out flow of blood is excessive, what precautions were taken ?

डा० चन्द्रशेखर : उनका रक्त चाप 140/100 था और नीड़ी की गति 120 थी। उन पर बराबर निगरानी रखी जा रही थी।

Shri A. B. Vajpayee : On reading the statement, it appears that those allegations have not been met. The wound was opened several times and different reasons were advanced for that. This allegation has been made that the wound was not opened when it was necessary. When the wound was opened so many times, it is to be seen whether nothing wrong has happened while closing the wound. On page 4 it is given that the reason fo ropening the wound was to allay the fears of accumulation of urine in the wound. Was it not possible to take precaution for this before hand ?

The Prime Minister has agreed that non-official persons can be associated with this committee. Was all this debate and questioning necessary to accede to this demand ? It could have been done at the outset.

The Prime Minister has also stated that the doctors said that they had not issued any statement about malignancy to AIR representatives. AIR cannot broadcast such a serious news without any authentic information. This thing should also be enquired into under the present general enquiry all these aspects are not likely to be covered. Therefore my submission is that either the terms of reference of this enquiry be changed or a special inquiry should be ordered in this case and non-officials should be associated with this inquiry. Then alone, an impartial inguiry is possible.

डा० चन्द्रशेखर : मैं केवल इसी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ कि घाव को पहले क्यों नहीं खोला गया। इसका कारण यह था कि डाक्टरों के विभिन्न मत थे। उन्होंने सोचा कि केथेटर से पेशाब निकाला जा रहा है और घाव ठीक हो रहा है। परन्तु जब पता लगा कि मामला अधिक पेचीदा होता जा रहा है तो दूसरे डाक्टर आये और उन्होंने सुझाव दिया कि घाव को खोलना जरूरी है और ब्रिगेडियर लाल तथा डा० पाठक ने उनकी बात मान ली।

श्री अटल बिहारी वाजपेई : क्या इस समिति को आकाशवाणी से गलत समाचार के प्रसारण के बारे में भी जांच करने के लिये कहा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उस पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी पत्नी का भी गलत आपरेशन कर दिया गया था, जिसके कारण वह गत पाँच वर्षों से बीमार पड़ी है।

डा० चन्द्रशेखर : वास्तव में होता यह है कि बहुत से पत्रकार 24 घण्टे डाक्टरों से मिलते रहते थे। यह केवल मेरा अनुमान है। किसी ने वह समाचार प्रेस को दे दिया जो आकाशवाणी से प्रसारित हुआ और बाद में सरकारी अधिकारियों ने जिसका खण्डन कर दिया।

Shri Madhu Limaye: There is nothing to guess in this, Brig. Lal disclosed this to the press in our presence.

Shri Sharda Nand : During the last five years, perhaps no member of Lok Sabha who was admitted in Willingdon Hospital for treatment came alive from there and Dr. Lohia had the same apprehension in his mind. Only on the assurance of Dr. Lal—thatit

was a minor operation—Dr. Lohia got himself admitted there and the result was that he ultimately died.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने केवल सूचाना दी है। सरकार के पास इसका कोई उत्तर नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta: Doctors who attended on Dr. Lohia said that in the initial stage he was not attended properly. I have sent two similar cases to the Hon. Minister for inquiry. In one case it has been alleged that due to carelessness of the Willingdon Hospital staff, some one's wife lost her life and in the other, somebody's son met his end. May I know whether the Hon. Minister has received during the last year a number of complaints about this hospital and if so, what is their number ? The terms of reference of this committee should not only include inquiry into the death of Dr. Lohia but also the specific inquiry into all other cases of death due to the criminal negligence of the hospital staff during the last two years.

Shri Satya Narayan Sinha: It is not possible to have this specific inquiry after so much time. The general inquiry about the hospital whether there is negligence or not—can be made.

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा करना मेरी शक्ति के भीतर नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह उसी उत्तर को दोहरा रहे हैं। जो प्रश्न है उसका उत्तर वह नहीं देते हैं।

Shri Satya Narain Sinha: The demand for holding a specific enquiry has not been agreed to Shri Madhu Limaye suggested that an enquiry committee should be appointed which should go into the general questions.

Shri Kanwar Lal Gupta: The committee consists of all official members. What is its use ? No Member of Parliament and no representative of Delhi is included in it.

Shri N. S. Sharma: What specific objections the Hon. Minister has to the appointing of a committee suggested by Shri Madhu Limaye ?

Shri Satya Narain Sinha: We have accepted in principle the inclusion of Private Members therein and I am thinking over this matter.

श्री प्र० के० देव : आप्रेशन से पहले की जांच से पता चलता है कि वह सामान्य थे और आप्रेशन के तुरन्त पश्चात उन्हें 'यूरेमिया' हो गया। जब तक आप्रेशन में कोई खराबी न हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण था। दूसरे, कई प्रकार की दवाइयां उनको दी गई थीं। क्या उन्हें देने से पहले यह पता लगाया गया था कि डा० लोहिया पर उनका बुरा असर नहीं पड़ेगा और उससे बी० कोली या बाद में जो इन्फेक्शन हुआ उस पर क्या प्रभाव होगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मेरे जैसे आम व्यक्ति के लिये यह बताना संभव नहीं है कि उन्हें यूरेमिया कैसे हुआ ?

श्री प्र० के० देव : वे जांच करके सभा को बता सकते हैं।

Shri R. Shastri (Patna): The carelessness with which Hon. Members are treated by the Willingdon Hospital staff is very well known and I do not want to dilate on that. I

want to know whether it is a fact that only an hour after his admission into the hospital Dr. Lohia was operated upon by the doctors there.

Is it also a fact that the Indian doctors were not prepared to reopen the wound and if that is so, why did they agree to reopen it under pressure from the doctors from England ? How many operations of this type were performed there since January last till the day of Dr. Lohia's death and in how many of these cases the patients ultimately died ? This will help us in knowing whether the hospital is functioning properly are not.

Shri Satya Narayan Sinha : I have just now stated that it is impossible to give the number of patients who were admitted in the hospital. The number of persons who were cured of their ailments and escaped alive is also quite big.

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Questions

पश्चिम पाकिस्तान को नदियों के पानी की सप्लाई

अ० सू० प्र० 3. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र की नदियों से पश्चिम पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी की सप्लाई कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह कार्यवाही करने से पहले सरकार का विचार पाकिस्तान सरकार से कोई बात चीत करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) जैसा कि सिन्धु जल सन्धि में उपबन्धित है, विश्व बैंक ने 25 अक्तूबर 1967 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें उसने भारत तथा पाकिस्तान को यह सूचित किया था कि उनके विचार में पुनःस्थापन कार्यों की श्रृंखला का कुछ भाग तैयार है जिससे शीत काल में अतिरिक्त पानी दिया जा सकता है। सन्धि के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान दोनों के सिन्धु जल आयुक्त ऐसी अधिसूचना के प्राप्त करने पर आपस में मिलें और पाकिस्तान को पानी देने के सम्बन्ध सन्धि के उपबन्धों में संशोधन करने के लिए समझौता करें। तदनुसार दोनों देशों के आयुक्त 8 नवम्बर से 14 नवम्बर 1967 तक इस्लामाबाद में मिले और 21 नवम्बर, 1967 से 31 मार्च, 1967 तक की अवधि में पाकिस्तान को फोरोजपुर से दिये जाने वाले पानी में कुछ कटौती करने पर सहमत हुए।

श्री प्र० न० सोलंकी : इस नई व्यवस्था से हम कितना पानी बचा सकेंगे और क्या पंजाब और हरियाना में इस जल के उपयोग के लिये हमारे पास पर्याप्त नहरें हैं ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में 21 नवम्बर से फेरोजपुर में हमने पानी घटाना आरम्भ कर दिया है और यह बचा हुआ पानी पंजाब, हरियाना और राजस्थान में एक लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने के लिये उपयोगी होगा। उसको तथा अधिक पानी को प्रयोग में लाने के लिये हमारे पास पर्याप्त नहरें है।

श्री प्र० न० सोलंकी : क्या इस पानी के आने से उन क्षेत्रों में जल निमज्जन की कोई समस्याएं होंगी ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में हमें भूमि के लिये अधिक पानी की आवश्यकता है । हमारे पास काफी नहरें हैं और हम जल निमज्जन की किसी कठिनाई के बिना ही इस का पानी प्रयोग कर सकते हैं ।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब की नदियों का 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान के पास है और केवल 20 प्रतिशत हमारे पास है और इस बात को भी दृष्टिगत रखते हुए कि विश्व बैंक पंचाट के अनुसार 1964 तक हमें सारा पानी मिल जाना चाहिये था और इस बात को भी ध्यान में रखने हुए कि पाकिस्तान ने न केवल मंगला बांध को पूरा कर लिया है अपितु थल परियोजना को भी पूरा कर लिया है जिसके द्वारा उसकी पानी जमा करने की क्षमता और सिंचाई क्षमता बढ़ गई है, क्या भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव डालेगी कि पाकिस्तान को जो पानी हम अब दे रहे हैं वह बन्द कर दिया जाना चाहिये ताकि वह पानी पंजाब, हरियाना और राजस्थान में हमारे सिंचाई प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जा सके ।

डा० कु० ल० राव : मंगला बांध पूरा हो गया है और इसका उदघाटन हो गया है । बात केवल यह है कि मिलाने वाला रसूल बाँध और नहर पूरी नहीं हुई है । आशा है कि अगले कुछ महीनों में ये पूरे हो जायेंगे और उसके बाद हम उनसे बातचीत करेंगे और पानी प्राप्त करेंगे, आशा है कि अगले वर्ष 7 लाख एकड़ भूमि के लिये पानी मिल जायेगा ।

श्री नाथ पाई : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बाँध उस क्षेत्र में है जिसको हम अपना कहते हैं और मंत्री महोदय आक्रमणकारी की सफलता के लिये उसकी प्रशंसा करना उचित समझते हैं क्या भारत सरकार की नीति भारत के अन्य पड़ोसियों को हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने और उसपर बांध बनाने के लिये मनाने की है ताकि हमें पानी का लाभ पहुंच सके ?

डा० कु० ल० राव : इस विशिष्ट मामले में बाँध पूरी तौर पर हमारे क्षेत्र में नहीं बनाया गया है । इसका आधा भाग हमारे प्रदेश में है और आधा उनके प्रदेश में है । यदि जम्मू काश्मीर क्षेत्र का हमारा भाग हमारे कब्जे में हो तब भी आधा बांध पाकिस्तान प्रदेश में होगा और आधा हमारे प्रदेश में । दूसरे, सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि वहाँ पर चाहे कुछ भी किया जाये, भारत के प्रभुसत्ता अधिकार को हानि नहीं पहुंचेगी । अतः उस क्षेत्र पर अब भी हमारी प्रभुसत्ता है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that the Irrigation Minister Dr. K. L. Rao was invited by Pakistan to participate to the inauguration ceremony of Mangla Dam and that he suggested to the Central Government that the Indian High Commissioner should be sent in his place, if so, to the Government of India been the participation by our diplomat proper in view of the fact that dam has been constructed on our territory ?

डा० कु० ल० राव : अलबत्ता जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मेरे वहाँ जाने का प्रश्न ही नहीं था। चूँकि आधा बांध हमारा है और आधा उनका है और सिंधु जल संधि के अन्तर्गत इसके शीघ्र पूरा होने से हमें काफी लाभ हो रहा है, यह समझा गया कि हमारा प्रतिनिधि भेजने में कोई बुराई नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, my question has not been answred. If the Prime Minister is not here, the Deputy Prime Minister can answer my question. Did our Government permit the Indian High Commissioner to participate in the Mangla Dam inauguration ceremony ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारारजी देसाई) : चूँकि सभी उच्चायुक्त ऐसा करते हैं, इसलिये हमारे उच्चायुक्त को भी कराँची में उस समारोह में भाग लेना पड़ता है। इसका विरोध नहीं किया जा सकता है। यह सिंधु संधि करार का अंग है और यह ऐसा प्रश्न नहीं है जहाँ हम यह कह सकें कि यह एक अमित्रतापूर्ण कार्य है और इसलिये हम इसका विरोध कर सकते हैं और उन्हें वहां उपस्थित नहीं होना चाहिये था।

Shri Prakash Vir Shastri : That country has built the Mangla Dam on our territory and our diplomat goes to attend the inauguration ceremony, how far is it justified ?

श्री मोरारजी देसाई : ये सारी बातें हम मानते हैं। परन्तु, जब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं, तो हमें उनको पानी लेने के लिये अनुमति देनी पड़ेगी और इसीलिए उस करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। यह मामला कुछ वर्ष पूर्व विश्व बैंक को एक मध्यस्थ के रूप में सौंपा गया था और उसके अनुसार संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे। उस संधि में मंगला बांध का भी उल्लेख किया गया है।

श्री नाथ पाई : संधि में मंगला बांध के बारे में कौनसा भाग है ? दो भाग नहीं हो सकते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : मंगला बांध इसके अन्दर है। इसलिये जब यह पूरा हो जायेगा यह पानी हमें मिल जायेगा। इसलिये उच्चायुक्त को उसमें उपस्थित होना पड़ा। मेरे विचार से इसमें कोई अनुचित बात नहीं है।

श्री हेम बरुआ : जब मंगला बांध पूरा हो गया था, तो हमारे प्रधान मंत्री ने जोश में आकर राष्ट्रपति अयूब को बधाई संदेश भेज दिया और हमें इस सभा में बताया गया था कि मंगला बांध के पूरा होने से हमपर सिंधु जल संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान को पानी देने का बोझ कम हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि वह बोझ कितना हल्का हो जायेगा।

डा० कु० ल० राव : बिल्कुल यही किया गया है। मंगला बांध के शीघ्र पूरा हो जाने के कारण हम कुछ जल प्राप्त कर सके हैं; पिछले दो दिनों से हम पाकिस्तान को पानी की सप्लाई कम कर रहे हैं। हम उसे काफी कम पानी दे रहे हैं। संधि के अन्तर्गत व्यास नदी का 79 प्रतिशत पानी देना पड़ता है। अब हम उसको 67 प्रतिशत तक घटा रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : आज कल के संसार में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का बड़ा महत्व है उन्हें उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने का निमन्त्रण प्राप्त हुआ। यदि किसी कनिष्ट तकनीकी अधिकारी को भेजा जाता तो अधिक अच्छा होता क्योंकि वह एक गुप्तचर का भी काम कर सकता था, परन्तु वहाँ पर उच्चायुक्त को भेजा गया था। क्या ऐसा उनके सुझाव पर किया गया था। हमारे राजदूतावासों में भी तकनीकी सचिव होते हैं। आपके स्थान पर उच्चायुक्त को क्यों जाना चाहिये? इतिहास में आपका नाम जायेगा कि उच्चायुक्त ने आपका प्रतिनिधित्व किया।

श्री मोरारजी देसाई : किसी विशिष्ट सदस्य का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता, उच्चायुक्त द्वारा देश का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

डा० कु० ल० राव : हमारे तकनीकी अधिकारियों ने पहले ही उसका निरीक्षण कर लिया है और एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है।

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether we shall not be able to complete the construction of our dam and use even the 20 percent water until Pakistan is able to utilise 80 percent of its entire waters? Will our utilisation of 20 percent water be postponed indefinitely on this ground ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्यों को पता होगा कि संधि के अन्तर्गत 1970 से भारत तीन पूर्वी नदियों का पानी उपयोग करने का हकदार है। संधि 1970 से लागू होगी और उस वर्ष से सतलज, व्यास और रावी नदियों का पानी भारत का होगा। अतः पूर्वी नदियों के पानी में पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नाथ पाई : मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। जब मैं बोलने के लिये उठा तो मंत्रिगण ने यह कह कर मेरा मजाक उड़ाने का प्रयत्न किया कि उप-प्रधान मंत्री ने कहा कि केवल एक ही भाग है। मैंने प्रत्येक अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ा है। अनुच्छेद 11 में मंगला बांध का कोई उल्लेख नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं संधि के किसी भाग के बारे में बात नहीं कर रहा था।

श्री नाथ पाई : डा० राव ने कहा कि इसको स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि संधि में स्पष्ट रूप में इसका उल्लेख किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि संधि के किस भाग में उसका उल्लेख किया गया है?

डा० कु० ल० राव : मैंने यह नहीं कहा कि अनुच्छेद 11 में मंगला बांध का उल्लेख किया गया है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : श्री हुकम चन्द्र कछवाय।

Shri Hukam Chand Kachwai : By what time the question of giving compensation to the people affected by Mangla Dam will be decided and how many people have been affected by it ?

डा० कु० ल० राव : मंगला बांध द्वारा 80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। चूंकि बांध पूरा हो गया है और पानी भरा जा चुका है, इसलिये मुझे विश्वास है कि प्रभावित व्यक्तियों को बसाया जा चुका होगा।

Shri A. B. Vajpayee : Is it binding an our High Commissioner in Pakistan to attend every function there ? Could the third Secretary not go in his place ?

Shri Prakash Vir Shastri : Even a peon should not have gone there.

श्री मोरारजी देसाई : मैं माननीय मित्रों की भावनाओं को समझता हूँ, परन्तु सरकार विरोधी दलों की तरह काम नहीं कर सकती है। सरकार को एक जिम्मेदार तरीके से काम करना पड़ता है और जब उच्चायुक्त वहाँ पर हैं, तो....

श्री नाथ पाई : हम इस प्रकार के आरोप का खण्डन करते हैं। वह विरोधी दलों पर आरोप क्यों लगाते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं विरोधी दलों को गैर जिम्मेदारी नहीं कह रहा हूँ।

श्री नाथ पाई : उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहा है।

श्री मोरारजी देसाई : प्रतिपक्ष अपने तरीके से जिम्मेदार है और सरकार अपने तरीके से जिम्मेदार है।

श्री हेम बरुआ : अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने प्रतिपक्ष को गैर जिम्मेदार कहा है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि प्रतिपक्ष गैर जिम्मेदार है। अतः इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे अवसरों पर या राष्ट्रीय महत्व के उत्सवों पर भारत में भी सभी उच्चायुक्त या राजदूत उपस्थित होते हैं।

Shri Gulam Mohammad Bakshi : On its completion, Mangla Dam would be useful for us. We have spent crores of rupees on the Kathu Canal near Ravi and we get water from it for no more than two months. I want to know whether on the completion of Mangla Dam, we would be able to get water for the Kathua Canal for the whole year.

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने जो कहा वह उचित है। हमें कथुआ नहर के लिये और पानी सप्लाई करना चाहिये क्योंकि उस क्षेत्र में रावी का पानी नहीं पहुंचता। इस बांध के पूरे होने के परिणामस्वरूप हमें आशा है कि हम रबी की फसल के लिये कथुआ नहर को अधिक पानी सप्लाई कर सकेंगे।

Shri Gulam Mohammad Bakshi: The whole economy of Kathua and Hiranagar depends upon this. After spending crores of rupees we constructed that canal, but due to Ravi Treaty we get water only two months in a year and we could not utilise it. Very small land used to come under this for the purpose of irrigation. Now Pakistan will get water from the Mangla Dam, and as you said we would also be benefitted from it. I want to know whether water for the Kathua Canal would be available for the whole year.

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नहर को कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध होगा और क्या यह पानी सारे वर्ष मिलता रहेगा या केवल कुछ ही महीने उपलब्ध रहेगा ।

डा० कु० ल० राव : मैं मननीय सदस्य की इस राय से सहमत हूं कि हमें कथुआ नहर को पानी सारे वर्ष उपलब्ध कराने के लिये भरसक प्रयत्न करने चाहिये । करार के अनुसार काश्मीर को केवल 4 प्रतिशत पानी प्राप्त करने का अधिकार है । इसी लिये हमे रबी और खरीफ के फसल के मौसम में पानी दे रहे हैं ताकि कथुआ नहर में सारे साल पानी रहे । कथुआ नहर को कितना पानी दिया जायेगा यह बताना सम्भव नहीं ।

श्री वी० चं० शर्मा : इन सब बातों के बावजूद भी हम इंडस करार का स्वागत करते हैं क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के मुख्य विवाद की समाप्ति हुई है। इस करार की कार्यवाही दोनों पक्षों की ओर से न होकर एकपक्षीय रही है यह करार भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के अधिक अनुकूल है । इस सम्बन्ध में मैं उदाहरण दे सकता हूँ कभी यह कहा गया था कि हमारे इंजीनियर पाकिस्तानी इंजीनियरों से मिलेंगे, परन्तु उन्होने हमारे इंजीनियरो से मिलने से इन्कार कर दिया। वे वहाँ गये, परन्तु इन्हें पाकिस्तानी इंजीनियरों से बिना मिले लौटना पड़ा क्योंकि पाकिस्तानी इंजीनियर उनसे मिलने के लिये तैयार न थे। जहाँ तक इस करार के कार्य करने का प्रश्न है पाकिस्तान ने इसको पूरा करने की बजाये इसको तोड़ने की दिशा में अधिक कार्य किया है । मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि इस बात की क्या गारंटी है कि 1970 में हमे राबी, ब्यास और सतलज के सारे पानी का प्रयोग करने दिया जायेगा। मुझे विश्वास है कि उस समय पाकिस्तान कोई और आपत्ति उठायेगा।

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने जो कहा वह सच नहीं है क्योंकि उस करार को ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा है । समझौते के अनुसार हमारे आयुक्त समय समय पर वहां जा रहे हैं । जहाँ तक इस बात का भय है कि हमे पानी नहीं मिलेगा तो, माननीय सदस्य को मैं याद दिला दूं कि पानी पमारे हाथ में हैं और हम इसे रोक सकते हैं ।

श्री वी० चं० शर्मा : हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि हमारा राष्ट्र मित्रता में विश्वास रखता है ।

डा० कु० ला० राव : करार के अनुसार यदि पाकिस्तान रुपया नहीं देता या उसे पानी की आवश्यकता नहीं है तो हम पानी रोक सकते हैं ।

Shri Ram Kishan : According to him 1970-71 India will get the water of Beas, Ravi and Satluz by 1970—71. So far as the question of Ravi river is concerned, its water is being supplied for the completion of Mangla Dam. Mangla Dam has been completed now. I want to know whether we are immediately going to withdraw water worth irrigating six lakh acre which is being given to Pakistan, so that Punjab may be benefitted as a result of it? You are of the view that by 1970-71 water will be supplied to Beas, Ravi and Satluz. Discussion was made on the Indus Agreement to Parliament in 1965. During the last session you hold that Pong and Satluz Line would be complete din 1971 and 1972. If Pakistan

completes all its projects by 1970 even then water would be supplied it two years or you will supply this water to India after that. If you want to utilise that water for India whether some projects have been prepared for them and if so when they are expected to be completed ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने 1970 के पश्चात पानी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में कहा । वास्तव में हम 1970 के बाद से हमें पूरे पानी के प्रयोग का अधिकार है। प्रश्न यह है कि क्या व्यास बांध की अनुपस्थिति में इसका प्रयोग करना सम्भव हो सकेगा । यह प्रश्न भिन्न है यदि व्यास बांध तैयार नहीं होता तो हम सब पानी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसी कारण से हम व्यास बांध को बनाने में यथासम्भव शीघ्रता कर रहे हैं । यह सच है कि व्यास बाँध के न बनने पर हम सब पानी का, जिस पर हमारा अधिकार है, प्रयोग कर सकने में असमर्थ रहेंगे । परन्तु यह प्रश्न भिन्न है। जहाँ तक पाकिस्तान से समझौते का प्रश्न है, 1970 के पश्चात हम तीनों पूर्वी नदियों का यथा सम्भव पानी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

*211. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** **श्री प० गोपालन :**
श्री राममूर्ति : **श्री नम्बियार :**
श्री नायनार : **श्री चक्रपाणि :**
डा० रानेन सेन:

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि **भारतीत तेल निगम के कर्मचारियों** ने अपनी मांगें **मनवाने के लिए हड़ताल का** नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) **सरकार** ने इस विवाद को निवटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) से (ग) भारतीय तेल निगम लि० ने 1966-67 के लिए आरम्भ में 4 प्रतिशत बोनस देने की घोषणा की । इसके तत्काल ही कर्मचारियों की यूनियनों ने 20 प्रतिशत बोनस की मांग को मनवाने के लिए अलग-थलग आन्दोलन शुरू किये, जिसमें "कार्य न करो" हड़ताल तथा देश के विभिन्न भागों की हड़तालें शामिल थीं । प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच

लम्बे विचार विमर्श के बाद एक समझौता हुआ जिसके अनुसार प्रबन्धक 1966-67 के लिए, मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत, बोनस के रूप में देने के लिए सहमत हो गये । इस समझौते को ध्यान में रखते हुए यूनियनें भी सामान्य रूप से पुनः कार्य करने के लिए सहमत हो गईं ।

भारतीय लोगों द्वारा विदेशों में होटल खोले जाना

*212. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय होटल तथा रेस्टोरैन्ट मालिकों को बड़े पैमाने पर विदेशों में होटल तथा रस्टोरेंट खोलने के लिये प्रोत्साहन दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिये क्या प्रोत्साहन दिया गया हैं ; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) विदेशों में होटलों तथा रस्टोरेंट के खोलने के लिये प्रोत्साहन देने की कोई विशेष योजना नहीं है । विभिन्न कम्पनियों से इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर विदेशों में पूंजी लगाने की सामान्य नीति को ध्यान में रख कर विचार किये गये हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय आय

*213. **श्री मरंडी :** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने राज्यों की राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन किया था, उससे यह पता लगा है कि तीन पंच वर्षीय योजनाओं के बावजूद राष्ट्रीय आय में बहुत कम वृद्धि हुई है और अन्तर्राष्ट्रीय असमानताएं एवं विषमताएं कम नहीं हुई हैं ; और

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :

(क) तीन वर्षों 1950-51, 1955-56 और 1960-61 के अनुमान राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने राज्य के अनुमानों के अध्ययन शीर्षक से प्रस्तुत किये हैं । इस अध्ययन के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय में वास्तव में प्रथम दो योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी अनुमान की 44 प्रतिशत की तुलना में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । परिषद् द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता लगा है कि 1950-51 और 1960-61 में प्रति व्यक्ति आय में अन्तरराज्य असमानता में बहुत अधिक कमी नहीं हुई है । यद्यपि राज्य की प्रति व्यक्ति अधिकतम और न्यूनतम आय का अन्तर धीरे-धीरे घट गया था । राज्य सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा

तैयार किये गये अनुमानों से ये अनुमान भिन्न हैं। राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया जटिल है और न केवल क्षेत्र और किस्म में अन्तर होने के कारण मतभेद है परन्तु आंकड़े बनाने के तरीके के कारण भी अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि परिषद् द्वारा तैयार किये गये अनुमान कहाँ तक विश्वसनीय हैं ;

(ख) राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी का सम्बन्ध अर्थ व्यवस्था में लगाई पूंजी और दूसरी बातों पर निर्भर है। चौथी योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर राष्ट्रीय आय लक्ष्य में तेजी होगी तथा घरेलू बचत और पूंजी लगाने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

सेवा निवृत भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

* 214. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछला सेवा निवृत्त भारत का नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में बहुत से औद्योगिक सार्थों के निदेशक के पद काम पर कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो सेवा से निवृत्त होने के पश्चात ऐसे अधिकारियों को किसी पद को स्वीकार करने की अनुमति न देने की सामान्य नीति से इस मामले में छूट दी जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) 1966-67 के आयकर निर्धारण वर्ष में पिछले भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की कुल कितनी आय थी और उसने कुल कितना आयकर दिया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) तत्काल-पूर्व सेवानिवृत्त नियंत्रक तथा लेखा महापरीक्षक श्री ए० के० राय को सरकारी क्षेत्र की किसी भी औद्योगिक कम्पनी का निर्देशक नियुक्त नहीं किया गया है। प्राप्य जानकारी के अनुसार वे कई गैर-सरकारी कम्पनियों के निर्देशक का पद संभाले हुए हैं।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 148 (4) के अनुसार सेवा-निवृत्त होने के बाद नियंत्रक तथा लेखा महापरीक्षक को भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सेवा-निवृत्ति होने के बाद श्री ए० के० राय को केन्द्रीय सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। सेवा-निवृत्ति के बाद में इन कम्पनियों में निदेशक का पद स्वीकार करने के पूर्व उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक नहीं था।

(ग) सन् 1966-67 के लिये कर निर्धारण हेतु श्री ए० के० राय ने अपनी कुल आय 48,800 रुपये घोषित की थी तथा 10,601.14 रुपये आयकर दिया था।

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के दौरान उनके पुत्र का उनके साथ जाना

*215. **श्री गणेश घोष :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :
श्री राम मूर्ति :
श्री चक्रपाणि :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री नायनार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही की उनकी विदेश यात्रा के दौरान उनका पुत्र भी उनके साथ गया था ;

(ख) उनके पुत्र ने किस किस देश की यात्रा की और उसे कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्पूर्ण यात्रा के दौरान उसे राजनयिक के रूप में सम्मान दिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हां।

(ख) इसने कुल 30 दिन तक ब्रिटेन, अमरीका, ब्राजील, ट्रिनिडाड, वेनेजुला, जर्मनी और फ्रांस की यात्रा की और उसको खर्च के लिये प्रतिदिन 3 पौण्ड दिया गया ।

(ग) और (घ) अन्तराष्ट्रीय परम्परा के अनुसार संभ्रान्त जनों और केन्द्रीय मंत्रियों, जिनके साथ उनके पुत्र दौरा कर रहे हों, को दिये जाने वाला व्यवहार उसके साथ किया गया ।

नेफ्था का अभाव

* 216. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) यदि उर्वरकों के उत्पादन के कार्यक्रम का विस्तार निधारित समय में होता है तो क्या वर्ष 1970-71 तक नेफ्था की बहुत कमी हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन

*217. **श्री श्रीधरन :** **श्री विश्वम्भरन :** **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री मणीभाई जे० पटेल :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 1 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 211 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन का त्रुटिपूर्ण रेखांकन करने के लिये किन्हीं व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे व्यक्ति कौन-कौन हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता):

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा

*218. **श्री अटल बिहारी वाजपेई :** **श्री श्रीचन्द्र गोयल :** **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री शारदा नन्द :** **श्री ना० स्व० शर्मा :** **श्री वेणीशंकर शर्मा :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के 'नौकरी की सुरक्षा' की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त):

(क) जी, हाँ ।

(ख) इस मामले की जाँच करना जीवन बीमा निगम का काम है ।

लक्ष्मी कमर्शल बैंक

*219. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वित्त** मंत्री 15 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी कमर्शल बैंक के मामलों के संबंध में की जा रही जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) 15 जून 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 का उत्तर नकारात्मक में दिया जा चुका है अतः इस सम्बन्ध में जांच या रिपोर्ट में प्रगति का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी बैंक में जमा किये गये रुपये के मामले में आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल का कार्य संचालन

*220. **श्री यशपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में लिखे गये लेख की ओर आकर्षित कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बी० एस० मूर्ति) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार कर रही है।

आय, मजूरी और मूल्यों के संबंध में भारत के रिजर्व बैंक के कर्णधार दल का प्रतिवेदन

*221. **श्री राम कृष्ण गुप्त : श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या वित्त मंत्री 20 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6203 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आय, मजूरी और मूल्यों के बारे में भारत के रिजर्व बैंक के कर्णधार दल के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) प्रतिवेदन अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

Admission to Medical Colleges in Delhi

*222. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students securing First Division in Delhi are unable to get admission to the Medical Colleges in Delhi ;

(b) if so, the number of such students who did not get admission in Delhi during the last three years ; and

(c) the time by which Government propose to open a new Medical College in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development :(Shri B. S. Murthy) (a) Yes, Sir.

(b) Out of three Medical Colleges in Delhi, admissions to the Lady Hardinge Medical College and Maulana Azad Medical College are made on merit on the basis of marks obtained by them in the qualifying I. Sc/B. Sc. Examination. 59 students who secured first division in their previous qualifying examination could not get admission in these colleges during the last three years.

Admissions in the All-India Instiute of Medical Science are made on tho basis of a competitive entrance examination. As such the division of the candidates who could not be admitted does not have any relevance.

(c) The establishment of a new Medical College at Delhi is under consideration. No decision in the matter has yet been taken.

राज्यों द्वारा भारत के रक्षित बैंक से अधिक धन निकाला जाना (ओवरड्राफ्ट)

*223. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री जू० कि० मंडल :**
श्रीमती तारा सप्रे : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी : **श्री सम्बन्धन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने भारत के रक्षित बैंक से निकाली गई अधिक राशियों का अभी तक हिसाब नहीं चुकाया है ; और

(ख) नियत राशि से अधिक राशि निकालने की राज्य सरकारों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर और राजस्थान ने अभी तक रिजर्व बैंक से निकाली गई अधिक राशियों का हिसाब नहीं दिया है ।

(ख) राज्य सरकारों को उनके कार्योपाय में लचक लाने के लिये पिछले मार्च से रिजर्व बैंक ने बैंकों को अस्थायी तौर पर अधिक सुविधाएँ दी थीं । बैंक ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि भविष्य में अनाधिकृत अधिक राशि निकालने के मामले में बैंक इसके भुगतान को रोकने पर मजबूर होगा । इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक सम्बद्ध राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है ।

नीमच अफीम कारखाने से अफीम की चोरी

* 224. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीमच के अफीम कारखाने से अफीम की चोरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) इसमें कितनी हानि हुई है ; और

(घ) ऐसी चोरियां न हों, इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं, नीमच स्थित अफीम कारखाने से अफीम की किसी चोरी का सरकार को कोई पता नहीं है। यह अवश्य है कि

मंदसौर स्थित अफीम के गोदामों से अफीम की एक चोरी का सरकार को 15-9-1967 को पता चला। विभाग को अब तक कुल 628.500 किलोग्राम वजन को 18 बोरियों के घाटे का पता चला है।

(ख) मंदसौर में हुई चोरी में हाथ होने के सन्देह में पुलिस ने अब तक 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ग) 19,325.34 रुपये।

(घ) मंदसौर, नीमच और गाजीपुर स्थित अफीम कारखानों में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के सवाल पर सरकार विचार कर रही है।

श्री बीजू पटनायक की फर्मों से आयकर की बकाया राशि

*225. **श्री हेम बरुआ : श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री मोलहू प्रसाद : श्री रवि राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बीजू पटनायक की फर्मों, जैसे कलिंग एयरवेज, कलिंग ट्यूब्स इत्यादि से आयकर की कुल बकाया राशि का निर्धारण किया गया है ;

(ख) क्या उनसे आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। कुछ कर-निर्धारण किये जा चुके हैं जबकि बाकी में अभी भी कर-निर्धारण की कार्यवाही हो रही है।

(ख) जी हां।

(ग) पेशगी कर के अतिरिक्त, 1967-68 में 1,18,000.00 रुपये की रकम वसूल की गई है। 1961-62 से 1966-67 तक के वर्षों में वसूल की गई रकमों का ब्योरा प्राप्त किया जायगा और सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

विदेशी तेल कम्पनियों की तेल साफ करने की क्षमता

*226. **श्री अब्राहम : श्री रमानी :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी तेल कम्पनियों की तेल साफ करने की दस लाख टन क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी तेल कम्पनियों ने तेल शोधन क्षमता को 12.50 लाख टन से बढ़ा कर 35 लाख टन कर दिया है जो उनकी लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) तीन गैर-सरकारी शोधनशालों में से एक (एस्सो) ने इस प्रकार का एक दावा किया है। अन्य दो शोधनशालाओं (बर्मा शेल और कालटैक्स) ने भी दावा किया है कि वे इस समय साफ की जा रही कच्चे तेल की मात्रा के अतिरिक्त कुछ और मात्रा साफ कर सकते हैं ।

(ख) तीन गैर-सरकारी शोधन शालाओं में आयातित कच्चे तेल को साफ करने की वर्तमान क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 7.5 मिलियन मीटरी टन है जबकि मूलतः लाइसेन्स प्राप्त क्षमता प्रति वर्ष 3.875 मिलियन मीटरी टन है ।

(ग) और (घ) कम्पनियों ने सूचित किया है कि क्षमता में इन वृद्धियों को द्विवकत दूर करने के उपायों (डीबाटल नैकिंग मैजर्स) तथा सुधार किये हुए चालन दक्षता (इम्प्रूवड आपरेशनल एफीशियंसी) को अपनाने से सुरक्षित किया गया है ।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिये ड्रम

*227. **श्री समर गुह :** **श्री जार्ज फारनेन्डीज :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन ने ड्रम सप्लाई करने के लिये हिन्द गाल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता को आदेश दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस कम्पनी के लिये इस्पात की चादरें नियत करने के हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये हैं, जिससे कि वह ड्रमों का निर्माण कर सके और इण्डियन आयल कारपोरेशन को निरन्तर ड्रम दे सके ;

(ग) क्या इस कम्पनी ने कहा है कि ड्रमों का निर्माण करने तथा इन्हें निरन्तर रूप से ड्रम इण्डियन आयल कारपोरेशन को देते रहने के लिये उसके पास इस्पात की चादरों का पर्याप्त स्टाक है ; और

(घ) यदि हां, तो सपलायरस कारपोरेशन नामक कलकत्ता की एक कम्पनी को 48 रुपये प्रति ड्रम की दर के काफी अधिक दर पर ड्रम देने के लिये अतिरिक्त आदेश दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी हां । 24-10-1966 को भारतीय तेल निगम ने 2.50 लाख ड्रम सप्लाई करने के लिये मैसर्ज हिन्द गाल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को आदेश दिया था ।

(ख) इस आदेश की पूर्ति के लिये उन्हें आवश्यक इस्पात का कोटा दिया गया।

(ग) जी नहीं ।

(घ) 48 रुपये प्रति ड्रम की दर से सपलायरस कारपोरेशन का ड्रमों की सप्लाई के आदेश दिये गये थे क्योंकि भारतीय तेल निगम द्वारा अदा किये जाने वाली कीमत से सम्बंधित झगड़े के कारण मैसर्ज हिन्द गाल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड ने सप्लाई स्थगित कर दी थी अत्यधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारतीय तेल निगम ने जरूरी पूछ ताछ के पश्चात ड्रमों की वैकल्पिक खरीद सपलायरस कारपोरेशन तथा अन्य स्थानों से की।

बम्बई के एक करोड़पति के विरुद्ध कार्यवाही

* 228. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच अभिकरणों के द्वारा 24 नवम्बर, 1966 को मारे गये छापों से उत्पन्न बम्बई के श्री रुइया के धनकर के मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) छापों के दौरान पकड़े गये जेवरात, दस्तावेजों आदि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या श्री रुइया को छापों के बारे में उनके मंत्रालय अथवा सम्बद्ध कार्यालय से सम्बन्धित किसी व्यक्ति से सूचना मिल गई थी;

(घ) क्या जेवरात का मूल्य कम लगाया गया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो यदि जाँच की गई है तो उसका क्या परिणाम निकला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) (i) 1.61 लाख रुपये मूल्य के जवाहरात तथा सोने के सावरन पकड़े गये थे।

(ii) बही-खाते तथा दस्तावेज।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) यह पाया गया कि 1·61 लाख रुपये मूल्य के जवाहरात तथा सौवरन धन-कर निर्धारण के निमित्त विवरणों में बिल्कुल ही नहीं दिखाये गये थे तथा धन कर निर्धारणों के लिये दाखिल की गई विवरणियों में जो जवाहरात 17.24 रुपये मूल्य के बताये गये थे उनका मूल्यांकन कराने पर वे 25.67 लाख रुपये मूल्य के पाये गये।

1959-60 से लगा कर 1962-63 तक के धन कर का फिर से निर्धारण करने की कार्यवाही की जा रही है। 1963-64 के कर निर्धारण की कार्यवाही अभी चालू है। इन कर निर्धारणों से सही मूल्यांकन को ग्रहण किया जायगा।

पारादीप बन्दरगाह

* 229. **प्र० के० देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब केन्द्रीय सरकार ने पारादीप बन्दरगाह को अपने नियंत्रण में लिया

था क्या तब उड़ीसा की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पारादीप बन्दरगाह के निर्माण से सम्बन्धित उसके दायित्व तथा उसकी आस्तियों को लेने के लिये कहा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके दायित्व क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पारादीप बन्दरगाह के निर्माण से सम्बन्धित दायित्व लेने का निर्णय कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने पारादीप परियोजना में 15.69 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई थी और यह रकम उड़ीसा सरकार को उसके अनुरोध पर तथा उसकी अर्थोपाय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए विविध विकास ऋणों के जरिए पेशगी दी गई थी । जब केन्द्र ने 1 जून, 1965 को इस बन्दरगाह को अपने हाथ में ले लिया तो उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया कि इस सारी रकम की उसे व्ययपूर्ति की जाय ; भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया है कि वह उसके अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है ।

(ग) भारत सरकार इस बन्दरगाह परियोजना की वित्त-व्यवस्था इसे अपने हाथ में लेने के समय से ही करती चली जा रही है । 1 नवम्बर 1967 से पारादीप को बड़े बन्दरगाह का रूप दे देने से, इस तारीख से पहले केन्द्र सरकार अथवा उड़ीसा सरकार द्वारा इस बन्दरगाह के प्रयोजनों के लिए किया जाने वाला पूंजीगत व्यय, केन्द्र सरकार अथवा उड़ीसा सरकार द्वारा बन्दरगाह को उपलब्ध की गई पूंजी के रूप में माना जायगा । ऐसी पूंजी को वापस करने की जिम्मेदारी पारादीप बन्दरगाह की होगी ।

सरकारी उपक्रमों द्वारा मंत्री का सामना करना

*230. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिये गये इस आश्वासन को पूरा करने के लिये कि रेलवे सहित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा विभिन्न उद्योगों विशेषतः इंजीनियरिंग उद्योगों को अग्रिम क्रयादेश देकर मंदी का मुकाबला किया जायेगा, अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस प्रकार के कुल कितने आदेश दिये गये तथा 1967-68 के लिये कितनी तथा 1968-69 के लिये कितने; और

(ग) सरकार का विचार इन क्रयादेशों को दिए जाने के बारे में किस प्रकार शीघ्रता करने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा मंत्री का मुकाबला करने के उद्देश्य से किये गये कार्यों में देश में 1968-69 के इंजन बनाने के कार्यक्रम अन्तर्गत में देश में निर्मित होने वाले 4030 माल डिब्बों के अतिरिक्त रेलवे द्वारा 16,000 माल डिब्बों को प्राप्त करने के लिये दिया गया अग्रिम क्रयादेश और बोकारो स्टील प्लान्ट द्वारा ढांचों के लिये 1·5 लाख रुपयों के टेन्डरों का दिया जाना शामिल है । यहां यह भी कहा जाना उपयुक्त होगा कि

सरकार ने सरकार और गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थित सभी परियोजनाओं के लिये आवश्यक मशीनों का पता लगाने का निर्णय किया है ताकि विभिन्न निर्माताओं द्वारा उत्पादन कार्यक्रम में उचित परिवर्तन कर देश में ही अधिकतम उपकरणों को बनाना सम्भव हो सके ।

औद्योगिक वित्त निगम

*231. **श्री म० ला० सौंधी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के औद्योगिक वित्त निगम, का कार्य, जून, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में, संसाधनों के अभाव के कारण बहुत ही सीमित रहा है;

(ख) क्या निगम राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं को भी नये ऋण देने पर उत्तरोत्तर प्रतिबन्ध लगाने पर बाध्य हुआ था;

(ग) क्या निगम ने संयोजकों पर इस बात के लिये जोर दिया कि वे परियोजना लागत में अपना निजी अंशदान बढ़ाकर अथवा अपनी परियोजनाओं को स्थगित करके या उन्हें कई चरणों में पूरा करके वित्तीय अनुशासन का पालन करें; और

(घ) क्या आगामी वर्षों में निगम को पर्याप्त धन देने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का कार्यकलाप 30 जून, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में, साधनों की कमी के कारण, कुछ हद तक सीमित रहा ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां । निगम ने प्रवर्तकों (प्रोमोटर) को सलाह दी है कि वे प्रायोजनाओं की लगात में अपने अंशदान को बढ़ाकर और अपनी गैर-जरूरी योजनाओं को स्थगित और या दौरों में बांटकर अधिक वित्तीय अनुशासन रखें ।

(घ) सरकार निगम को उसके कार्यों के लिए यथासंभव साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दल का भारत का दौरा

*232. **श्री मयावन :** **श्री यशपाल सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1967 के अन्तिम सप्ताह में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पांच सदस्यीय अधिकृत दल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था ;

(ग) उन्होंने किन-किन विषयों पर चर्चा की; और

(घ) उनका दौरा किस सीमा तक सफल रहा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमानुसार कोष और विदेशी मुद्रा पर प्रतिबन्ध रहने वाले सदस्य देशों के बीच प्रतिवर्ष विचार-विमर्श होता है । तदनुसार मुद्रा कोष के एक दल ने 25 अक्तू-

बर और 9 नवम्बर, 1967 के बीच भारत सरकार से बातचीत की। चूँकि यह बातचीत 1967 के दौरान भारत की सामान्य आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के रूप थी, इसीलिए दल की यात्रा की सफलता या असफलता का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो

*233. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी परिभाषा के अनुसार सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो का क्या कार्य है;

(ख) क्या इस ब्यूरो का कार्य निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार चल रहा है और यदि हां तो किस प्रकार चल रहा है; और

(ग) सरकार ने इस ब्यूरो की स्थापना के स्थान के बारे में क्या निर्णय किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त):

(क) सरकारी उपक्रमों, सेवा, समन्वय मूल्यांकन तथा सम्बन्धित मंत्रालयों में एजेन्सी के रूप में कार्य करते हैं।

(ख) जी हां, सरकारी उपक्रमों को चार विभागों में गठन किया गया है वह हैं निर्माण, उत्पादन, सामान्य प्रबन्ध और वित्त। इनमें से प्रत्येक विभाग दो प्रकार के कार्य करते है पहले विभाग दिन प्रति दिन के मामले में समन्वय और सहायता से सम्बन्ध रखता है और दूसरा उपक्रमों के उत्पादन में सुधार और लाभ के उद्देश्य से क्षेत्रों की विशेष समस्याओं का अध्ययन करता है।

(ग) इस समय सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो वित्त मंत्रालय का एक भाग है। प्रशासन सुधार आयोग ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सम्बन्धी रिपोर्ट में वर्तमान प्रबन्ध को जारी रखने की सिफारिश की है।

नेफ्था और मोटर स्पिरिट का निर्यात

*234. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी जो कोचीन तेल शोधक कारखाने में भागीदार है कम्पनी से हुए समझौते के अनुसार नेफ्था और मोटर स्पिरिट जैसे फालतू उत्पादों का निर्यात करने में असफल रही है ? और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) निर्यात अभी तक वायदे के अनुसार नहीं हो सका।

(ख) निर्यात के लिये कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रस्तावों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया इस प्रश्न पर निकट भविष्य में मेसर्ज फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श करना है ताकि ऐसे निर्णय, जो सब पार्टियों को स्वीकार हों, लेने की कोशिश की जाये।

स्टाक एक्सचेंज

*235. डा० रानेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सट्टेबाजी को रोकने के लिये स्टाक एक्सचेंजों के काम का विनियमन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जी हाँ, सरकार का विचार है कि कुछ ऐसी व्यवस्थायें की जायें जिनसे अस्वस्थ सट्टेबाजी पर रोक लग सके ।

(ख) सरकार ने कुछ सट्टा बाजारों की मान्यता की अवधि बढ़ाते समय, पहले उपाय के रूप में, कुछ शर्तें निर्धारित की हैं; जैसे कि सरकार की मंजूरी से एक स्वतन्त्रपूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, जो प्रबन्धक बोर्ड पदेन का सदस्य हो और सट्टा बाजार के प्रशासन सम्बन्धी दैनिक कार्य का कार्यभारी अधिकारी हो । ये शर्तें इसलिए रखी गयी हैं कि सम्बद्ध सट्टा बाजार में उचित लेनदेन हो । एक विभागीय समिति इस बारे में अन्य प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

बरौनी में ड्रम कारखाना

*236. श्री स० मो० बनर्जी : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने सरकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिये बरौनी में ड्रम कारखाना स्थापित करने के हेतु हिन्द गाल्वनाईजिग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के साथ प्रारूप समझौता किया है;

(ग) यदि हाँ, तो समझौते की शर्त क्या हैं?

(ग) क्या यह प्रारूप समझौता करने के पूर्व इस बात को ध्यान में रखा गया था कि उक्त फर्म के विरुद्ध इण्डियन आयल कारपोरेशन के साथ लेनदेन में कतिपय कदाचार का आरोप लगाया गया था; और

(घ) क्या वर्तमान रचक यंत्रों की कुछ क्षमता बेकार नहीं पड़ी हुई है जिसका इण्डियन आयल कारपोरेशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये बरौनी में उपयोग किया जा सके ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) भारतीय तेल निगम ने मेसर्ज हिन्द गाल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के सहयोग से बरौनी में एक ड्रम कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया था । परन्तु प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है । बरौनी में भारतीय तेल निगम के लिये अपेक्षित बैरल्स (barrels) को अब सामान्य ढंग से वर्तमान विरचकों से खरीद कर पूरा किया जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री

*237. **श्री इन्द्रजीत गुप्तः** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ती दरों पर मकानों के पूर्व-निर्मित ढांचे बनाने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी की क्षमता कुछ बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व-निर्मित ढांचों की तकनीक को विभिन्न राज्यों की औद्योगिक तथा निम्न आय वर्ग गृह निर्माण योजनाओं में लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति की गई है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं। पूर्व निर्मित ढांचों के लिये आवश्यक बड़े पैमाने पर प्लान्ट और मशीनों के आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण पूर्व निर्मित ढांचे बनाने के कार्य में कारखाने की गतिबिधि में तेजी होना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि पुनर्वित्त निगम

*238. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्य का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) क्या निगम के कार्य में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त):

(क) सरकार के तीन वरिष्ठ अधिकारी निगम के निर्देशक बोर्ड में हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार निगम के कार्य संचालन से लगातार सम्पर्क रखती है और निगम के कार्य संचालन की कोई विशेष जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के मकानों के लिये भूमि दी जाना

*239. **श्री रवि राय :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने के लिए भूमि देने की योजना का कार्य कब आरम्भ किया गया था;

(ख) अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) यह कार्यक्रम ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत सितम्बर 1962 में आरंभ किया गया था।

(ख) इस समय केवल 4 राज्य इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। दिसम्बर,1966 तक विकसित किये गये तथा आवंटित किये गये मकान के स्थानों (हाउस साइट्स) की संख्या थी गुजरात में 68, केरल में 60 तथा मैसूर में 100, जबकि बिहार में इस प्रयोजन के लिए लगभग 10 एकड़ भूमि अर्जित की गयी थी।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम को ग्रामीण समुदाय के लिए एक सामाजिक कार्य के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हुए, चौथी लोक सभा की प्राक्कलन समिति (एस्टीमेट कमेटी) ने अपनी तीसरी रिपोर्ट (1967-68) में यह सिफारिश की थी कि इस कार्यक्रम की एक अलग योजना बनायी जाये। सिफारिश को योजना आयोग के पास भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी महीने में मद्रास में हुए आवास, नगर-विकास तथा नगर योजना के मंत्रियों के सम्मेलन में ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम पर हुए विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकारों पर इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने के लिए जोर डाला गया।

राजस्थान नहर परियोजना

*240. **श्री अमृत नाहाता:**
श्री शिव कुमार शास्त्री
श्री रामावतार शर्मा:
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री:
श्री प्रकाश वीर शास्त्री:
डा० सूर्य प्रकाश पुरी:
श्री रामजी राम:

क्या **सिचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान नहर परियोजना कितने चरणों में पूरी की जायेगी;

(ख) उक्त परियोजना के कितने चरण पूरे हो चुके हैं;

(ग) सारी परियोजना कब तक पूरी होगी;

(घ) क्या राजस्थान नहर को लूनी नदी से मिलाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) राजस्थान नहर परियोजना को दो चरणो में पूरी करने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण के अन्तर्गत राजस्थान फीडर की पूरी लम्बाई का निर्माण करना (पंजाब में 98 मील, हरियाना में 13 मील और राजस्थान में 23 मील) और राजस्थान नहर का सम्पूर्ण वितरण प्रणाली के साथ 121.8 मील लम्बा बनाया जाना। दूसरे चरण में राजस्थान नहर पर बकाया 292 मील निर्माण कार्य को सम्पूर्ण वितरण प्रणाली के साथ पूरा किया जाना।

(ख) प्रथम चरण पर कार्य में प्रगति है। अब तक हुई कार्य में प्रगति का व्योरा नीचे दिया गया है:—

(1) राजस्थान फीडर पूरी हो गई है।

(2) राजस्थान की मुख्य नहर 48.6 मील तक पूरी हो गई है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़

शाखाओं पर जहां कार्य चल रहा है, के अतिरिक्त इतनी दूरी पर सब मुख्य वितरण प्रणाली का कार्य पूरा हो चुका है ।

(3) मुख्य नहर के भागों पर 48.6 से 82 मील की दूरी पर कार्य चल रहा है यह आशा की जाती है कि मुख्य नहर पर और कार्य आरम्भ करने से पहले उठाऊ नहर पर 50 मील तक सब कार्य पूरा हो जायेगा ।

(ग) सम्पूर्ण परियोजना को 1977-78 तक पूरा हो जाना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(घ) और (ङ) राजस्थान नहर पर नौवहन की सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में राजस्थान नहर को लूनी नहर से मिलाने के सम्बन्ध में विचार किया गया था परन्तु अधिक कार्यक्रम खर्चीला होने के परिणामस्वरूप प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया ।

आंध्र प्रदेश में समाज कल्याण योजनायें

1432. श्री वि० नरसिम्हा राय : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में 1967-68 में अनुसूचित आदिम जातियों के समाज कल्याण पर कुल कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(ख) मैदानी और एजेंसी क्षेत्रो में खर्च की गई राशि का ब्योरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) 47.65 लाख रुपये ।

(ख) पूरे राज्य को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं और मैदानी तथा एजेंसी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग नहीं ।

Subsidy to Maharashtra for Supply of Electricity for Agricultural Purposes

1433. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount ef subsidy given to Maharashtra State for the supply of electricity for agricultural purposes during the years 1966-67 and 1967-68 ; and

(b) the amount spent for augmenting agricultural production in the state ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. L. K. Rao): (a) Nil.

(b) Does not arise.

Irrigation Schemes of Maharashtra

1434. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) the names of irrigation schemes for the Fourth Plan period proposed by the Maharashtra Government on which the Centre have taken a decision and the details thereof ; and

(b) the schemes on which the Centre have not taken any decision so far and the details thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) A statement is laid on the Table of the House.

[**Placed in Library See. No. LT—1687/67**]

(b) The Fourth Plan is yet to be finalised.

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋण सम्बन्धी नीति को उदार बनाना

1435. **श्री दामानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को उदार बनाने के फलस्वरूप उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों को कितनी-कितनी अतिरिक्त धनराशि अग्रिम दी गई है;

(ख) क्या विदेशो में भारतीय फर्मों द्वारा पूरी की जाने वाली निर्माण परियोजनाओं के सम्बन्ध में धन देने के लिये भारत के औद्योगिक विकास बैंक से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) नवम्बर के मध्य तक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अनुसूचित बैंक को विभिन्न उद्योगों को अग्रिम धनराशि आदि देने की स्वीकार की गई सीमा (1) माल बांधने के लिये अग्रिम धन की सहायता दिया जाना (2) बिल मार्किट योजना और भारतीय रुपयों तथा विदेशी मुद्रा में निर्यात बिलों का मूल्य क्रमश: 6.39,68.83 और 24.74 रुपये था ।

इन बिलों पर बट्टा देने के लिये निम्नलिखित उदारता बरती गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देशी मशीन की बिक्री से सम्बन्धित 2.79 करोड़ मूल कीमत के बिलों पर फिर से बट्टा दिया है ।

(ख) और (ग) अब तक निम्नलिखित सम्बन्धों में भारतीय औद्योगिक बैंकों को दो फर्मों से केवल दो अनौपचारिक जानकरियां प्राप्त हुई हैं:—(1) दूर संचार भवन का निर्माण करना (2) तेल शोधक पर लम्बे फासलों पर पाइप लाइन का बिछाना।

साबुन बनाने के कारखाने

1436. **श्री बाबूराव पटेल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विदेशी तथा भारतीय मालिकों के साबुन बनाने के कारखाने की संख्या कितनी है, उनके नाम क्या क्या हैं और वे कहां-कहां पर हैं तथा उनके द्वारा बनाए जाने वाले साबुनों और अन्य उत्पादों के क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक साबुन निर्माता द्वारा कितनी-कितनी पूंजी लगाई है, प्रत्येक कारखाने के निदेशकों अथवा मालिकों के क्या नाम हैं प्रत्येक कारखाने में कितना तथा कितने मूल्य का

उत्पादन प्रतिवर्ष होता है तथा उनके द्वारा बेचे जाने वाले साबुनों की किस्मो के नाम उनकी मात्रा लथा मूल्य कितना है;

(ग) प्रतिवर्ष कितना तथा कितने मूल्य का साबुन भारत में बेचा जाता है और किस्म तथा कम्पनीवार प्रतिवर्ष कितना तथा कितने मूल्य का साबुन निर्यात किया जाता है और किन किन देशों को निर्यात किया जाता है;

(घ) विदेशी समवायों द्वारा समवायवार प्रतिवर्ष लाभ की कितनी राशि विदेशों में भेजी जाती है;

(ङ) साबुन बनाने वालों को प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति दी जाती है, और साबुन बनाने के लिये प्रतिवर्ष किस-किस वस्तु का आयात किया जाता है और कितनी कितनी मात्रा में; और

(च) साबुन बनाने वाले प्रत्येक समवाय के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है और उनके वेतन आदि पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय होता है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) से (च) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

साबुन बनाने के कारखाने

1437. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृप करेंगेकि :

(क) पिछले दस वर्षों में साबुन बनाने वाले कारखानो में कितनी घातक घटनायें घटी;

(ख) साबुन बनाने के काम में कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा जीवन को होने वाले व्यावसायिक खतरों का व्योरा क्या है और श्रमिकों की सुरक्षा के लिये साबुन निर्माताओं द्वारा क्या-क्या पूर्वोपाय किये गये हैं;

(ग) सबसे अधिक लोकप्रिय छः किस्मो की साबुन का रासायनिक विश्लेषण क्या है, उनके साबुनों के नाम क्या हैं और उनके निर्माताओं के क्या नाम हैं तथा विभिन्न शासकीय शोधक पदार्थों का मनुष्य की त्वचा तथा स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है; और

(घ) प्रत्येक साबुन निर्माता द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष दिये गये आय-कर अधिकर तथा अन्य करों की राशि कितनी-कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

परिवार नियोजन

1438. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में (राज्यवार नसबन्दी ट्यूवेकटोमी के) आपरेशनों, लूप लगाने तथा परिवार नियोजन के अन्य उपायों के बारे में नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और

(ख) लूप लगवाने के कारण कितनी तथा किस प्रकार की शिकायतें पिछले छः महीनों में प्राप्त हुई हैं;

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री(डा० श्री० चन्द्रशेखर):

(क) दो विवरण–प्रथम जिसमें 1962 तक नसबन्दी किये गये व्यक्तियों और 1965 तक, जब लूप कार्यक्रम आरम्भ किया गया, लूप लगाये जाने के सम्बन्ध में विवरण है। दूसरे विवरण जिसमें, 1963-64 से पुराने गर्भ निरोधक उपायों (1962 से 1963 तक का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है) का प्रयोग किया गया, का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1688/67] तीसरे विवरण जिसमें दिसम्बर 1965 के अन्त तक ट्यूवेकटोमी के आपरेशनों के आंकड़े हैं, का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1688/67] इसके बाद ट्यूबेकटोमी के अलग आँकडें अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) लूप लगवाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है। फिर भी इस सम्बन्ध में विभिन्न चुने हुए क्षेत्रो में विस्तृत अध्ययन किया गया और उनके परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

[क] लूप लगवाने के बाद की शिकायतों में, समय के साथ-साथ और उसका प्रयोग महीनों तक करने के बाद कमी हुई है।

[ख] क्योंकि शिकायतों की तुलना में इसके निकलवाने के मामले बहुत कम हैं अतः सामान्यता शिकायतें क्षणिक है।

[ग] श्रोणि सूजन की घटनाएं बहुत कम हैं। उनके लगभग 1.6 प्रतिशत होने की सूचना मिली है।

[घ] कोई ऐसे अधिकृत वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं जिनसे यह सिद्ध हो सके कि लूप लगवाने और उसके परिणामस्वरूप रक्त बहने से अमीनिया के मामलों में वृद्धि हुई हैं। लूप लगवाने से हुए सामान्य रक्त के बह जाने की तुलना में अदूरदर्शी गर्भ से अमीनिया के होने की अधिक आशंका होती हैं।

घाटे की अर्थ व्यवस्था

1439. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1966–67 के घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में 4 अगस्त 1967 के 'ईस्टर्न इकॉनोमिस्ट' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में राज्यों को 108 करोड़ रुपये के ऋण का हिसाब दो बार लगाया गया था; और

(ग) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये मुद्रा सम्बन्धी आंकड़ों में वर्ष 1966–67 के लिये वित्त मंत्रालय के प्राक्कलनों की तुलना में घाटे कीं अर्थ व्यवस्था की राशि कम करवाने

के क्या कारण हैं जबकि रिजर्व द्वारा दिखाई गई राशि वित्त मंत्रालय के प्राक्कलनों से पहले सदा अधिक रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। 25 मई 1967 के बजट भाषण के पद 45 में जिन 313 करोड़ रुपये की कमी का उल्लेख किया गया वे 1966-67 के केन्द्रीय बजट की स्थिति से सम्बन्धित हैं और इसमें राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से ली गई अधिक धनराशि को समाप्त करने के लिये 108 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि भी शामिल हैं।

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये मुद्रा सम्बन्धी आंकड़े सरकारी क्षेत्र में रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये शुद्ध ऋण से सम्बन्धित हैं, वह बिल्कुल भिन्न मामला है अतः कमी होने वाले बजट आंकड़ों से भिन्न मामला है। पहले भी कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक के आंकड़े कम रहे हैं।

छावनी क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान

1440. **श्री रमेश चन्द्र व्यास :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों प्रतिष्ठानों में काम करने वाले ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी सेवा की अवधि 10 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है और जिन्हें अभी तक सरकारी क्वाटर नहीं मिले हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों को सरकारी क्वाटर देने और उन्हें राजधानी की भौगोलिक सीमा के अन्दर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के समकक्ष मानने के लिये क्या योजनाएं और प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) अलाटमेन्ट नियमों के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह निवास स्थानों के अलाट किये जाने के प्रयोजन के मामले में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को इसके लिये योग्य घोषित कर दे। छावनी क्षेत्र में स्थित कार्यालयों, प्रतिष्ठानों और दूसरे क्षेत्रों में जो सरकार द्वारा निर्धारित दिल्ली या नई दिल्ली की सीमा से परे हैं, उन कार्यालयों को सरकारी निवास स्थान के प्रयोजन के लिये योग्य घोषित नहीं किया गया है। अतः छावनी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारी 'सामान्य पूल' से निवास स्थान के अलाट किये जाने के योग्य नहीं है। अतः इन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का सरकार को ज्ञान नहीं है उनको निवास स्थान अलाट नहीं किये गये हैं।

चूंकि छावनी क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में स्थित कार्यालय जो इस प्रयोजन के लिये घोषित की गई सीमा के अन्तर्गत नहीं आते, इन कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की केन्द्रीय सरकार के दिल्ली नई दिल्ली भौगोलिक सीमा के अन्दर रहने वाले अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों को समकक्ष

मानने का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि निवास स्थानों की उपलब्धता पहले ही इतनी ही कम है ।

Messrs. Mckanzies Limited

1441. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 8695 on the 10th August, 1967 and state :

(a) whether Mersrs. Mckanzies Ltd. had deposited the full amount of income-tax for 1962-63 and whether Government had charged interest along with the arrears of income-tax and the reasons for the delay in depositing the amount of income-tax ;

(b) the amount of profits earned by this firm during the period from 1963 to March 1967, the amont of Income-tax assessed, the amount deposited by the firm and the amount still outstanding against this company ;

(c) the details of the amounts of purchases of raw material and other spare parts made by the firm from various Companies and firms and the names of those companies and firms and whether it is a fact that a sum of Rs. 74,14,448 has been unduly shown by them in their books in order to evade the income-tax ,

(d) the number of contracts entered into by this firm and the amount of each contract ;

(e) the name of the founder of the firm, the aims and objects of establishing the firm and whether Government have looked into the documents regarding its registration ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) The tax demand for assessment year 1962-63 has been fully paid by the Company. The question of charging interest does not therefore arise.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The details of purchases are not available. The Income-tax Department has no knowledge of any sum of Rs. 74,14,448 having been unduly shown by the campany in its books to evade income-tax.

(d) The company entered into 42 contracts of over one lakh of rupees each between the period from 1-8-1962 to 31-7-1967 and the amount of such contracts is aboout Rs. 57 crores. There is no information about the remaining contracts.

(e) M/s. Mckenzies Ltd. is a limited company established in 1907 and is not a firm. The aims and objects of the company are to carry on business as civil engineers, contractors and manufacturers of steel products. It is registered with the Registrar of Joint Stock Companies.

(f) Does not arise.

Documents Seized from a Bombay Broker

1442. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8701 on the 10th August, 1967 and state ;

(a) whether Government had taken possession of the papers mentioned in the documents seized from a broker in Bombay and the time-lag after which an enquiry into this matter was instituted ;

(b) the details of the action taken by Gevernment ;

(c) the names of 67 persons involved and the amount of Income-tax outstanding against them;

(d) the amount paid by them and the arrears still due and the reasons for the acc umulation of the arrears ;

(e) whether the enquiry into these cases has been completed ;

(f) if so, the details thereof ; and

(g) if not, when the enquiry is likely to be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) .

(a) The documents seized from Shri Jwala Dutt Bhoot indicated transactions with 67 parties. Immediate action was initiated in respect of all these 67 parties. There has been no time-lag.

(b) In six cases, searches were undertaken and in others investigations are being made.

(c) and (d) It will hamper the investigations if the names are disclosed at this stage.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

(g) In view of the large number of persons and number of transactions involved, it will not be possible to say when the investigations are likely to be completed. Every effort is being made to complete the investigations as early as possible.

Tawa Project

1443. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages likely to be got vacated as a result of the construction of the Tawa project in District East Nimad, Madhya Pradesh ;

(b) the number of families likely to be rehabiliated as a result thereof , and

(c) the steps taken to allot land and provide employment to the people who are likely to vacate their lands ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K· L. Rao).

(a) and (b) According to original proposals for a reservoir with FRL 1184.00, 19 villages would have had to be vacated, 12 fully and 7 partially, besides 32 forest villages, 697 families were affected. However, during the recent review it has been decided to

lower the FRL to RL 1166.00. The number of villages and families effected at this level has yet to be reported by the State Government.

(c) Due to paucity of resources there has not been much progress on the dam proper. As and when this is speeded up steps will also be taken simultaneously for rehabilitation of the people displaced from the reservoir area.

'पी फार्म'

1444. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश जाने वाले भारतीयों को पहले विदेशी मुद्रा । 'पी' फार्म के लिये रिजर्व बैंक को आवेदन पत्र देना पड़ता है;

(ख) क्या इस आवेदन पत्र के लिये कोई निर्धारित फार्म है; और

(ग) क्या यह आवेदन पत्र रिजर्व बैंक के गवर्नर को पत्र के रूप में दिया जाता है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । प्रत्येक भारतीय को जो भी विदेश जाना चाहता है उसे रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा या 'पी' फार्म के लिये आवेदन पत्र देना पड़ता है ।

(ख) जी, हां

(ग) एक आवेदन पत्र रिजर्व बैंक के गवर्नर को लिखा जाता है जिसमें यात्रा करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया जाता है जब तक रिजर्व बैंक को निर्धारित तरीके से यात्रा एजेन्टों द्वारा 'पी' फार्म प्रस्तुत नहीं किया जाता, रिजर्व बैंक द्वारा औपचारिक स्वीकृति नहीं दी जाती ।

कृषि वित्त निगम

1445. **श्री एस० आर० दीवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 के दौरान और 30 सितम्बर 1967 तक कृषि वित्त निगम द्वारा विशेष प्रायोजनाओं, मध्यम और लम्बी अवधि की प्रायोजनाओं के लिए ऋणों की मंजूरी के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) किन किन राज्यों को ऋण दिये गये हैं और उनमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं;

(ग) 31 मार्च 1967 तक और उस तारीख के बाद मंजूर किये गये ऋणों में से कितनी रकम का वास्तविक भुगतान किया गया है; और

(घ) कितनी प्रायोजनाओं पर विचार किया जा रहा है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) कृषि पुनर्वित निगम ने, 7 नवम्बर 1967 तक जो मंजूरियां दी हैं उनकी सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1689/67**] ।

(ग) 31 मार्च, 1967 तक जिन योजनाओं की मंजूरी दी गयी थी उनके लिए 7 नवम्बर, 1967 तक 775·54 लाख रुपये का वास्तविक भुगतान किया गया था। 31 मार्च, 1967 के बाद मंजूर की गयी योजनाओं के लिए यह रकम शून्य है।

(घ) इस समय 68 योजनाएं निगम के विचाराधीन हैं जिन पर कुल 8,533,47 लाख रुपया खर्च होगा ।

Seizure of Indian and Foreign Currency

1446. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 7894 on the 3rd August, 1967 and state :

(a) whether the investigation regarding the seizure of Indian and foreign currency has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) More than 50 persons are suspected to be involved in these transactions. Investigations against nine persons have been completed and adjudication proceedings initiated under the Foreign Exchange Regulation Act, 1947. Efforts are being made to finalise the enquiries in respect of the remaining persons expeditiously.

गुजरात को वित्तीय सहायता

1447. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य को विकास कार्यों के लिये प्रति वर्ष कुल कितना ऋण, अनुदान और राज सहायता दी जाती है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने विकास कार्यों के लिये गत पांच वर्षों में दी गई पूरी वित्तीय सहायता का उपयोग किया था ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्योरा क्या है ;

(घ) क्या गुजरात सरकार द्वारा किये गये विकास कार्य तथा उसकी प्रगति से केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है; और

(ङ) क्या इस राज्य की पिछड़ी स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार गुजरात सरकार को अधिक धनराशि देने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०. 1690/67]।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को दी गई सहायता का योजना में सम्मिलित स्वीकृत कार्य-क्रमों पर, जैसे कृषि कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास तथा सहकार, सिंचाई, बिजली, परिवहन तथा संचार, उद्योग समाज सेवा तथा अन्य विविध मदों पर पूरा पूरा उपयोग किया गया था।

(घ) विकास का समूचा कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के परामर्श से तैयार किया जाता है। जहाँ तक इन कार्यों की प्रगति का सम्बन्ध है, प्रति वर्ष वार्षिक योजना पर विचार विमर्श से पता चलता है कि विकास कार्य सामान्यतया सही तरह से हो रहा है ।

(ङ) केन्द्रीय सहायता की राशि निर्धारित करने के लिये विकास स्तर को ध्यान में रखा जाता है। अतः अधिक राशि नियत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पाक जल डमरू मध्य के आर-पार तस्कर व्यापार

1448. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और श्री लंका ने पाक जलडमरू मध्य के आरपार होने वाले तस्कर व्यापार को रोकने की कार्यवाही अभी हाल तेज कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत के तट की ओर अपराधियों का पता लगाने वाले दलों की संख्या बढ़ा दी गई हैं;

(ग) क्या बड़े पैमाने पर तस्कर विरोधी अभियान करने का विचार है जिसमें सेना और नौ सेना भी भाग ले सकती है ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य के सामान का तस्कर व्यापार होता है ;

(ङ) क्या यह तस्कर व्यापार कई वस्तुओं में होता है यथा औषधियों, ब्लेडों, कपड़े, शिशु आहार, मसाले, चावल और श्री लंका कों अटक;

(च) क्या दोनों ओर के सीमा शुल्क अधिकारियों को तेज नावों के न होने के कारण कठिनाई होती है; और

(छ) यदि हाँ, तो क्या दोनों देश इस प्रकार की शक्तिशाली नावों का एक संयुक्त पूल बनायेंगे जैसी नावें तस्कर व्यापार के कुछ दलों द्वारा प्रयोग में लायी जाती हैं ?

उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत की तरफ की सीमा पर निरोधक कार्यवाही बढ़ा दी गयी है। पाक जल डमरू मध्य आर पार तस्कर-आयात-निर्यात का रोकने के लिये श्री लंका सरकार द्वारा हाल ही में किये गये किन्हीं विशेष उपायों का सरकार को पता नहीं है।

(ख) जब जब आवश्यकता होती है संधान-कर्ता दलों की कर्मचारी संख्या को अतिरिक्त कर्मचारी देकर बढ़ाया जाता है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) चोरी छिपे लाये ले जाये गये माल की वार्षिक मात्रा का ठीक ठीक अनुमान लगाने के कोई साधन नहीं हैं।

(ङ) जी।

(च) भारत की तरफ की सीमा के दक्षिण-पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में गश्त के लिये शक्तिशाली लांचों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(छ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गुजरात में देशी चिकित्सा

1449. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये गुजरात सरकार को धनराशि नियत की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और क्या पूरी रकम दे दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) से (ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में देशी चिकित्सा प्रणाली के सम्बन्ध में गुजरात सरकार को केन्द्र द्वारा चालू की गई योजनाओं के लिये 1,44,000 रुपये नियत किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने वास्तव में 15,000 रुपये दिये थे ।

Ayurvedic Practitioners

1450. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the students who pass examinations from Ayurvedic Colleges in the State run by the Ayurvedic Boards are allowed to practise in any other State;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the steps which Government propose to take to remove this restriction?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development: (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) The Degrees and Diplomas awarded by various Faculties/Boards of Indian Medicines are generally recognised onreciprocal basis in different States.

(c) It is proposed to set up a Central Council of Indian Medicines to bring about uniformity in Ayurvedic Education and regulate the pratice which will include inter-State recognition of Degrees/diplomas.

औषधि अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में संशोधन

1451. श्री न० कु० साल्वे : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार औषधि और खाद्य पदार्थों में गैर-कानूनी सौदों और अपमिश्रण के सभी सिद्ध अपराधों के लिये कठोर तथा भयोत्पादक दण्ड की व्यवस्था करने के लिये औषधि अधिनियम 1940 और खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 में संशोधन करने का विचार कर रही है ।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 1964 में कुछ संशोधन पहले ही किये जा चुके हैं।

अस्पृश्यता के मामले

1452. **श्री अदिचन** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के लागू किये जाने से अब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) इनमें से कितने मामले अदालत में ले जाये गये ; और

(ग) इन मामलों के क्या परिणाम निकला ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूल रेणु गुह) : (क) 30।

(ख) 24

(ग) 6 मामलों में दण्ड दिया गया, 15 बरी हुए और तीन विचाराधीन हैं।

अन्धे बच्चों की शिक्षा

1453. **श्री मयाबन** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रयोग के तौर पर अन्धे बच्चों को दिल्ली में साधारण स्कूलों में भेजने की एक योजना बना रही है;

(ख) यदि हां; तो क्या उन स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की गई है;

(ग) इन अन्धे बच्चों के लिये क्या-क्या सुविधायें प्रदान करने का विचार है; और

(घ) क्या यह योजना अन्य राज्यों में भी आरम्भ की जा रही है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी हाँ।

(ख) इस कार्य के लिये दो अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) अन्धे बच्चों को, जो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, मुफ्त पुस्तकें तथा 15 रुपये का मासिक भत्ता दिया जायेगा।

(घ) प्रयोग के तौर पर इस योजना को केरल में भी लागू करने का विचार है।

दिल्ली पोलीटेक्निक के भैषजिक डिप्लोमा को मान्यता न दिया जाना

1454 **श्री कामेश्वर सिंह** :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पोलीटैक्निक के भैषजिक डिप्लोमा की भेषजालय की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा मान्यता नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) भारती भेषज परिषद् ने भेषज पाठ्क्रम में डिप्लोमा के लिये स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखे हैं और वह मान्यता प्रदान करने से पहले डिप्लोपा पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं का निरीक्षण

करती है। परिषद् ने 1965 और 1966 में दिल्ली पोलीटेक्निक द्वारा चलाए जा रहे भेषज पाठ्यक्रम डिप्लोमा का निरीक्षण किया था और कुछ कमियाँ दूर करने की सिफारिश की थी। अन्तिम निरीक्षण जून, 1967 में किया गया था और भारती भेषज परिषद् निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार कर रही है।

Foreign Motor Boats in Indian Waters

1455. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that motor-boats belonging to foreign countries approach coastal cities like Bombay, Goa etc. sailing with foreign goods such as gold, watches etc. in the Indian Ocean through Persian Gulf and supply these goods secretly to their agents in India with the help of Indian vessels; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check such unlawful activities of foreign vessels and their Indian agents?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Customs authorities have been equipped with fast sea-going launches. As a routine and on information, these launches patrol the sea. If any suspected vessels are found, they are rummaged. Intensive coastal patrolling is also undertaken.

Among the other important steps taken to check smuggling in general are : systematic collection and follow-up of information, rummaging of suspected vesseles and aircraft, launching of prosecution in suitable cases in addition to imposition of heavy penalties under the Customs Act and confiscation of contraband in departmental adjudications. In the field of legistation, the Custom Act now provides for imposition of heavier sentences of imprisonment as a result of prosecution where the market price of the goods seized is more than one lakh of rupees. In the case of seizures of gold, diamonds and watches there is a provision available in the Customs Act for placing the burden of proof that these goods are not smuggled, on the persons from whom they are seized. The scope of this provision has been recently extended to the following goods :—

(i) cosmetics;

(ii) mechanical lighters and flints therefor;

(iii) playing cards; and

(iv) safety razor blades.

Fee-Concessions in Famine Stricken areas of Bihar

1456. **Shri Ramavatar Shastri** : **Shrimati Sushila Rohatgi** :
Shrimati Tara Sapre :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have extended the period of fee-concession annou-

nced for the students of famine and drought-stricken areas of Bihar from three to six months;

(b) if so, whether the same has been communicated to Bihar Government and if so, when; and

(c) the amount granted to the Government of Bihar under this head?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) No, sir.

(b) Do not arise.

(c) For purposes of Central assistance, the Governmeut of India have approved an expeaditure not exceeding Rs. 40 lakhs, on account of remission of tuition fees of students of areas declared as famine areas by the state Government for a period of three months, within the overall ceiling of Rs. 42 crores for drought relief measures in the current year.

Medical Colleges in Villages

1457. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether some State Governments have written to the Central Government regarding their proposal to open Medical College in villages;

(b) if so, whether Government have taken any decision in this regard;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the assistance proposed to be given By Government for this purpose?

The Deputy Minister in the Miniotry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) to (c) Location of new medical colleges is within the discretion of State Governments. A specific proposal has been made only by the Government of Maharashtra for the establishment of a Medical College in Sewegram. It is presently under consideration.

(d) Central assistance for the establishment of new medical colleges is made available to the State Governments according to the pattern approved for the Fourth Plan. This involves 50% assistance both in respects of recurring as well as non-recurring expenditure.

The pattern of assistance for the proposed Medisal College at Sewagram has not yet been finalised.

संघ राज्य क्षेत्रों में मेडिकल कालेजों में दाखिला

1458. **श्री हेमराज** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भारत में संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न मेडिकल कालेजों में दाखिला लेने के लिये कितने विद्यार्थियों ने ग्रावेदन पत्र दिये;

(ख) कितने विद्यार्थियों को दाखिला मिला और कितने विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया गया तथा उन विद्यार्थियों की श्रेणी क्या थी जिनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गये; और

(ग) उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे परन्तु फिर भी उन्हें दाखिल कर लिया गया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) 1967 में संघराज्य क्षेत्र में मैडिकल कालेजों में दाखिले के लिये 6829 विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र दिये थे। उनमें से 454 दाखिल कर लिये गये हैं और बाकी विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया गया हैं। उन विद्यार्थियों की श्रेणी के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है जिन्हें सीटों के न होने अथवा न्यूनतम योग्यता न रखने के कारण दाखिला नहीं मिला।

(ग) एक।

उत्पादन शुल्कों में रियायतें

1459. **श्री अमृतलाल नाहाटा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी वर्ष के आयव्ययक में उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कुछ समय के पश्चात विभिन्न उत्पादन शुल्कों में की गई रियायतों का निर्माताओं को पुनर्भुगतान किया जाता है; और

(ख) क्या सरकार कुछ ऐसे उपाय करने की बात सोच रही है जिसमें ये भेदात्मक राशियां निर्माताओं को न मिलाकर उन उपभोक्ताओं को मिलें जिनमें उत्पादन शुल्क लगाये जाने और रियायत देने के बीच के समय में उच्च दरें ली गई थीं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जब किसी वर्ष के बजट में पेश किये किये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के प्रस्तावित करों में संसद द्वारा कमी की जाती है, तो अनिन्तम कर वसूली अधिनियम 1931 की धारा 5 के अनुसार, निर्माताओं को, कर-प्रस्ताव पेश करने के समय से लेकर, शुल्कों की वसूल की गई रकम की वापसी की मंजूरी देनी होती है। किन्तु जब केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में कटौती, केन्द्रीय सरकार द्वारा छूट सम्बन्धी अधिसूचना जारी करके की जाती है तो पिछली अवधि में वसूल किये गये शुल्क की वापसी की मंजूरी तभी दी जाती है जब अधिसूचना में इस आशय की विशिष्ट व्यवस्था शामिल करके छूट को पिछली तारीख से लागू किया जाता है। शुल्क की दरों में सरकार द्वारा घोषित कटौतियाँ सामान्य रूप से आगे की तारीख से लागू की जाती हैं तथा कुछ बिरले और योग्य मामलो में ही उन्हें पिछली तारीख से लागू किया जाता है।

(ख) अनन्तिम कर वसूली अधिनियम 1931 की धारा 5 के अनुसार शुल्कों की वापसी की मंजूरी को, वापसी का लाभ उपभोक्ताओं को अन्तरिक करने की शर्त पर आधारित नहीं रखा जा सकता। किन्तु जिन मामलों में रियायत छूट-अधिसूचना द्वारा दी जाती है, और उसे पिछली तारीख से लागू किया जाता है, उन मामलों में सरकार इस बात का इतमीनान करने की यथासंभव, कार्यवाही करने का विचार करेगी कि वित्त विधेयक में शुल्क की दरों में वृद्धि करने अथवा शुल्क लागू किये जाने की तारीख से लेकर और रियायत घोषित होने के बीच की अवधियों निर्माताओंने जिस अन्तर से अधिक रकम वसूल की हो उसका लाभ निर्माता अपने पास न रख सकें।

सिंदरी उर्वरक कारखाना

1460. श्री गणेश घोष: 　　　　　　　　श्री राममूर्ति :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिन्दरी उर्वरक कारखाने में चल रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री एन० एन० मोदक से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसपर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों में प्रति व्यक्ति व्यय

1461. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न तरीकों से तीनों पंचवर्षीय योजनाओं और चौथी योजना के प्रथम वर्ष के दौरान राज्यवार प्रति व्यक्ति पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में सरकार योजना आयोग ने कोई रिपोर्ट तैयार की है। इस सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने ऐसी जांच को उच्च प्राथमिकता देना आवश्यक नहीं समझा है।

Accident in Oil Fields at Ankleshwar

1462. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether an accident occurred in the Ankleshwar Natural Gas Oilfields in September, 1967 ;

(b) whether any inquiry was held ; and

(c) if so, the findings thereof and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) :

(a) to (c) There was what appears to have been a delibarate attempt, during the period of the strike, to tamper with the valves regulating the supply of oil and Gas in the

Ankleshwar field. Serious consequences were fortunately averted by the alertness of the Commission's staff on duty at the time. The State Police authorities are still making investigations into the matter.

भूतपूर्व खाद्य मंत्री को कार्यभार सौंपना

1463. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आम चुनावों के बाद भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री चि० सुब्रह्मण्यम को सरकार ने उनके मंत्रालय अथवा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित कुछ कार्य सौंपा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में श्री सुब्रह्मण्यम अपनी पत्नी के साथ हाल में अमरीका गये थे ;

(घ) उन्होंने अपने दौरों, कर्मचारियों, डाक आदि पर कितना खर्च किया है;

(ङ) क्या उन्हें कुछ मानदेय भी दिया गया था, और

(च) यदि हां, तो कितना ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) से (च) श्री चि० सुब्रह्मण्यम ने अपनी पत्नी सहित मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूँ सुधार केन्द्र ट्रस्टी बोर्ड की, जिसके वे सदस्य हैं, वार्षिक बैठकों के सम्बन्ध में, जो अक्तूबर 1967 में हुई थी, रौकफैलर प्रतिष्ठान यात्रा अनुदान के अन्तर्गत हाल ही में मैक्सिको, अमरीका तथा कुछ अन्य देशों का दौरा किया था। सरकार की ओर से इस पर कोई व्यय नहीं किया गया है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावन्कोर

1464. **प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962-63 में 1965-66 की तुलना में फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावन्कोर में लगी कुल पूंजी और कार्यकारी पूंजी 50 प्रतिशत कम थी परन्तु उसका उत्पादन अधिक था;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1965-66 में 1963-64 के लिए निर्धारित लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक की भी प्राप्ति नहीं हुई थी;

(ग) प्रति वर्ष उत्पादन और औसतन लाभ में उत्तरोत्तर कमी होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इन कारणों की जांच की है और यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी नहीं, 1962-93 में कुल अभिदत्त तथा कार्यकारी पूंजी 8.01 करोड़ रुपये थी और 1965-66 में 10.87 करोड़ रुपये थी। 1962-63 में नाइट्रोजन का उत्पादन 10,600 मीट्रिक टन था और 1965-66 में 12,658 मीट्रिक टन था।

(ख) जी नहीं।

(ग) उत्पादन कम होने के कारण ये हैं:

1962-63

(एक) वुड गैसीफिकेशन से आयल गैसीफिकेशन में परिवर्तन किये जाने के कारण प्लांट का बन्द होना,

(दो) केरल राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा बिजली में कटौती किया जाना;

(तीन) नदी जल का खारी हो जाना।

1963-64

केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली में कटौती किया जाना।

1964-65

(एक) बिजली में कटौती,

(दो) कच्चे माल अर्थात गंधक तथा रॉक फास्फेट की कमी।

1965-66

(एक) बिजली में कटौती,

(दो) श्रमिक विवाद जिनमें 24-8-65 से 6-9-65 तक पूर्ण हड़ताल भी शामिल है। लाभ हानि के आँकड़े इस प्रकार हैं:–

वर्ष	लाभ	हानि (लाख रुपयों में)	प्रतिशत लाभ हानि
1962-63	--	35.66	—6.4
1963-64	12.51	—	+1.8
1964-65	—	48.83	—7.0
1965-66	—	69.86	--10.03
1966-67	43.46	--	+6.2

(घ) और (ङ) प्रश्न के भाग (ग) के उपरोक्त उत्तर में कारण दे दिये गये हैं। सरकार इस मामले पर निरन्तर गौर करती रही है। आशा है कि बिजली तथा कच्चे माल की सप्लाई में सुधार होने से उत्पादन बढ़ जायेगा।

अनाज की जांच करने वाली प्रयोगशालाओ का आधुनिकीकरण

1465. **श्री प० गोपाल:** **श्री एस० पी० राममूर्ति:**
श्री विश्वनाथ मेनन: **श्री चक्रपाणि:**

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार : श्री उमानाथ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनाज में मिलावट के परीक्षण हेतु स्थापित की गई अधिकांश प्रयोगशालाओं में पूरा सामान नहीं है और उनमें विशेषीकृत परीक्षण नहीं किये जा सकते;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत सभी खाद्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशालाओं में आम विश्लेषण वाले उपकरण प्रायः उपलब्ध हैं परन्तु विशेषीकृत परीक्षण के लिये अपेक्षित उपकरण सामान्यतया उपलब्ध नहीं है ;

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता देकर देश की खाद्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

भारतीय उर्वरक निगम के नंगल कारखाने द्वारा तैयार की गई उर्वरक की नई किस्म

1466. **श्री दामानी:**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक 1 निगम के नंगल कारखाने ने एक नई किस्म का बढ़िया उर्वरक तैयार किया है;

(ख) इसका उत्पादन किस सीमा तक बढ़ाया जायेगा; और

(ग) इससे विदेशी मुद्रा की औसतन कितनी बचत होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायनतथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) से (ग) नंगल कारखाने में 20 अगस्त, 1967 से 25 प्रतिशत नाइट्रोजन वाला कैन उर्वरक बनाना आरम्भ कर दिया है जबकि वह इससे पहले 20.5 प्रतिशत नाइट्रोजन वाला कैन उर्वरक बनाता था इस परिवर्तन के कारण उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि करखाना की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 80,000 मीट्रिक टन (नाइट्रोजन) ही रहेगी । चूंकि नाइट्रोजन की कुल उत्पादन उतना ही रहेगा, इस लिये इस परिवर्तन से विदेशी मुद्रा की कोई अतिरिक्त बचत होने की आशा नहीं है ।

Loan to Ceylon

1467. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have given a loan of Rs. 5 crores to the Ceylonese Government ;

(b) if so, the terms and conditions thereof ; and

(c) the purposes for which this amount would be utilised by the Government of Ceylon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes, Sir. A credit Agreement was signed with the Government of Ceylon on the 16th August, 1967.

(b) The loan carries interest at 5% per annum and the closing date for utilisation of the loan is 31st December, 1568. The Credit Agreement also provides that the first 10% of the F. O.B. cost of all contracts will be met by Ceylon from her own resources and the balance 90% will be repayable over a period of 9 years in semi-annual instalments.

(c) The credit is available to the Government of Ceylon for the purchase of following capital goods from India viz. electrical equipment other than cables and fans, telecommunication equipment (excluding cables), industrial machinery and machine tools, commercial vehicles, earth-moving machinery, construction equipment, railway equipment (including rail wagons, tank wagons and coaches) pipes and fittings for water supply and drainage schemes ; and for such other items as may be settled separately between the two Governments.

शहरी आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

1468. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरी ग्राय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सरकार का विचार नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने ग्राय के सीमित साधनों वाले लोगों की ग्राय के साधन बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सरकार के विचार से अधिक ग्राय जिसमें शहरी ग्राय भी शामिल है कम करने का एकमात्र कारगर उपाय ग्राय तथा धन पर उत्तरोत्तर कर लगाना है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्राय की विषमता को दूर करना तथा लोगों का जीवन स्तर बढ़ाना है।

प्रति व्यक्ति आय

1469. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रति व्यक्ति ग्राय में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उसमें वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी नहीं। अभूतपूर्व सूखे के कारण 1965-66 में प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय ग्राय में 5.9 प्रतिशत की कमी के बावजूद

तीसरी योजना अवधि में प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय में वास्तव में 1.7 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उर्वरक कारखाने

1470. **श्री दी० च० शर्मा** **श्री बीरेन्द्र कुमार शाह**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडियन डिवलपमेंट लिमिटेड, लन्दन ने यह शिकायत की है कि भारत में उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के सम्बन्ध में उसने जो आवेदन पत्र दिया था उसपर विचार करते समय भेदभाव बरता गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम ओर रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) से (ग) मार्च, 1967 में एक व्यक्ति श्री थामस गेस्ट ने जो ब्रिटिश इंडियन डिवलपमेंट लिमिटेड, लन्दन के निर्देशक बताये जाते हैं, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से बात चीत की थी। उनका प्रस्ताव था कि जर्मनी, हालैण्ड तथा ब्रिटेन की फर्मों का एक कंसारशियम भारत सरकार के सहयोग से उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये तैयार है । स्थान का चयन करने के लिये श्री गेस्ट और उनके साथी पारादीप, तूतीकोरिन और काँडला गये थे। उस प्रस्ताव में ब्रिटिश इंडियन डिवलपमेंट लिमिटेड के पूंजी ढांचे तथा संगठन आदि का ब्यौरा, कंसारशियम के अन्य सदस्यों के नाम और विदेशी मुद्रा के संभावित स्रोतों आदि का ब्यौरा नहीं दिया हुआ था। श्री गेस्ट से यह ब्यौरा देने के लिये कहा गया है और वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । सरकार को भेदभाव के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

चण्डीगढ में भूमि की नीलामी

1471. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **निर्माण , आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्डीगढ़ प्रशासन के पास नीलामी और बिक्री के लिये रिहायशी और वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु भूमि के कुछ प्लाट हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में सेक्टर-वार नवीनतम स्थिति तथा क्षेत्रफल का ब्यौरा देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है;

(ग) चन्डीगढ़ में मकानों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिये सरकार प्लाटधारियों को जो रियायतें और सुविधाएं देना चाहती है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये और रिहायशी मकानों का निर्माण करने का विचार है और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शांति दल (पीसकोर) के स्वयंसेवक

1472. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे शान्ति दल के स्वयं सेवकों तथा विदेशों के अन्य स्वयं सेवकों के कार्य का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस समय कितने विदेशी स्वयं सेवक भारत में कार्य कर रहे हैं ;

(घ) उनमें से कितने व्यक्ति तकनीको योग्यता प्राप्त हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उनमें से गैर तकनीकी व्यक्तियों से अपने देशों को लौट जाने के लिये कहने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) चूँकि ये स्वयंसेवक राज्य सरकारों के साथ कार्य करने के लिये दिये जाते हैं, इस लिये उनके कार्य का समय समय पर पुनर्विलोकन राज्य सरकारें ही करती है। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवक संस्थाएं स्वयं प्रत्येक स्वयं सेवक के कार्य का साथ-साथ मूल्यांकन करती हैं। भारत सरकार भी साल में एक बार राज्यों के तालमेल अधिकारियों और स्वय सेवक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श द्वारा इन स्वयंसेवक कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करती है ये स्वय सेवक प्रायः उपयोगी सिद्ध हुए हैं ;

(ग) 1 नवम्बर 1967 को भारत में कार्य कर रहे इन विदेशी स्वय सेवकों की संख्या 1215 थी।

(घ) और (ङ) प्रत्येक स्वयंसेवक को उस कार्य का जो उसे भारत में करना होता हैं विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और उनमें से बहुत से स्वयंसेवकों के पास तकनीकी योग्यता तथा व्यावहारिक ज्ञान होता हैं। उसके लिये वे पर्याप्त रूप से सक्षम होते हैं। फिर भी यदि कुछ स्वयं सेवक चाहे तकनीकी कारणों से या अन्य कारणों से उपयोगी नहीं है तो उन्हें लौटा दिया जायेगा।

तिब्बिया कालेज का औषधि सम्बन्धी डिपलोमा

1473. **श्री इसहाक साम्भली :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बिया कालेज के औषधि सम्बन्धी डिपलोमा को सभी राज्य सरकारों ने मान्यता नहीं दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तिब्बिया कालेज के विद्यार्थियों ने हाल ही में भूख हड़ताल की थी और माँग की थी कि इस कालेज के डिपलोमा को देश भर में मान्यता दी जाए ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बया कालेज बोर्ड, दिल्ली द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचुलर ऑफ इण्डियन मैडिसन एण्ड सर्जरी (आयुर्वेद और यूनानी) की डिग्री को आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मद्रास को छोड़ कर सब राज्य बोर्डों/परिषदों/भारतीय औषधि सम्बन्धी संकायों द्वारा मान्यता दी गई है । दिल्ली प्रसाशन द्वारा स्थापित की गई आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों सम्बन्धी परीक्षा निकाय वर्ष 1964 के बाद बी० आई० एम० एस की डिग्री देती है ।

(ख) जी, ।

(ग) इस परीक्षा निकाय द्वारा दी जाने वाली डिग्री को मान्यता देने का प्रश्न राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है ।

पिछड़े वर्गों सम्बन्धी काका काललकर आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

1474. **श्री मरंडी : क्या समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों सम्बन्धी काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को सरकार ने अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) अब तक किन-किन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) : पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग की सिफारशों पर की गई कार्यवाही के बताने वाला एक विवरण 3 सितम्बर, 1956 को लोक सभा के सभा-पटल पर रखा गया था ;

(ग) और (घ) सरकार ने आयोग की इस मूल्य सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है कि सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को जाति के आधार पर स्वीकार किया जाये । उसके कारण उस ज्ञापन में बताये गये हैं तथा 3 अक्तूबर, 1964 और 8 तथा 25 नवम्बर, 1965 को भी लोक सभा में आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय उन कारणों को बताया गया था ।

बौद्धिक शक्ति की कमी

1475. **श्री ईश्वर रेड्डी : श्री विश्वम्भरन : श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के निर्देशक, डा० एम० एस० स्वामीनाथन के हाल ही के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि कुपोषण तथा

प्रोटीन की कमी की समस्या को शीघ्र ही हल न किया गया तो हो सकता है कि भारत को आगामी 20 वर्षों में लोगों में बौद्धिक शक्ति की कमी के खतरे का सामना करना पड़े ;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हाँ ।

(ख) गत दस वर्षों के दौरान की गई जाँच से पता चला है कि कुपोषण तथा अर्द्धपोषण के कारण तांत्रिक तंत्र में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जिसका मस्तिष्क के कार्यसंचालन पर कुप्रभाव पड़ सकता है । विभिन्न प्रकार के कुपोषणों में प्रोटीन कैलोरीज की कमी मुख्यतया मस्तिष्क को नुक्सान पहुँचाती है ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय ऐजन्सियों की सहायता से भारत सरकार के विभिन्न विभाग कुपोषण की समस्या को हाल करने के लिये एक समन्वित कार्यवाही कर रहे हैं । इस कार्यक्रम में समाज के कमजोर वर्गों को अनुपूरक भोजन देने का कार्यक्रम, पौष्टिक डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों का उत्पादन; प्रत्येक संभव तरीके से अधिक खाद्य का उत्पादन, पोषण संबंधी शिक्षा तथा उसका विस्तार, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम तथा उपचार और कुपोषण से प्रभावित उत्पन्न हुए मामलों को पता लगाने का कार्यक्रम शामिल है ; बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) विभिन्न ऐजन्सियों की सहायता से चलाये जाने वाले कार्यक्रमों द्वारा अनुपूरक भोजन दिया जाता है ।

(क) व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन का दिया जाना ।

(ख) बालबाड़ियों द्वारा भोजन दिया जाना ।

(ग) "कैयर" द्वारा भोजन देने का कार्यक्रम ।

(घ) "यूनीसेफ" का दूध कार्यक्रम ।

(2) माताओं को पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना ताकि वे बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिये साधारण उपलब्ध सस्ते खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल कर सकें ।

(3) एम० सी० एच० केन्द्रों द्वारा कुपोषण के कारण उत्पन्न हुए रोगों का उपचार करना ।

(4) बालाहर, मल्टी प्रपज फूड एण्ड वीनिंग फूट जैसी अधिक प्रोटीन वाली खाद्य पदार्थों को बना कर बच्चों तथा समाज के कमजोर वर्गों में कुपोषण के कारण प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिये खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है ।

बहुप्रयोजनीय सिंचाई परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना

1476. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि राज्यों की ऐसी सभी बहु प्रयोजनीय सिंचाई परियोजनाएं शीघ्रतापूर्वक पूरी की जायें जिनपर निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ चुका है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) जो परियोजनाएं निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं, उनको पूरा करने के लिये मार्गोपाय ढूंढने के प्रश्न पर लगातार विचार किया जा रहा है । धन का आवंटन करते समय इस प्रकार की परियोजनाओं को तरजीह दी जाती है ;

जीवन बीमा निगम

1477. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अधिक खर्च पर विचार करने तथा मितव्ययता के उपाय सुझाने के लियें सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

लेखा परीक्षक तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट

1478. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का लेखा परीक्षकों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों का एक रजिस्टर रखने का विचार है तकि आयकर तथा कम्पनियों के अन्य लेखों को प्रमाणित करने के बारे में इन व्यावसायिक व्यक्तियों पर नियंत्रण किया जा सके तथा इनका विनियमन किया जा सके ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है, जिसे अधिकांश लोग मानते हैं कि बड़े करदाता करापवंचन तथा कर के सम्बन्ध में धोखा देने के मामले में लेखापरीक्षकों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटो द्वारा अदक्ष लेखा परीक्षा तथा अधीक्षण के कारण बच जाते हैं ; और

(ग) लेखापरीक्षकों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों को करदाताओं के लेखों तथा संतुलन पत्रों की सत्यता के लिये दण्डनीय विधि बनाकर जिसके अन्तर्गत व्यवसाय करने के लिये लाइसेंस के निलम्बन सहित विभिन्न दंड दिये जाने के जिम्मेदार न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं।

(ख) आयकर अधिनियम के अनुसार किसी कर-निर्धारिती के हिसाबों की लेखापरीक्षा

करना अनिवार्य नहीं है। कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कम्पनी के हिसाबों की लेखा-परीक्षा लेखापरीक्षकों और चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा की जाती है। जिन मामलों में हिसाबों की लेखा परीक्षा की जा चुकी हो, उनमें भी, करनिर्धारण करने के लिए आयकर अधिकारी जैसी आवश्यकता समझे, वैसी पूछ ताछ करने के पूर्ण अधिकार उसको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 142/143 के अधीन प्राप्त हैं। जहां कहीं भी धोखा-धड़ी या कर की चोरी का सन्देह हो वहां आयकर अधिकारी द्वारा हिसाब की विस्तृत जाँच की जाती है, भले ही उसकी लेखापरीक्षा क्यों न की जा चुकी हो।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 27 (1) (ग) के अधीन आय को छिपाने के लिए केवल कर निर्धारिती पर ही दण्ड लगाया जा सकता है। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 278 के अधीन उस व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है जो कर लगने योग्य आय के सम्बन्ध में कर निर्धारिती को ऐसा झूठा हिसाब, विवरण या घोषणा तैयार करने अथवा देने के लिए उकसाए जिसके झूठे होने का उसे पता है अथवा जिसके सही होने का उसे यकीन नहीं है ; ऐसे जुर्म के लिए कम से कम सजा छः मास का कठोर कारावास है।

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12 (क) के अनुसार, किसी कर निर्धारिती की आय का विवरण तैयार करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि के लिए यह आवश्यक है कि वह आयकर अधिकारी को उन हिसाबों, विवरणों और दस्तावेजों के ब्योरे दे जो कि कर निर्धारिती ने उसे अपनी आय की विवरणी तैयार करने के हेतु दिये थे, तथा उन हिसाबों के क्षेत्र और जाँच यदि कोई हों तो उनके बारे में रिपोर्ट भी दे। इतना ही नहीं, जो चार्टर्ड लेखाकार इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स द्वारा निर्धारित आचरण संहिता और विनियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ इन्स्टिट्यूट द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

यह ख्याल है कि लेखा परीक्षकों और चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा किये जाने वाले नियम-विरुद्ध कार्यों को रोकने के लिए उक्त उपबन्ध पर्याप्त है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा धन का भेजा जाना

1479. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रहने वाले भारतीयों को उन के द्वारा विभिन्न देशों में अर्जित किये गये धन के भारत में भेजने अथवा लाने के लिये क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं ;

(ख) उस प्रकार धन भेजने, भारत में बैंकों में जमा कराने, भारत में उनका उपयोग तथा विनियोजन करने पर क्या प्रतिबन्ध है और यदि इस पर कर की कोई रियायतें दी जाती हैं तो वे क्या हैं ;

(ग) इन दिनों भारतीयों को कई देशों से निकाला जा रहा है और वे अपने देश में अपनी भावी सुरक्षा के लिये चिंतित हैं, इस बात को ध्यान में रख कर क्या सरकार का विचार भारत में धन जमा कराने में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रोत्साहन देने का है।

(घ) यदि हां, तो क्या धन जमा कराने में भारतीयों को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है, जिससे देश की सम्पत्ति में वृद्धि होगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर देश में धन भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसा धन "नौन रेजीडेन्ट" लेखे में रखना पड़ता है। "नौन रेजीडेन्ट" लेखा खोलने तथा उसे रखने के नियम हैं तथा ऐसे धन को देश से बाहर भेजने तथा उस पूंजी को देश में लगाने के लिए जो आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, उन पर वांछनीयता के आधार पर विचार किया जायेगा। "नौन रेजीडेन्ट" खातों में से लगाई गई पूंजी पर आयकर नहीं लगता।

(ग) वर्तमान रियायतें पर्याप्त हैं तथा हम ऐसी पूंजी का स्वागत करते हैं। तथापि यह निर्णय करना विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों का काम है कि वे जिन देशों में रह रहे हैं उन देशों के विदेशी मुद्रा नियमों में जितना धन भेजने की अनुमति है, उसमें से वे कितना धन भेजना चाहते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में नलकूप परियोजनाओं का असफल रहना

1480. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री के० एस० अब्राहम :
श्री पी० पी० एस्थोसे :
श्री ई० के० नायनार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 सितम्बर, 1967 के 'स्टेट्समैन' में दिल्ली में नलकूप परियोजनाओं के असफल रहने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है ;

(ग) यदि हां तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायगा।

यमुना नदी के दायें किनारे पर बांध

1481. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री एस्थोस :
श्री अब्राहम :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन को हाल में एक परिपत्र भेजा गया है कि यमुना नदी के दायें किनारे पर बांध बनाने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 3827 एकड़ भूमि दी जाये ;

(ख) यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने जब इस सम्बन्ध में जांच की, तो उन्हें पता चला कि बांध दो साल पहले बनाया जा चुका था ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जाँच करने का आदेश दिया है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(ङ) इन निष्कर्षों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख) जी हाँ, जो मंजूरी दी गई थी, वह 3873 एकड़ भूमि के लिये थी, न कि 3827 एकड़ भूमि के लिये।

(ग) से (ङ) यमुना बाजार को बाढ़ के प्रभाव से बचाने के लिये बांध बनाने की स्थिति की अविलम्बनीयता को देखते हुए बिना सरकार द्वारा औपचारिक मंजूरी प्राप्त किये वर्ष 1964 में दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकार से वह भूमि ले ली थीं। सितम्बर, 1967 में जो औपचारिक मंजूरी जारी की गई थी, वह केवल इस भूमि के तबादले को नियमित रूप देने के लिये थी । इस लिये जाँच करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम का भूतपूर्व अध्यक्ष

1482. **श्री विश्वनाथ मेनन:**　　　**श्री एस्बोस :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :　　　**श्री राममूर्ति:**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के एक भूतपूर्व अध्यक्ष अब न्यूयार्क की केमिकल कंस्ट्रक्शन (कैमिको) कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है इस व्यक्ति के पदधारण की अवधि में तथा उसकी सेवा निवृत्ति के पश्चात उस फार्म को बड़े भारी क्रयादेश दिये गये ;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस मामले की जाँच पड़ताल करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) यह पता लगा है कि भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा मैनेजिंग डाइरेक्टर ने सेवा निवृत्त होने के पश्चात वहाँ परामर्श देने का व्यवसाय आरम्भ किया है तथा अमरीका का कैमिकल कंस्ट्रक्शन (कैमिको) निगम उनका एक मुअक्किल है ;

(ख) उनके सेवा काल में सरकार की अनुमति से उस फर्म को निम्नलिखित ठेके दिये गये थे ;

(1) ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के लिये अमोनिया, यूरीया, नीट्रीक ऐसिड और सलफुरिक ऐसिड के संयंत्र

(2) नामरूप उर्वरक कारखाने के लिये अमोनिया, यूरिया और सलफुरीक ऐसिड के संयंत्र ।

यह ठेका मैसर्स कैमिकल कंस्ट्रक्शन (जी० बी०) लिमिटेड् लंदन, जो कि मैसर्स कैमिकल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, न्यूयार्क की एक सहायक फर्म है, को दिया गया था ।

उन की सेवा निवृत्ति के बाद उस फर्म को कोई ठेका नहीं दिया गया ।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Production at Sindri Fertilizers

1483. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) Whether the production in the Sindri Fertilizer Factory went down in 1966-67 as compared to the figures of 1965-66 and whether it is likely to decrease further during the current year and, if so, the reasons therefor;

(b) how far the long-term project formulated for bringing about improvements in the working of the Sindri Fertilizer Factory has been completed and the results achieved so far;

(c) whether Government have contemplated any other project whereby the need of bringing gypsum from Rajasthan could be eliminated and ammonium sulphate manufactured from the by-product of superphosphate prepared from acid made of pyrites available in Bihar; and

(d) if so, by what time the work on the project would be started and the total capital outlay likely to be involved on the Sindri Fertilizer Factory till the completion of this project and what would be its production capacity?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) Yes, in terms of Nitrogen, the production of 95,447 tonnes during 1966-67 was lower than that of 1965-66 by 2,241 tonnes. The production during 1967-68 is likely to be lower than that of 1966-67 due to the following reasons:—

(i) Continued difficulties in getting proper quality of Gypsum.

(ii) Receipt of wet Gypsum during July, August and September, 1967 due to unprecedented rain fall.

(iii) Total shot-down of the factory on account of strike from 19th September to 30th September, 1967.

(b) The installation of two additional lean gas producers to make up the short-fall of gas went into commission in November, 1966 and since then all the coke oven gas is utilised for Ammonia Synthesis. The installation of a naphtha steam reformer and a pyrites based sulphuric acid plant are expected to be completed by the end of 1968. These will bring about a significant improvement in the working of the Sindri Plant.

(c) Yes, a scheme is under consideration at present which, if implemented, will eliminate the use of natural gypsum for the production of Ammonium Sulphate and instead permit the use of by-product gypsum obtained in the manufacture of Phosphoric Acid from Rock-phosphate.

(d) The scheme has not yet been approved by Government.

The total capital outlay is estimated at Rs. 23 crores and the production capacity, on completion, will be 117,340 tonnes of N and 156,450 tonnes of $P_0 O_5$ per year.

Seventh Arab Petroleum Congress

1485. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether our representative who represented our country in the Arab Petroleum Congress held in March, 1967 and the Seventh World Petroleum Conference held in April, 1967, has submitted any report ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) Yes, Sir.

(b) (i) **Sixth Arab Petrolem Congress 6th to 13th March, 1967.**

1. The Congress was held under the auspices of the League of Arab States. All the Arab Countries who are members of the League attended the Congress as members.
2. A three-man Indian delegation attended the Congress as observers.
3. 62 papers were presented.
4. The key-note of the discussions mentioned the awakening of the Arab States against exploitation and discussed measures to protect the interests of both consumers and the producers of oil.
5. The Congress made a few recommendations in regard to the Arab Oil Industry with a view to contributing further to the promotion of social and economic plans of the Arab World.
6. The Congress called for the convention of the 7th Arab Petroleum Congress in Kuwait during the first term of the year 1969.

(ii) **Seventh World Petroleum Congress (2nd to 8th April).**

1. 66 countries were represented. The Indian delegation comprised of seven members.

2. Objectives of the Congress were :

(a) to promote the Science and Technology of oil on an international basis;

(b) to provide opportunities for discussions on oil and scientific and technical problems which constantly arise in various forms in the oil industry;

(c) to facilitate free exchange of information and experience in the areas of research and practical application of its results.

3. 395 papers were read.

4. The theme of the Congress was "Petroleum for the Welfare of mankind", "Science is Unity" and "Poverty in any one place constitutes a danger everywhere".

(c) The data given on the reports on Reservoir Geology at the world Petroleum Congress will be widely used in the work of the Research and Training Institute, Oil and Natural Gas Commission, Dehra Dun, and the Oil and Natural Gas Commission in the exploration of new territories.

रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नीति का उदार बनाया जाना

1486. **श्री मरंडी : श्री मयावन : श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने कुछ चुने हुये मामलों में अपनी ऋण नीति में उदारता की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और उसका विस्तृत ब्योरा क्या है; और

(ग) इस उदारता से लघु उद्योग किस हद तक लाभान्वित होंगे ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) वर्ष के पहले महीनों में इंजीनियरी तथा धातुकर्मक उद्योगों में मंदी के रुख को देखते हुये तथा यह आशा करते हुये कि आगामी महीनों में यह मंदी दूर हो जायेगी कृषि के विस्तार का पूर्वानुमान लगा कर तथा सामान्य मूल्य स्तर पर लगातार दबाव को देखते हुये रिजर्व बैंक सब क्षेत्रों को ऋण देने की उदार नीति अपनाने की बजाये कुछ चुने हुये क्षेत्रों में ऋण देने की उदार नीति का पालन कर रहा है। इस नीति के अनुसरण में जुलाई, 1967 से अब तक रिजर्व बैंक ने जिन उपायों की घोषणा की है, उनका ब्योरा अनुबन्ध में दिया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1491/67]

(ग) अनुबन्ध के भाग (2) से यह ज्ञात होगा कि व्यापारिक बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दी जाने वाली अग्रिम राशि में पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि हुई है, उसे परि-

समापन अनुपात का हिसाब लगाने में, जिसके आधार पर भारत का रिजर्व बैंक रियायत देने सम्बन्धी ब्याज की दर निश्चित करता है, शामिल नहीं किया जायेगा। यह आशा की जाती है कि इससे व्यापारिक बैंकों को छोटे पैमाने के उद्योगों को अग्रिम धन देने में प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि वित्त निगम

1487. **श्री मरंडी :**　　　　　　　　　**श्री रणधीर सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बैंक संस्था ने किसानों को सहायता करने के लिये एक कृषि वित्त निगम बनाने की योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस योजना से किसानों को कहाँ तक लाभ होगा ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) भारतीय बैंक संस्था ने जो योजना पेश की है उसकी मुख्य बातें अनुबन्ध में दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1692/67]। यह समझा जाता है कि यह योजना अभी बनाई जा रही है तथा संस्था के ज्ञापन के प्रारूप को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। संस्था द्वारा इस योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद इस योजना की रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा जांच की जायेगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में महिला डाक्टर

1488. **श्री मरंडी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक नई योजना आरम्भ की गई है, जिसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की महिला डाक्टर राजधानी में ही कार्य करती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना से डाक्टरों की स्थिति में कुछ सुधार होगा और यदि हाँ, तो कितना; और

(घ) इस योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1693/67]

(ग) और (घ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की महिला डाक्टरों को यह छूट दी गई है कि यदि वे चाहें तो नई योजना को स्वीकार कर सकती हैं, जिससे उनका दिल्ली से बाहर तबादला नहीं होगा तथा यदि वे चाहें तो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को स्वीकार करें जिसमें

अन्य सब दायित्व के साथ-साथ देश में कहीं भी दिल्ली से बाहर तबादला किये जाने का दायित्व शामिल है । 156 महिला डाक्टरों में से केवल 11 महिला डाक्टरों ने नई योजना को स्वीकार किया है । उन महिला डाक्टरों का जिन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को चुना है, दिल्ली से बाहर तबादला किया जा सकता है। आगे चल कर इन दोनों योजनाओं के मिलाये जाने से दिल्ली तथा इसके बाहर डाक्टरों की स्थिति में सुधार होगा ।

Dues from Ex-Ministers

1489. **Shri A. B. Vajpayee:**
Shri Shrichand Goel:
Shri Sharda Nand:
Shri N. S. Sharma:
Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the amounts outstanding against the former Ministers as rent of bungalows and furniture due to not vacating them in time after having relinquished office of Ministership during the period from March, 1957 to June, 1967 and the names of those Ministers;

(b) the amount written off, the amount recovered and the amount still outstanding in this regard; and

(c) the action taken against the officers concerned for non-recovery of the outstanding dues?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

[**Placed in Library. See No. LT-1694/67**]

परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी सम्मेलन

1490. **श्री चेंगल राया नायडू :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम पर विचार विमर्श-करने के लिये भारतीय मेडिकल कालेजों के 'डीनों तथा प्रिंसिपलों' का एक त्रिदिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ तो किन-किन विषयों पर विचार किया गया;

(ग) क्या निर्णय किये गये थे;

(घ) क्या सम्मेलन ने भारत सरकार को कोई सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) जी, हां ।

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी :—

(1) एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन का पाठ्यक्रम

(2) परिवार नियोजन शिक्षा सेवा को अधिक सुदृढ़ बनाना तथा मेडिकल कालेज अस्पतालों के माध्यम से इसका अध्ययन ।

(3) राष्ट्रीय संकट तथा आपातकालीन स्थिति ।

(4) जिलों की विस्तार सेवा में मेडिकल कालेजों का योगदान ।

(5) बी० ए० सी० (एम० सी० एच०) पाठ्यक्रम का आरम्भ किया जाना।

(ग) और (घ) सम्मेलन में उक्त विषयों पर पारित किये गये प्रत्येक संकल्प की एक एक प्रति संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1695/67**]। विषय संख्या 5 के संकल्प के सम्बन्ध में उस संक्लप को अन्तिम रूप देने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की गई थी। इन संकल्पों पर आवश्यक कार्यवाही करने तथा इन्हें क्रियान्वित करने के इन्हें राज्य सरकारों तथा देश के सब मेडिकल कालेजों के डीनों तथा प्रिंसिपलों को भेज दिया गया है। सम्मेलन की कुछ सिफारिशों जब कभी अन्तिम निर्णय करने की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों की मेडिकल संकायों तथा भारत की मेडिकल परिषद् आदि की सलाह से निर्णय किया जायेगा ।

कृषि कार्यक्रम के लिये धन की व्यवस्था करना

1491. **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापारिक बैंकों ने कृषि कार्यक्रमों के लिये बड़े पैमाने पर सीधा धन देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इस कार्यक्रम के लिये ऋण सुविधायें प्रदान करने के उपायों पर विचार करने के लिये 26 सितम्बर, 1967 को प्रमुख व्यापारी बैंकों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ग) क्या इस सम्मेलन में सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद थे; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे और व्यापारिक बैंकों ने कृषि कार्यक्रमों के लिये सीधा धन देने की जो योजना बनाई है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) भारत के स्टेट बैंक तथा कुछ थोड़े से अन्य व्यापारिक बैंकों ने कृषि परियोजनाओं के लिये सीधा धन देने का निर्णय किया है।

(ख) जी हाँ, भारतीय बैंक संस्था के कहने पर कृषि ऋण में व्यापारिक बैंकों के योग-दान के कुछ पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिये 26 सितम्बर, 1967 को प्रमुख व्यापारिक बैंकों का एक सम्मेलन हुआ था ।

(ग) जी हाँ।

(घ) कृषि के लिये बैंकों द्वारा ऋण के रूप में अधिक राशि दिये जाने की संभाव्यता पर सामान्य विचार-विमर्श किया गया था तथा कोई औपचारिक निर्णय नहीं किया गया।

अनुसूचित आदिम जातियों में निरक्षता

1492. **श्री अदिचन** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के उच्च शिक्षित राज्य में विनाद के पनियानों में 96 प्रतिशत निरक्षरता है; और

(ख) यदि हाँ, तो अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के अन्तर्गत, शिक्षा में सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) समुदायों के वर्गों तथा स्थानीय क्षेत्रों के आँकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता ऐसे विषय हैं जिन पर सामान्यतया राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों का नियंत्रण होता है ।

आदिमजातीय विकास खण्ड

1493. **श्री अदिचन** :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश के लिये कितने आदिम जातीय विकास खंड मंजूर किये गये हैं और केरल राज्य के लिये कितने;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केरल की अनुसूचित आदिम जातियों के देश की शेष आदिम जातियों के लोगों की तुलना में बहुत अधिक पिछड़े हुये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी दशा को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क)	भारत	..	498
	केरल	...	1

(ख) इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्नेहक तेल के लिये आयात लाइसेंस

1494. **श्री अब्दुल गनी दार** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, प्रति वर्ष किन किन पार्टियों को, स्नेहक तेल के लिये आयात लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) प्रत्येक पार्टी को कितनी मात्रा के लिये आयात लाइसेंस दिया गया था;

(ग) क्या इन पार्टियों के पास मिश्रण-कार्य की अपनी व्यवस्था थी;

(घ) क्या यह सच है कि अनेक पार्टियों को स्नेहक तेल के लिये आयात लाइसेंस नहीं दिये गये थे; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में यह सूचना पहले ही पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 19-7-67 को सभा पटल पर रखी गई थी।

लाइसेंस केवल मूल्य के आधार पर किये गये थे, न कि मात्रा के आधार पर।

(ग) केवल पाँच (अर्थात मैसर्स भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बर्मा-शैल, इस्सो, कालटैक्स तथा कैशट्रोल) के पास अपनी मिश्रण-कार्य व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) लाइसेंस केवल उन पार्टियों को दिये गये थे, जो लाइसेंस दिये जाने के समय लागू आयात व्यापार नियंत्रण नीति उपबन्धों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करती थी तथा जिनको लाइसेंस देना देश की आवश्यकता और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुकूल था।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

1495. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सम्बन्धी अभियान को समाप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या केन्द्रीय सरकार से राज्यों में इसे भविष्य में जारी रखने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) से (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तीन चरण हैं—मच्छर मारना, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना तथा उसे बनाये रखना। देश के विभिन्न भागों में यह कार्यक्रम अपने विभिन्न चरणों में है। जब किसी राज्य में स्थिति को मजबूत बनाने का चरण समाप्त होता है, वहां राज्य अपने आप स्थिति को बनाये रखने के चरण में दाखिल हो जाता है और कर्मचारियों को राज्य की सामान्य स्वास्थ्य सेवा में रख लिया जाता है। योजनाबद्ध रीति के अनुसार राज्यों को कार्यक्रम के विभिन्न चरणों को क्रियन्विति के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

Foreign Currency Unearthed in Bombay

1496. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Winister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1728 on the 10th August, 1967 regarding Foreign currency unearthed in Bombay and state :

(a) whether the investigations into the seizures in the last week of July, 1967 have since been completed ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b) No, Sir. The investigations into the seizures are still in progress.

Recovery of Opium and 'Ganja'

1497. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the quantity of opium and 'Ganja' recovered in the country during the last three years;

(b) the value thereof;

(c) number of persons against whom action has been taken and the nature thereof;

(d) the number of persons against whom no action has been taken; and

(e) the amount of foreign exchange involved therein?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) to (e) The required information is annexed at Annexure 'A'.

Seizure of Gold and Silver in M. P., U. P. and Rajasthan

1498. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the quantity of gold and silver seized in Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh, separately, during the last two years;

(b) the number of persons against whom judicial proceedings have been started;

(c) whether there are some persons against whom prosecution has not been lauuched; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) During the period from 1st January, 1966 to 30th September, 1967 the following quantities of gold and silver were seized by the Customs and Central Excise authorities in Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh:—

Quantity of Gold Seized

	Under the **Customs Act**	Under the **Gold Control Rules**
Madhya Pradesh	54,422 gms.	22,894 gms.
Rajasthan	81,827 gms.	14,791 gms.
Uttar Pradesh	67,369 gms.	39,735 gms.

Quantity of Silver Seized

Madhya Pradesh	Nil.
Rajasthan	6,595 gms.
Uttar Pradesh	815 silver coins.

(b) During the same period judicial proceedings were initiated against 61 persons under

the Customs Act, 1962 and against 22 persons under the Gold Control Rules in these three states.

(c) Yes, sir.

(d) Individual merits of each case are considered before decision to launch prosecution is taken. Gravity of the offence, availability of evidence acceptable in a court of law and element of mens rea are the main considerations in deciding the issue.

Hindi Department in Reserve Bank of India

1499. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi Department has been set-up in the Reserve Bank of India ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which the work in Hindi is likely to start ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes, a Hindi Section has been set up in the Central Office of the Bank at Bombay.

(b) Two senior officers with adequate academic qualifications in Hindi are working in the Central Office, Translators have been appointed in some offices of the Bank and steps are being taken for appointment of translators at other offices. Hindi typists are being appointed at those offices where correspondence in Hindi is received. Training classes in Hindi for the supervisory and clerical staff are being conducted at different centres. The Hindi Section is attending to the translation of the Bank's manuals and other publications and reports.

(c) The Bank has started to accept and deal with all correspondence received in Hindi. Use of Hindi in the Bank will progressively increase as members of the staff acquire adequate knowledge of that language.

Decoration of P. M's Residence

1500. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred on the maintenance and decoration of the Prime Minister's residence in 1966-67 ; and

(b) the amount of expenditure expected to be incurred on both these items at her residence during 1967-68 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) There was no expenditure on decoration. The expenditure incurred on the maintenance of the building, electrical installations, security lights and horticultural works in 1966-67 was Rs. 88,733/-.

(b) The estimate of expenditure for which provision has been made this year is Rs. 86,600/-.

Expenditure on Decoration of Houses

1501. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred on the maintenance of bungalows of each of the Ministers and class I Officers of Government, separately, in 1966-67 ;

(b) the amount of expenditure incurred on the decoration of each of the said bungalows, separately, during the above period,

(c) the amount of expenditure incurred on the maintenance of Type II quarters of the non-gazetted employees in 1966-67 ;

(d) whether Government incur any expenditure annually on the decoration of Type I, Type II and Type III quarters ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (**Shri Iqbal Singh**) :

(a) to (d) Presumably, information is required in respect of residences of Government officers in Dehli and outside. Houses of different types are allotted on the basis of the salaries of Government officers, not on the classification of their service. Therefore, collection of the information will involve considerable time and labour which will not be commensurate with the utility of the information.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी

1502. **श्री नम्बियार :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमा नाथ : **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री प० गोपालन : **श्री रमानी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के क्लर्कों, कैश विभाग के कर्मचारियों तथा चपरासियों से चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन में उठाई गई मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है;

(घ) यदि हाँ, तो उनकी उपपत्तियाँ क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग के कारण सिन्दरी उर्वरक कारखाने में उत्पादन की कमी

1503. **श्री नम्बियार :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री गणेश घोष :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान मालिक सिन्दरी उर्वरक कारखाने को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मूल्य बढ़िया किस्म के कोयले की दर पर चुकाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार, इस मामले की जाँच करने का है; और यदि हाँ, तो कब;

(घ) क्या घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग के कारण उत्पादन कम हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कितना कम उत्पादन हुआ ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) कोक भट्टियों के लिये कोयले की सप्लाई की किस्म आमतौर पर इस वर्ष सन्तोषजनक रही है, यद्यपि बढ़िया किस्म के कोकिंग कोयले की सप्लाई बहुत कम हुई है, तथापि पावर हाउस कोयले के सम्बन्ध में कुछ घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई हुई है।

(ख) कोक भट्टी कोयले के सम्बन्ध में उसकी किस्म निर्धारित करके मूल्य दिये जाते हैं। पावर हाउस कोयले के सम्बन्ध में, जून 1967 के अन्त तक के मूल्य कारखाने के विश्लेषण के आधार पर दिये गये थे और जहाँ आवश्यक हुआ, जुर्माने वसूल किये गये थे। उसके बाद कोयला बोर्ड के ग्रेडिंग पर मूल्य दिये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कोक भट्टियों के लिये वाष्पशील तथा बढ़िया किस्म के कोकिंग कोयले के अपेक्षित मात्रा में न मिलने के कारण उत्पादन में कुछ कमी हुई है। जहाँ तक विद्युत संयंत्र में प्रयुक्त कोयले का सम्बन्ध है, जून, 1967 में, जब कि पेनाल्टी क्लाजेज लागू किये गये थे, कुछ दिनों तक लदान पर कुछ प्रतिबन्ध था। यह बताना संभव नहीं है कि बढ़िया किस्म का कोयला न मिलने के कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई।

सरकारी उपक्रमों द्वारा बकाया राशियों की वसूली

1504. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों पर इस सम्बन्ध में क्या नियंत्रण रखा जा रहा है जिससे कि वे अपने ग्राहकों से अपनी बकाया राशियों की अधिक से अधिक वसूली कर सकें;

(ख) क्या बकाया राशियों की वसूली न होने के कारण इन उपक्रमों की कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है, और

(ग) यदि हाँ, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित चार सरकारी उपक्रमों को फुटकर लेनदारों के सम्बन्ध में अपने निदेशक बोर्ड को सामयिक रिपोर्टें देनी पड़ती हैं । तीन कम्पनियों के मामले में सभी निदेशक सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति होते हैं और चौथी कम्पनी के मामले में, निर्माण, आवास तथा पूर्ति और वित्त मंत्रालय को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, इन रिपोर्टों पर निर्देशकों द्वारा, जो आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्धक को निर्देश देते हैं, विचार-विमर्श किया जाता है और उनका अविरत रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है ।

(ख) जी हाँ । विशेषकर हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के मामले में ।

(ग) देय बकाया राशियों को अनावश्यक रूप से न बढ़ने देने के लिये तथा कार्यकारी पूंजी के रुक जाने के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम अपने ग्रहकों से बकाया राशि की वसूली का काम बड़ी तत्परता से करते हैं, कभी-कभी उच्च स्तर पर व्यक्तिगत सम्पर्क से भी ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की बकाया राशि

1505. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में (वित्तीय वर्ष वार) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को अपने ग्राहकों से कितनी रकम लेनी बकाया थी;

(ख) प्रत्येक रकम कितनी-कितनी अवधि से बकाया थी;

(ग) इस बकाया रकम के वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) दो वर्षों से अधिक समय से बकाया रकम को वसूल करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं;

(ङ) उन पक्षों के नाम क्या हैं जिनसे रकम लेनी है;

(च) सरकार से और सरकारी उपक्रमों से कितनी रकम वसूल करनी बकाया है; और

(छ) क्या कुछ ऋणों को बट्टे-खाते में डाल दिया गया है और यदि हां, तो कितनी राशि ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को पिछले चार वर्षों से अपने ग्राहकों से इस प्रकार रकम लेनी बकाया थी :—

31-3-64 को	77, 37, 122 रुपये
31-3-65 को	93, 72, 498 ,,
31-3-66 को	1, 21, 15, 933 ,,
31-3-67 को	93, 95, 676 ,,

(ख) 31 मार्च, 1967 को 93.95 लाख रुपये की जो रकम लेनी बकाया थी, उसमें से 66.30 लाख रुपये चालू निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में बकाया हैं ; शेष 27.65 लाख रुपये उन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में हैं जो कि पूरे हो चुके हैं । ये रकमें विभिन्न अवधियों से जैसा कि नीचे दिखाया गया है, बकाया हैं :—

(क) एक वर्ष से कम अवधि से	6.74 लाख रुपये
(ख) 1 से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि से	12.86 लाख रुपये
(ग) 2 से लेकर 3 वर्ष तक की अवधि से	6.07 लाख रुपये
(घ) 3 से लेकर 4 वर्ष तक की अवधि से	1.76 लाख रुपये
(ङ) 4 से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि से	0.22 लाख रुपये

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा एक महीने में लगभग 30 लाख रुपये से लेकर 35 लाख रुपये तक का निर्माण-कार्य किया जाता है । इस व्यवसाय में, ऐसी आशा करना उचित है कि दो-तीन महीने के काम की रकम तो आमतौर बकाया रहेगी ही । इस सीमा से अधिक बकाया रकम के कारण मुख्यतः निम्नलिखित हैं :—

(एक) अन्तिम बिलों को तैयार करने में काफी समय लगता है,

(दो) करार में शामिल न की गई वस्तुओं तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य, जो किया गया है, के सम्बन्ध में दावों का अन्तिम रूप से निपटारा न किये जाने के कारण कुछ बकाया राशियाँ लेनी बाकी रह जाती हैं ।

(घ) इन देय बकाया राशियों को, विशेषतः उन्हें जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं, वसूल करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस प्रयोजन के लिये मुख्य कार्यालय में एक विशेष अनुभाग खोला हुआ है । प्रबन्धक निदेशक तथा उसके वरिष्ठ कर्मचारी उन ग्राहकों के, जिनसे बकाया रकम वसूल की जानी है, सर्वाधिक वरिष्ट अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुये हैं ।

(ङ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित 93.95 लाख रुपये की बकाया रकम निम्न-लिखित पक्षों से वसूल की जानी है :—

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ।

लोक निर्माण विभाग, मनीपुर ।

लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल ।

लोक निर्माण विभाग, गुजरात ।

लोक निर्माण विभाग, केरल ।

लोक निर्माण विभाग, मैसूर ।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, दिल्ली ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (I) लिमिटेड, भोपाल।

राष्ट्रीय विमान प्रयोगशाला, बंगलौर।

न्यू गवर्नमेन्ट इलेक्ट्रिक फैक्टरी, बंगलौर।

इंडियन एयरलाइन्स, मद्रास।

इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, मद्रास।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, लिमिटेड, त्रिची।

ओप्थाल्मिक ग्लास प्रोजेक्ट, दुर्गापुर।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, बेलाडिला।

भारतीय उर्वरक निगम, नामरूप।

केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्था, मद्रास।

नई दिल्ली नगरपालिका।

दिल्ली नगर निगम।

विहार राज्य बिजली बोर्ड, पत्राटू।

आनन्द निकेतन सहकारी आवास समिति, दिल्ली।

भारतीय टेक्नोलॉजी संस्था, दिल्ली।

भारतीय टेक्नोलॉजी संस्था, मद्रास।

मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नोलॉजी, भोपाल।

(च) केन्द्रीय सरकार	..	16.91 लाख रुपये
राज्य सरकारें	..	11.77 लाख रुपये
सरकारी वाणिज्यिक उपक्रम	..	39.64 लाख रुपये
अन्य स्वायत्तशासी तथा अर्ध सरकारी निकाय	..	25.33 लाख रुपये
सहकारी समितियां		0.30 लाख रुपये
	कुल	93.95 लाख रुपये

(छ) जी, नहीं।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की फालतू मशीनें

1506 **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड बना है, इसके लिये कितने मूल्य की मशीनें खरीदी गईं;

(ख) क्या इनमें से कुछ मशीनें राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की आवश्यकता से अधिक थीं;

(ग) यदि हाँ, तो उन मशीनों की कीमत कितनी है;

(घ) इन फालतू मशीनों को किस प्रकार बेचा गया;

(ङ) फालतू हुई आयातित मशीनों की कीमत कितनी थी; और

(च) इनकी बिक्री से कितना लागत मूल्य वसूल हुआ ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 31 मार्च, 1967 तक 34·59 लाख रुपये (मोटर गाड़ियों को छोड़कर) ।

(ख) इस निगम द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक कोई मशीनरी नहीं खरीदी गई।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस निगम ने अपनी आवश्यकता से अधिक कोई मशीनरी नहीं खरीदी, निर्माण-कार्यों के पूरे हो जाने के बाद जब कोई मशीनरी किसी विशेष स्थान पर फालतू हो जाती है, तो उसे वहां काम पर लाया जाता है जहां नये निर्माण-कार्य चालू हो अथवा यदि वह मशीनरी फालतू हो, तो उसे नये निर्माण कार्यों पर काम में लाने के लिये सभालकर रखा जाता है यदि प्रयोग में लाते-लाते वह बेकार हो जाती है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा फायदे पर बेच दिया जाता है ।

(ङ) कोई नहीं, क्योंकि इस निगम ने निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये कोई मशीनरी का आयात नहीं किया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

गांवो में मकान बनाने की योजना

1507. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि गांवों में मकान बनाने की परियोजनाओं को अनुसूचित जातियों के लिये अभिप्रेत अन्य ग्रामीण आवास योजनाओं के साथ मिला दिया जाये। और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) योजना आयोग, गांवों में मकान बनाने की इस मंत्रालय को परियोजनाओं को अनुसूचित जातियों आदि के लिये अभिप्रेत उन अन्य ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के साथ, जिन्हें इस समय अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाया जा रहा है मिलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । इस प्रस्ताव का ब्योरा अभी पूरी तरह तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) इस प्रक्रम पर प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

काली मिर्च पर निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना

1508. **श्री चक्रपाणि :**　　　　**श्री नायनार :**
श्री अ० कु० गोपालन :　　　　**श्री प० गोपालन :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एलम्पी प्रोड्यूसर मरचेंट्स ऐसोसिएशन (केरल) का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें काली मिर्च पर से निर्यात शुल्क हटा लेने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हाँ तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

बीमा कर्मचारियों की शिकायतें

1509. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के विरुद्ध पालिसी धारियों की शिकायतें बढ़ती जा रहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां । केन्द्रीय कार्यलय में 1966-67 में प्राप्त शिकायतों की संख्या, 1965-66 में प्राप्त 15,212 शिकायतें के मुकाबले 16,295 थीं । शिकायतें क्षेत्रीय कार्यालियों तथा मंडल कार्यालयों में भी प्राप्त होती हैं, परन्तु उनकी संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) शिकायतें, किस्त की अदायगी की रसीदें तथा पालिसियां जारी करने में विलम्ब, पालिसियों को फिर से चालू कराने, दावों की अदायगी, एजेन्टों को कमीशन की अदायगी आदि के बारे में होती हैं। निगम उनकी शीघ्रता से जांच करने की कोशिश करता है आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए कारणों की भी जांच पड़ताल की जाती है ।

बचत एवं बीमा योजना

1510. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आॉफ इंडिया यूनिट धारकों के लाभार्थ बचत एवं बीमा योजना चालू करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) यूनिट ट्रस्ट आॉफ इंडिया सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना यह योजना बना सकता है । इस योजना का ब्योरा इस ट्रस्ट द्वारा तैयार किया जा रहा है और जीवन बीमा निगम के साथ परामर्श करके उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

अरब देशों को भारत द्वारा ऋण

1511. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अरब देशों को ऋण दिये हैं ताकि वे भारत से और अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीद सकें ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Willingdon Hospital, New Delhi

1512. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of complaints regarding the negligence on the part of the doctors in the Willingdon Hospital, New Delhi received during the last one year ; and

(b) the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) Eleven complaints were received during the last one year.

(b) These were examined and in seven cases it was found that, there was not mueh substance in their complaints. In one case the complainant was called and as a result of the explanations given by the hospital authorities, he withdrew the complaint. In one case the complainant was asked to produce the O. P. D. ticket and he did not do so. In another case no address was given. The eleventh complaint alleged that the patient was not seen by the doctor on the day of his visit to the hospital. Adequate arrangements have since been made to see that all the patients who visit the hospital on any particular day are examined on the same day.

Expenditure of Repairs to Ministers' Bungalows

1513. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred during the last eight months on the repairs, furnishing, etc. of bungalows of all the Central Ministers ;

(b) the names of the Ministers on whose bungalows the maximum and the minimum expenditure was incurred ;

(c) whether it is a fact that, in contravention of rules, excess expenditure has been incurred on the bungalows of certain Minisiers ;

(d) if so, the names of such Ministers and whether Government propose to realise the excess amount of expenditure from them ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

नीमच में अफीम का कारखाना

1514. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

क्या वित्त मंत्री 8 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1924 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमच (मध्य प्रदेश) में अफीम के कारखाने के निर्माण कार्य में इस बीच कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) निश्चित कार्यक्रम के अनुसार इस कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) एस० आर० मॉरीफन, नारकोटीन और कोडीन अनुभागों के सिविल, यान्त्रिक तथा विद्युत निर्माण कार्यों के स्यांकन और विस्तृत डिजाइन आदि तैयार करने का कार्य समाप्त हो चुका है। कारखाने के सिन्थेटिक कोडीन अनुभाग की विस्तृत डिजाइनें आदि तैयार हो रही हैं।

(ख) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कारखाने में उत्पादन कब शुरू होगा। तथापि परियोजना को शीघ्र पूरी करने के लिये सब संभव उपाय किए जा रहे हैं।

Silver Recovered in Surat

1515. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Customs officials rocovered 75 bars of contraband silver valued at more than Rs. 9 lakhs in Bapi, District Bulsar, (Surat) in August, 1967 ;

(b) if so, whether Government have held any inquiry as to the place from where and the manner in which that silver was brought there ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) On 25th August, 1967 the Customs officers posted at Vapi recovered 75 silver bars valued at about Rs. 9,12,200/- from a field about a mile away from Daman.

(b) and (c) The case is under investigation.

आसाम में तेल के क्षेत्र

1516. **श्री हेम बरुआ :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में नहरकटिया तेल क्षेत्र के अतिरिक्त नये तेल क्षेत्रों का भी पता लगा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन तेल क्षेत्रों की क्षमता कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी, हां ।

(ख) भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत इस जानकारी पर पाबन्दी है और वह नहीं दी जा सकती ।

एक फ्रांसीसी राष्ट्रजन से अवैध चरस का बरामद होना

1518. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री उमानाथ :**
श्री भगवान दास : **श्री गणेश घोष :**
श्री राम मूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 अक्तूबर 1967 को एक फ्रांसीसी राष्ट्रजन अवैध चरस सहित पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके पास से कितनी चरस बरामद की गई थी; और

(ग) चरस तथा अन्य मादक वस्तुओं का तस्कर व्यापार रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) जी, हां ।

(ख) 60 ग्राम ।

(ग) अवैध यातायात का निरोध करने वाली, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, दोनों की सभी प्रवर्तन एजेन्सियां, जैसे सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क पुलिस तथा नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी हमेशा सतर्क रहते हैं । यह सतर्कता देश के भीतरी भागों में तथा साथ ही बन्दरगाहों तथा सीमावर्ती स्थानों में भी बरती जाती है ।

इस मामले विशेष में अभियुक्त पर अदालत में मुकदमा चलाया गया था और उसे 200 रुपये जुर्माने की, अथवा जुर्माना अदा नहीं किये जाने पर 3 महीने की सख्त कैद की सजा दी गई थी । अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा कर दिया गया ।

आयकर की बकाया राशि

1519. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री उमानाथ :**
श्री भगवान दास : **श्री गणेश घोष :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1967 को आयकर की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) यदि हाँ, तो आयकर की एक-एक लाख रुपये की बकाया राशि वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) 529·60 करोड़ रुपये।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) इन बकाया रकमों को वसूल करने के लिये हाल ही में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) राज्य सरकारों से वसूली का कार्य धीरे-धीरे (केन्द्र में) ले लेना। राज्य सरकारों से वसूली का कार्य दिल्ली और आन्ध्र प्रदेश के आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप से तथा आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, गुजरात और राजस्थान के कार्यक्षेत्रों में आंशिक रूप से ले लिया गया है।

(ii) निरीक्षी सहायक आयुक्तों के 67 रेन्जों में काम के अनुसार कार्य-विभाजन की एक योजना लागू की गई है, जिसके अधीन कर की बकाया की वसूली का कार्य पूरी तौर से इसी कार्य पर लगे आयकर अधिकारियों को सौंपा जाता है।

(iii) वसूली के लिये बकाया पड़ी रकमों के मामलों में उपर्युक्त कार्यवाही करने की जिम्मेदारी नीचे दिये अनुसार अधिकारियों विशेष पर छोड़ दी गई है :—

आयकर अधिकारी	1 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले।
निरीक्षी सहायक आयुक्त	1 लाख रुपये से अधिक परन्तु 5 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले।
आयकर आयुक्त	5 लाख रुपये से अधिक की बकाया के मामले।

(iv) विलम्ब से की गई अदायगियों के मामले में 1-10-1967 से ब्याज की दर 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 9 प्रतिशत कर दी गई है।

(v) बकाया मांगों की शीघ्र वसूली की निगरानी रखने के लिये आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्रों में विशेष वसूली अनुभागों की स्थापना।

(vi) 5 लाख रुपये से अधिक की बकाया मांग के मामलों की निरीक्षण निर्देशक (गवेषणा, सांख्यिकी तथा प्रकाशन) द्वारा समीक्षा।

(vii) सभी कम्पनियों के मामलों में और यदि निर्धारित आय 20,000 रुपये से अधिक हो तो कम्पनी-भिन्न मामलों में बकाया बताने वाले विवरणों का रखा जाना।

दिल्ली में तपेदिक के रोगी

1520. **श्री अ० कु० गोपालन : श्री प० गोपालन :**
श्री रमानी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 के दौरान दिल्ली में तपेदिक के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय तपेदिक के रोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) दिल्ली में तपेदिक के क्लीनिकों तथा अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार तपेदिक के क्लीनिकों तथा अस्पतालों में रोगी शय्याओं की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हाँ तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिससे यह पता लगे कि दिल्ली में तपेदिक के रोगियों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) 1 जनवरी, 1967 से लेकर 30 सितम्बर 1967 तक की अवधि में तपेदिक के नये मामलों की जिनका निदान किया गया, कुल संख्या 15,862 थी;

(ग) तपेदिक क्लीनिक--8

तपेदिक अस्पताल -2

(घ) जी, हाँ। नरेला तथा किलोफाड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में तपेदिक के दो और क्लीनिक खोलने का विचार है। रोगी-शय्याओं की संख्या 124 तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

(ङ) वर्ष 1967-68 के दौरान।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधों के मूल्य

1521. **श्री अब्राहम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या संशोधन किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि औषध-निर्माता कम्पनियों को सरकार को पहले बताये बिना नये औषधों के मूल्य निर्धारित करने की अनुमति है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने औषध-निर्माता कम्पनियों द्वारा दवाइयों के मूल्य न बढ़ाये जाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) "औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 1967" की, जिसे संशोधनों के साथ 20 सितम्बर, 1967 को भारत के राजपत्र असाधारण में विधिवत् प्रकाशित किया गया था, एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है, [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०** 1697/67]

(ग) जी, हाँ । किन्तु केवल उन्हीं मामलों में, जैसा औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण तृतीय संशोधन आदेश 1967 के पैरा 6 बी में व्यवस्था है ।

(घ) कोई विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार को जैसा कि संशोधन आदेश में व्यवस्था है, इन नये औषधों के मूल्य फिर से निर्धारित कर सकती है ।

यूरोपीय देशों से ऋण

1522. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व यूरोपीय देशों के सारे भुगतान जिसमें आयातित वाणिज्यिक माल के मूल्य का भुगतान तथा ऋणों का भुगतान शामिल है, अपरिवर्तनीय रुपयों में किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी सहायता के प्राधिकरण तथा उपयोग सम्बन्धी वर्ष 1966-67 के वार्षिक विवरण में पूर्व यूरोपीय देशों से प्राप्त ऋण को उन ऋणों की श्रेणी में क्यों रखा है जिनका भुगतान केवल विदेशी मुद्रा में किया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह सच है कि पूर्व यूरोपीय देशों को भुगतान, जिसमें आयातित वाणिज्यिक माल के मूल्य का भुगतान तथा ऋणों का भुगतान शामिल है, आमतौर पर अपरिवर्तनीय रुपयों में किया जाता है। तथा कुछ मामलों में यथा

(एक) तीसरे देश से आयातित माल का मूल्य;

(दो) जहाज-भाड़ा यदि पूर्व अनुमति लेकर तीसरे देश के जहाजों से माल मंगाया जाता है; और

(तीन) जहाँ सम्बन्धित करार में इस आशय की विशेष भावना (अन्डरस्टैंडिंग) निहित हो, भुगतान परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाता है ।

(ख) उनका वर्गीकरण इसलिये इस तरह किया गया है कि ऋण का भुगतान माल के निर्यात (अर्थात् वास्तविक संसाधन) से प्राप्त राशि से किया जाता है और इसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर वही प्रभाव पड़ता है जो विदेशी मुद्रा में भुगतान करने से पड़ता है ।

मुंह से खायी जा सकने वाली गर्भनिरोधक गोलियां

1523. **श्री मधु लिमये** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता हैं कि मुंह से खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों से रक्तचाप की सम्भावना हो जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय बाजारों में बेची जाने वाली मुंह से खायी जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) मुंह से खायी जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा क्लीनिकल परीक्षण किया गया है तथा प्रकाशित साहित्य अथवा उन द्वारा किये गये अध्ययन से उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि इन गोलियों के इस्तेमाल से रक्तचाप की संभावना है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

औषधियों के मूल्य

1524. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स साराभाई कैमिकल्स ने भारत सरकार की अनुज्ञा के बिना पहली अप्रैल से अपने कुछ उत्पादों की दरों को बढ़ाकर औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबन्धों का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या अखिल भारतीय रसायनज्ञ संघ ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन पेश किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी हाँ अखिल भारतीय रसायनज्ञ संघ के द्वारा एक अभ्यावेदन पेश किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया था कि मैसर्स सराभाई कैमिकल्स ने औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ।

(ग) संघ को सरकार के मत से सूचित कर दिया गया है ।

बजट प्रणाली और कर विधियों में सुधार

1525. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन में दक्षता लाने हेतु आय व्ययक सम्बन्धी प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं की जांच करने तथा त्रुटियों का पता लगने पर उनमें सुधार करने के लिये सरकार का कोई समुचित व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार कर विधियों को स्थायी बनाने की सम्भावना की जाँच करने

का है, क्योंकि भारत में कर विधियों के अस्थायी स्वरूप के कारण जनता को बहुत असुविधा होती है तथा सरकार को भारी प्रशासनिक व्यय करना पड़ता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त-मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सुधार करने की दृष्टि से आयव्ययक सम्बन्धी प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं का लगातार पुनर्विलोकन किया जाता रहता है। वर्तमान सुधार में वित्तीय तथा व्यय नियंत्रण प्रणाली में सुधार तथा प्रशासकीय मंत्रालयों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को अधिक शक्तियां देने सम्बन्धी सुधारों का उल्लेख किया जा सकता है।

सुधार का एक उदाहरण चुने हुए मामलों में रूढ़िगत तरीके से बजट पेश करने के अतिरिक्त कार्यक्रम-कार्यान्विति वर्गीकरण शीर्षक के अन्तर्गत आयव्ययक प्रस्तावों को तैयार करना तथा पेश करना है। आयव्ययक सम्बन्धी प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं के प्रश्न पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी जांच की जा रही है तथा उन की रिपोर्ट को देखते हुए अग्रेतर कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

(ख) सरकार सदा स्थायी कर विधियों के लाभों को ध्यान में रखती है और यह प्रयत्न करती है कि जहाँ तक संभव हो उन में परिवर्तन न किया जाय। तथापि विकासशील अर्थव्यवस्था एवं विकसित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कर विधियों में समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह प्रयास करेगी कि कर विधियां स्थायी रहें।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

लघु उद्योगों के लिये स्टेट बैंक से सहायता

1526. **श्री गणेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने यह निर्णय किया है कि इसके द्वारा लघु उद्योगों को दी जाने वाली सुविधायें बढ़ा दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) जुलाई, 1967 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वार एक नई योजना की घोषणा की गई थी, जिस में घोषित किया गया था कि उन अर्हता प्राप्त शिल्पाकों तथा कारोबार आरम्भ करने के इच्छुक व्यक्तियों को, जिनके पास वांछनीय योजनायें हैं तथा जो छोटे उद्योग आरम्भ कर सकते हैं, परन्तु धन के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाते, को पूंजी लगाने के लिये धन दिया जायेगा। योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) योजना के अन्तर्गत औद्योगिक एककों और विशेषता ऐसे औद्योगिक एककों जो (क) प्रतिरक्षा प्रधान उद्योग एकक (ख) वे उद्योग जो विदेशी मुद्रा की बचत करते हैं तथा निर्यात प्रधान हैं (ग) वे उद्योग जो देशी कच्चे माल से अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करते हैं और (घ) वे उद्योग जो कृषि विकास के आधार हैं तथा और औद्योगीकरण करने का कार्य करते हैं, को अग्रिम धन दिया जायेगा।

(2) ये परियोजनायें औद्योगिक बस्तियों में होनी चाहिये तथा उनके पास कारखाने के लिये पर्याप्त स्थान और अन्य सुविधायें जैसे पानी, बिजली, परिवहन तथा संचार उपलब्ध होनी चाहिये।

(3) परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होनी चाहिये।

(4) एक उद्यमकर्ता को अधिक से अधिक एक लाख रुपये की राशि अग्रिम धन के रूप में दी जायेगी। मशीनों तथा उपकरणों के लिये किश्तों में ऋण दिया जायेगा तथा नकद ऋण और मांग ऋण के रूप में अल्पकालिक कार्यकारी पूंजी भी दी जायेगी।

(5) शर्तों के आधार पर लिये गये ऋण तथा किश्तों के आधार पर लिये गये ऋण पर ब्याज की दर $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत होगी और कार्यकरी पूंजी पर 9 प्रतिशत।

(6) समग्रता के आधार पर विचारी गई विशेष प्रकार की वित्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अन्य वित्तदाता अभिकरणों से समवर्ती ऋण लेने की सामान्यता अनुमति नहीं दी जायेगी और उपक्रमियों को बैंक द्वारा दिये गये ऋण के माध्यम से अथवा अन्यथा प्राप्त की गई अस्तियां बैंक के नाम में करनी पड़ेगी।

केन्द्रीय बिजली मंत्रणा परिषद्

1527. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय बिजली मंत्रणा परिषद् के सदस्यों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) परिषद् की बनावट को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने की संभावना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आदिवासी

1528 **श्री गणेश :** क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1947 से अब तक आदिवासियों द्वारा की गई प्रगति के बारे में आदिम जाती अनुसंधान संस्था, ममलाई, शिलाँग का प्रतिवेदन तैयार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फुलरेणु गुह):

(क) सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फरक्का बांध

1530. **श्री राम चरण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 करोड़ 50 लाख रुपये के फरक्का बाँध की सहायता नहर

(फीडर कनाल) को खोदने का काम मैसर्स अरविंद ब्रदर्स के बजाय मैसर्स तारापुर कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी को दिलाया गया था हालाँकि मैसर्स अरविंद ब्रदर्स का टेण्डर मैसर्स तारापुर कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी से बहुत कम था।

(ख) क्या यह सच है कि मैसर्स तारापुर कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी को जो काम सौंपा गया था वह पूर्व निश्चित अवधि में पूरा नहीं हो सका है और उसे एक वर्ष से अधिक समय की और अवधि बढ़ा दी गई है।

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त कम्पनी को इस काम के लिये मशीने आदि आयात करने के हेतु एक करोड़ 20 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा दी गई थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त कम्पनी को एक करोड़ रुपये की अग्रिम राशि–50 प्रतिशत व्याज के बिना और 50 प्रतिशत ब्याज की सामान्य दर पर दी गई थी और काम अब भी कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) जी, हाँ। फीडर नहर के एक भाग की खुदाई का कार्य दूसरे नम्बर पर कम से कम टेण्डर भरने वाली फर्म मैसर्स तारापुर कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया जिसने कि 8.475 करोड़ रुपये की कोटेशन दी थी। मैसर्स अरविन्द बदर्स का 7.522 करोड़ रुपये का सबसे कम टेन्डर स्वीकार नही किया गया।

(ख) कार्य पूरा करने की तिथि जून 1963 से बढ़ाकर जून 1968 कर दी गई है।

(ग) मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी को उन देशों से जिन को आदायगी रुपयों में की जाती है, मशीनरी आदि के आयात के लिये एक करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा दी जानी है। दस लाख रुपये तक की विदेशी मुद्रा किन्हीं अन्य देशों से उपस्कर खरीदने के लिये दी जानी है।

(घ) मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी को कार्य पर लगाई जाने वाली मशीनरी के बन्धीकरण करने पर एक करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई है। इसमें से 50 लाख रुपये ब्याज मुक्त हैं तथा 50 लाख पर ब्याज लिया जायेगा।

(ङ) करार के अनुसार तारापुर एण्ड कम्पनी को जून, 1968 तक कार्य पूरा कर देना है। लेकिन फर्म की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जो कि उन्हों ने मशीनरी के ठीक तरह काम न करने के कारण अनुभव कीं, यह मान लिया गया कि कार्यावधि को जून 1969 तक बढ़ा दिया जाये।

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इस्टीट्यूट चण्डीगढ़ में दुकानों का नियतन

1531. **श्री राम चरण:** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 3 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट चण्डीगढ़ के शापिंग सेन्टर में दुकानों के नियतन के बारे में जाँच पूरी हो गई है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति); (क) और (ख) : जी हां। चण्डीगढ़ के मुख्यायुक्त के इस आदेश के अनुसरण में कि भूतपूर्व सैनिक लोग द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों को तीन दुकानें अलॉट की जायें, लैफ्टिनेन्ट कर्नल ए० स० आनन्द को जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीयूट ऑफ मेडिकल एडूकेशन एण्ड रीसर्च चण्डीगढ़ के महानिदेशक के भाई हैं, को एक दुकान अलॉट की गई थी। यह आदेश, तथापि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीयूट ऑफ मैडिकल एडूकेशन एण्ड रिसर्च अधिनियम, 1966 के बनने के बाद जारी किये गये थे।

(ग) यह मामला इस समय विचाराधीन है।

विदेश यात्रा के लिये दी गई विदेशी मुद्रा

1532. **श्री राम चरण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक ने 31 अक्तूबर, 1967 तक गत छः महीनों के दौरान विदेश यात्रा के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी है; और

(ख) रिजर्व बैंक ने सरकारी अफसरों की विदेशी के लिये उपरोक्त समय में कितनी विदेशी मुद्रा दी है?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): 13 अक्तूबर 1967 को समाप्त होने वाली अवधि के आंकड़े अभी तक रिजर्व बैंक द्वारा इक्ट्ठे नहीं किये गये हैं। पूंजी के दिये जाने तथा आंकड़ों के इकट्ठे करने में हमेशा तीन से छः महीने तक का अन्तर होता है, क्योंकि ये आंकड़े रिजर्व बैंक के प्रादेशिक कार्यालयों तथा अधिकृत व्यौहारियों द्वारा भेजे गये विवरणों के आधार पर बनाये जाते हैं। उपलब्ध होते ही यह सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रसाद नगर, करौल बाग, नई दिल्ली

1533. **श्री राम चरण** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के प्रसाद नगर (करौल बाग-गन्दी बस्ती) के अधिकतर निवासी अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रसाद नगर के अधिकतर निवासी पिछले 15/20 वर्षों से रह रहे हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के भूमि अर्जन कलक्टर (तृतीय) (लैंड एक्वीजीशन कलक्टर ।।।) ने हाल ही में वहां के निवासियों को बिना वैकल्पिक भूमि दिये भूमि के खाली करने के नोटिस जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) इस तथ्य का पता लगाने के लिये कोई जनसंख्या सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) ये ढाँचे अधिकतर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत 26 जुलाई, 1956 को भूमि अर्जन की अधिसूचना जारी करने के बाद बनाये गये थे।

(ग) जी हाँ।

(घ) वे वैकल्पिक भूमि प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत वे प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार हैं।

दिल्ली/नई दिल्ली में झुग्गियों को गिराया जाना

1534. **श्री राम चरण**: क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष (30 सितम्बर, 1967 तक) में दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न भागों में गंदी बस्तियां हटाना योजना के अधीन कितनी झुग्गियां अथवा झोपड़ियां/मकान गिराये गये; और

(ख) इस अवधि में झुग्गियों में रहने वाले कितने व्यक्तियों को दिल्ली/नई दिल्ली में वैकल्पिक स्थान दिये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह)

(क) और (ख) : सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर बनाई गई झोपड़ियों अथवा झुग्गियों को झुग्गी और झोंपडी हटाने की योजना के अन्तर्गत गिराया जा रहा है, न कि गंदी बस्तियां हटाने की योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर 1967 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि तक 4811 अनधिकृत झुग्गियाँ गिराई गई थीं। 1602 परिवारों को वैकल्पिक स्थान दे दिये गये हैं।

Seizure of Diamonds and Jewels in Bombay

1535. **Shri P. N. Solanki :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4710 on the 6th July, 1967 and state :

(a) whether the investigations in the case relating to the seizure of diamonds and jewels worth Rs. 21 lakhs in Bombay have since been completed ;

(b) if so the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the investigations are likely to be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes, Sir.

(b) Investigations have revealed that in all seventeen persons are involved in various capacities in this case of illegal import of wrist watches and triangles of diamond cement worth about Rs. 14½ lakhs. The case is at present under departmental adjudication.

(c) Does not arise.

Forged Bank Drafts

1536. **Shri P. N. Solanki** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 4721 on the 6th July, 1967 and state :

(a) whether the investigations into the case of forged bank drafts by the Central Bureau of Investigation have since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes, Sir.

(b) As a result of the investigations conducted by the Central Bureau of Investigation a charge-sheet has been filed on the 30th October, 1967 against 4 persons under section 120-B read with sections 420, 489 and 201/511 of the Indian Penal Code, in the Court of the Magistrate I Class, Delhi. The case has now been posted for hearing on the 16th December, 1967.

(c) Does not arise.

सिंचाई आयोग

1537. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास के साधन का पता लनाने तथा कृषि अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सिंचाई की संभावनाओं तथा अन्य संबद्ध मामलों का पता लगाने के लिये एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव पर सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है,

(ख) यदि हाँ, तो इस का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हाँ तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई ओर विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) अभी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्यों से टिप्पणियों के प्राप्त होने में देरी।

परिवार नियोजन के लिये गोलियाँ

1538. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के लिये गर्भनिरोधक गोलियों के इस्तेमाल का सुझाव दिया जाता है, जब लूप असफल हो जाता है ;

(ख) इस परिवर्तन के बारे में भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हमारे देश में जनसंख्या के बढ़ते हुए आंकड़ों को और बढ़ने से रोकने में ये गोलियाँ कितनी कारगर हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) गर्भनिरोधक गोलियों के इस्तेमाल का सुझाव, केवल लूप के असफल होने पर नहीं दिया जाता, अपितु परिनियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये एक वैकल्पिक साधन के रूप में उसका सुझाव दिया जाता है। देश के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों की सलाह से प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक आधार पर भारत सरकार द्वारा मुँह से खायी जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों की एक पायलेट परियोजना आरम्भ की जा रही है।

(ग) चूंकि ये गोलियां अभी अपनी प्रयोगात्मक अवस्था में है, इसलिये इनके बारे में यह कहना अभी संभव नहीं है कि इनके इस्तेमाल से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को कितना रोका जा सकेगा, परन्तु सब उपलब्ध आधारों से यह बता चलता है कि ये जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में सफल होंगी, जैसाकि अन्य देशों में हुई हैं।

More Hospitals in Delhi

1540. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are no well equipped hospitals in the North, East and West parts of New Delhi to cater to the needs of the residents in these areas ; and

(b) if so, whether Government propose to establish well-equipped hospitals in all parts of Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) All regions of Delhi have a few good hospitals. However, the need for better hospital facilities in all areas of Delhi is constantly engaging the attention of the Government.

(b) There are proposals, to provide during the Fourth Plan period, a 500-bed hospital in North-West Delhi subject to availability of funds.

राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना

1541. **श्री ओ०प्र० त्यागी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1967 तक राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना के अन्तर्गत कुल कितना धन प्राप्त हुआ था;

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत ईसाई गिरजाघर मिशनों तथा विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारकों को कुल कितना धन प्राप्त हुआ था; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत 6 जून 1967 से पहले तथा 6 जून 1967 से 31 जुलाई, 1967 तक कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मई, 1966 तक जो राशियाँ प्राप्त हुई थीं, उन्हें राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना की सुविधायें प्राप्त होने का हक हासिल था। जब यह योजना चालू थी तो कुल मिलाकर लगभग 71 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(ख) प्रेषित राशियों के प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति योजना के लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं थे।

(ग) 6 जून 1966 तक 7.88 करोड़ रुपये की राशि के आयात लाइसेंस जारी किये गये थे, 6 जून, 1966 के बाद 31 जुलाई, 1967 तक 29.74 करोड़ रुपये के मूल्य के लाइसेंस जारी किये गये थे।

[भाग (क) और (ग) में दिये गये आंकड़े अवमूल्यन से पहले की शर्तों के अनुसार हैं]

लखनऊ में भार प्रेषण संस्था

1542. **श्री अमृत नाहाता** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में भार प्रेषण संस्था (लोड डिस्पैचिंग इन्स्टीट्यूट) स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) लखनऊ में बिजलीभार पारेषण स्थान को स्थापित करने के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। प्रस्तावित संस्थान राज्यीय/क्षेत्रीय ग्रिडों के मितव्ययी प्रचालन के लिए विभिन्न बिजली प्रणालियों में स्थापित किये जाने वाले बिजली-भार पारेषण केन्द्रों का प्रचालन करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा।

मैसर्स साहू जैन द्वारा देय आयकर की बकाया राशि

1543. **श्री कामेश्वर सिंह** : **श्री श्रीधरन**

क्या वित्त मंत्री 30 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहू जैन द्वारा देय आयकर की बकाया राशि इस बीच वसूल कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

अपना मकान बनाओ योजना

1544. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 और 1966-67 के दौरान अपना मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा कितने ऋण दिये गये हैं;

(ख) प्रत्येक ऋण की राशि कितनी-कितनी थी और ऋण किन-किन लोगों को दिये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के पास बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन पत्र पड़े हुए हैं जो एक से लेकर तीन वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर न निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को जनता की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण मंजूर किये जाने में विभिन्न प्रकार के कदाचार किये जाते हैं; और

(च) यदि हाँ, तो इन कदाचारों को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (ग) (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) इस सूचना से जो परिणाम प्राप्त होने की आशा है, वे इसके संग्रह और संकलन में लगने वाले समय तथा श्रम के अनुरूप नहीं होंगे ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Japanese Investment in India

1545. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the industrial delegation which visited Japan in September, 1967 has stated in its report that the Japanese Industrialists are not interested in investing their money in India ;

(b) the reasons therefor ;

(c) the nature of discussions held by him in this regard during his visit to that country ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to attract the Japanese investers ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) No, Sir. However, the Japanese industrialists mentioned to the visiting delegation certain problems which they were having in trading and joint collaborations with India, which in their view were acting as deterrents. It is hoped that, as a result of the

discussions, the member of the Delegation were able to allay some of the misgivings and doubts of the Japanese Industrialists.

(c) The Deputy Prime Minister and Minister of Finance during his visit to Japan a few weeks earlier, had discussions with the Japanese Prime Minister, the Foreign Minister, the Agriculture Minister and the Minister of Planning. He also met the representatives of the business community and of several organisations interested in India affairs. All the discussions, which were on broad and general lines, created a favourable climate for Japanese investments in India.

(d) Government have always kept in view various steps to attract foreign investors in general. They also propose to streamline the procedures by setting up a Foreign Investment Board to deal more expeditiously with the proposals for foreign investment.

Supply of Electricity from Nepal

1546. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Government of Nepal have made a proposal for the supply of electricity in large quantity to India ,

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) to (c) The Government of Nepal is considering implementation of a large hydro-electric project on Karnali River on the Indo-Nepal border. The project envisages sale of large blocks of power to India. Techno-economic aspects of the proposal are being studied by the Government of India.

Loans to States for Stepping up Agricultural Production

1547. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has recently given some loans to the State Governments for the purpose of stepping up agricultural production ;

(b) if so, the details thereof, State-wise ;

(c) whether the amount of loan has been utilised by the State Governments for the purpose of stepping up agricultural production only ; and

(d) the amount of assistance asked for by the State Governments and also the amount given to each State ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) No.

(b) to (d) Do not arise.

कोचीन और हल्दिया तेलशोधक कारखानों को अशोधित तेल की सप्लाई करने का करार

1548. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** ; क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि कोचिन और हल्दिया तेलशोधक कारखानों को अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिये एक विदेशी फर्म के साथ किया गया करार सरकार के हितों के प्रतिकूल तथा अलाभप्रद पाया गया है;

(ख) इस करार के निष्पादन के फलस्वरूप सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आवर्तक हानि हो रही है ;

(ग) क्या यह करार तेल तथा विधि के क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद किया गया था;

(घ) क्या सरकार हल्दिया तेलशोधक कारखाने के लिये अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिये उसी फार्म के साथ कोई दूसरा करार करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या करार की शर्तों की अच्छी तरह छान बीन कर ली गई है, जिससे भविष्य में हानि होने की कोई गुंजाइश न रहे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम से ऋण

1550. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम 70 वर्ष तक की आयु के लोगों के जीवन का बीमा करता है और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी लोगों को पालिसियों पर मकान बनाने के लिये ऋण देता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में ये ऋण केवल 58 वर्ष की आयु तक ही दिये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस भेद भाव को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) पालिसी लेते समय 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा पालिसियां जारी की जाती हैं। जिन ऋणों के मामले में ऋण की अदायगी, पालिसी के अदायगी-योग्य होने पर उसकी रकम में से नहीं होते हुए, समान मासिक किस्तों में की जानी होती है, उन पालिसियों

को 'अपनी मालिकी का घर बनाओ' योजना के अन्तर्गत आनुषंगिक जमानत के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह शर्त नौकरी-पेशा सभी प्रार्थियों पर लागू होती है, चाहे वे सरकारी नौकरी में हों अथवा अन्य नौकरी में।

(ख) सेवा निवृत्ति की आयु पर आधारित प्रतिबन्ध, जिसमें आयु की अधिकतम सीमा 60 वर्ष तक रख दी गई है, सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी करने वाले सभी प्रार्थियों पर लागू होता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

1552. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम ने राजधानी में, कोई प्रगति नहीं की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्यक्रम का काफी प्रचार किये जाने के बावजूद भी परिवार नियोजन केन्द्रों में छः अथवा सात से अधिक मामले दर्ज नहीं किये गये हैं;

(ग) क्या अनेक ग्रामों को अब भी परिवार नियोजन कार्यक्रम अथवा इस आन्दोलन के लिये विद्यमान कई सुविधाओं की जानकारी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या उपचारीय उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) मैं समझता हूँ ग्रामीणों को इस कार्यक्रम की जानकारी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता

1553. **श्री म०ला० सोंधी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों के पास जो सरकारी मकान हैं, उनका किराया बार-बार बढ़ाया जाता रहा है;

(ख) क्या उक्त वर्गों के कर्मचारियों से लिया जाने वाला मकान किराया उस किराये से भिन्न है जो सरकारी कर्मचारियों से लिया जाता है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से लिया जा रहा व्यापारिक किराया एफ० आर० 45-बी के अन्तर्गत लिये जाने वाले किराये के मुकाबले लगभग चार अथवा पाँच गुना अधिक है;

(घ) एस्टेट ऑफिस के सामान्य पुंज में कुछ स्वायतशासी निकायों को शामिल करने तथा औरों को शामिल न करने का आधार क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन सरकारी कर्मचारियों के मामलों का पुनर्विलोकन करने का है जिन्हें स्थायी तौर पर सरकारी उपक्रमों में रख लिया गया है, ताकि वे सरकारी क्वार्टरों को अपने पास रख सकें ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यह सच नहीं है कि सरकारी उपक्रमों तथा स्वायतशासी निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों के पास जो सरकारी मकान हैं, उनका किराया बार-बार बढ़ाया जा रहा है।

(ख) (एक) सरकारी कर्मचारियों से एफ० आर० 45–क के अन्तर्गत मानक किराया (अथवा एफ० आर० 45–ए के अन्तर्गत पूँजीगत मानक किराया) अथवा सरकारी कर्मचारी की उपलब्धियों का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, लिया जाता है।

(दो) ऐसे सरकारी कर्मचारियों से, जिनका केन्द्रीय सरकार में किसी पद पर धरणाधिकार है और जो स्वायत्तशासी संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर गये हुए हैं, एफ० आर० 45-ख के किराये अथवा एफ० आर० 45–क के अन्तर्गत पूँजीगत मानक किराये में से जो अधिक हो, लिया जाता है। ऐसे अधिकारियों से उस संगठन द्वारा किराया वसूल किया जाता है, जिसने उनको प्रतिनियुक्ति पर रखा है और जैसा कि प्रतिनियुक्ति की शर्तों में दिया हुआ है।

(तीन) उन कर्मचारियों के मामले में जिनका केन्द्रीय सरकार में किसी पद पर धरणाधिकार नहीं है तथा जिनके पास सामान्य पूजं का मकान है, उन संगठनों से जिनमें वे प्रतिनियुक्ति पर गये हुए हैं, व्यापारिक किराया लिया जाता है। नियोजक को इस बात की छूट है कि वह अपने कर्मचारी से जितना चाहे कम किराया वसूल करे।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में जिस वर्ग का बाद में उल्लेख किया गया है, उन व्यक्तियों से जो किराया वसूल किया जा रहा है, वह एफ० आर 45-बी के अन्तर्गत लिये जाने वाले किराये के मुकावले लगभग चार अथवा पाँच गुना अधिक है। इस समय जो व्यापारिक किराया है वह एफ० आर० 45-बी के किराये से दुगना अथवा एफ० आर० 45-क के पूँजीगत मानक किराये से दुगना, इनमें से जो भी अधिक हो के बराबर है तथ उसमें एक विभागीय प्रभार अथवा अन्य प्रभार जैसे फर्नीचर, बाग तथा सेवाओं इत्यादि पर प्रभार आदि जोड़ दिया जाता है।

(घ) जनरल पूल में केवल उन सवायत्तशासी तथा अर्द्धस्वायत्तशासी संगठनों को रखा गया है जो नियतन नियम 1963 के लागू होने से पहले जनरल पूल से सरकारी क्वार्टर प्राप्त करने के हकदार थे तथा जिनके मकानों के लिए पूर्णतया सरकार द्वारा धन का उपबन्ध किया गया था। अन्यों को सरकारी पूल में नहीं रखा गया है।

(ङ) जो कर्मचारी स्थायी रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रख लिये जाते हैं, वे सरकारी कर्मचारी नहीं रहते तथा वे सरकारी मकान प्राप्त करने। इसे रखने के हकदार

नहीं रहते। इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है कि उन कर्मचारियों को सरकारी मकान रखने की अनुमति दी जाये।

Survey of Western Kosi Canal Area in Nepal

1554. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) the dates on which survey of the area of Western Kosi Canal in Nepal was commenced and completed ,

(b) the date on which the survey report was forwarded to the Nepal Government for acceptance ;

(c) whether it has been accepted by the Government of Nepal and if so, when the digging work will start ;

(d) whether financial provision has been made for the completion of the Western Kosi Canal scheme ; and

(d) the persons responsible for the delay in forwarding the survey report to the Government of Nepal ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) On receipt of permission for survey and investigations from the Nepal Government in their letter dated the 6th January, 1967, the works were immediately taken up. These were completed at the end of June 1967.

(b) The survey report has not yet been forwarded to His Majesty's Government of Nepal.

(c) Does not arise.

(d) It has already been agreed that cent per cent Central assistance by way of loans will be afforded to the State Government for this project within the State Plan ceiling.

(e) The survey report is under examination in the Central Water and Power Commission as it has to be cleared technically before it can be forwarded to His Majesty's Government of Nepal.

Construction of Kamla Barrage in Nepal

1555. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Nepal, in addition to the according of sanction for the construction of Kamala Barrage, have forwarded the names of the administrator and the engineer together with other details; and

(b) if so, the progress made so far in this direction and the time by which the work is likely to be started and completed?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) and (b) The Kamla Barrage Project on the river Kamla in Nepal will be constructed by his Majesty's Government of Nepal, who will no doubt take appropriate action at the right time. On their part, the Government of India would be prepared, as always, to extend to His Majesty's Government of Nepal every possible assistance if and when requested.

कमला नदी पर बाँध

1556. **भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार में कमला नदी के दोनों ओर के बान्ध नेपाल के साथ लगने वाली हमारी सीमा के नीचे तक मुकम्मल हैं ;

(ख) क्या उपर्युक्त बान्ध के कारण नेपाल राज्य में इस नदी में बाढ़ आ जाती है जिस से नेपाल में और इस नदी के बाहर भी बड़ी व्यापक क्षति होती है;

(ग) क्या नेपाल सरकार ने नेपाल में हिमालय की तलहटी तक बाँध बनाने का प्रस्ताव किया था; जिसके लिये उन्होंने 8 अक्तूबर, 1967 को इन्जीनियरों और प्रशासकों के बीच बातचीत का प्रस्ताव रखा था; और

(घ) क्या यह भी सच है कि 8 अक्तूबर, 1967 को भारत का ओर से किसी ने भी बातचीत में भाग नहीं लिया और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव):

(क) भारत नेपाल सीमा से 68·4 किलोमीटर की दूरी पर दर्जिया तक कमला बालन के दोनों तटों पर तट बन्ध बना दिये गये हैं। भकुआ के निकट वाय तटबन्ध में लगभग 6 मील जगह खाली छोड़ दी गई है ताकि बालन, सोनी, धौरी की नदियां तथा अन्य छोटी सरिताएँ कमला में मिल सकें। दाएँ तटबन्ध में लगभग 250 फुट खाली जगह छोड़ दी गई है ताकि बाढ़ों के दिनों में बाढ़ का पानी कमला की पुरानी चैनल में बह सके।

(ख) नेपाल में कमला की तटबन्ध रहित पहुँचों में पानी आ जाता है जिसके परिणामस्वरूप नेपाल और भारत के क्षेत्र जलप्लावित हो जाते हैं। भारत नेपाल सीमा के नीचे उपांत तट बंध इसका कारण नहीं है।

(ग) और (घ) नेपाल क्षेत्र में मिर्चया ग्राम तक, जो भारत-नेपाल सीमा से लगभग 20 मील की दूरी पर स्थित है, कमला तटबन्ध के विस्तार की स्कीम के बारे में कुछ समय पूर्व बिहार सरकार ने प्रस्ताव रखा था जिस पर नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत इस पहुँच में नदी की उमड़न को रोकना और नदी का रास्ता बदलने की प्रवृत्ति को रोकना परिकल्पित है। इस संबंध में नेपाल सरकार और बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। काठमांडू में 8 अक्तूबर, 1967 को नेपाल सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की सूचना बिहार सरकार द्वारा भारतीय सहायता मिशन से प्राप्त हुई थी किन्तु चूंकि यह सूचना कुछ देर से मिली थी और हवाई जहाज में जगह उपलब्ध न हो सकी, बिहार सरकार के अधिकारी काठमांडू न जा सके। इसलिए भारतीय सहायता मिशन से तार द्वारा 7–10–67 को प्रार्थना की गई थी कि वे बैठक की कोई और तिथि निर्धारित करें। बाद में यह बैठक 7 से 9 नवम्बर तक हुई और इसमें बिहार सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

1557. **श्री भोगेन्द्र झा : श्री मेघचन्द्र :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने अपने अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान और भत्तों के समान वेतन-मान और भत्ते देने का निर्णय कर लिया है तथा उक्त निर्णय को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है और कितनी राज्य सरकारों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

सूचना राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना

1558. **भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शीघ्र कार्यान्विति और पूर्ति के लिये बिहार सरकार को 20 करोड़ रुपये से भी अधिक की पूरी राशि ऋण के रूप में देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव):

(क) से (ग) यह स्वीकार हो चुका हुआ है कि राज्य सरकार को इस परियोजना के लिये राज्य योजनार्थ निर्धारित राशि के अनुसार ही ऋण के रूप में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ।

दमन सीमा के निकट पकड़ी गई घड़ियाँ

1559. **श्री मयावन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 अक्तूबर, 1967 को दमन सीमा के निकट कपी स्थान पर सीमा-शुल्क विभाग ने 6 लाख रुपये की घड़ियां पकड़ी थीं;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें कैसे बेचा गया ;

(ग) उनको बेचने से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(घ) इन वस्तुओं को बेचने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) वाषी के समीप भिलाड़ चौकी पर तैनात सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 25 अक्तूबर 1967 को एक ट्रक से लगभग 6 लाख 20 हजार रुपये मूल्य की 3600 घड़ियां पकड़ीं ।

(ख) और (ग) मामलों में अभी भी जाँच पड़ताल चल रही है। इसलिये इस वक्त घड़ियों का निपटान करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(घ) जब्त करने के बाद घड़ियों को विभागीय दूकानों की मार्फत खुदरा बिक्री के लिये रजिस्टरशुदा सहकारी समितियों तथा रक्षा विभागीय कन्टीनों के जरिये सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने के लिये बेच दी जाती हैं।

आयकर की वसूली

1560. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि 1963-64 से 1966-67 के बीच कर दाताओं की संख्या में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु इस अवधि में कर वसूली के व्यय में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयकर विभाग में 25 करोड़ रुपये से अधिक रकम के 12 लाख मामले निलम्बित हैं;

(ग) क्या कर निर्धारण के कुल मामलों के निबटाने की प्रतिशतता वर्ष 1959-60 में 69·6 थी और 1963-64 में घटकर 54·60 रह गई।

(घ) गत 31 मार्च 1967 को आयकर की बकाया राशि 400 करोड़ रुपये से भी अधिक थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने मामले को शीघ्रता से निबटाने के लिये प्रक्रिया को दोषरहित बनाने और आयकर की वसूली करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1966-67 में कर निर्धारितियों की संख्या (27,01,733) में, 1963-64 के कर निर्धारितियों की संख्या (15,59,149) की तुलना में 79% की वृद्धि हुई है। वसूली का खर्च 1963-64 में 1·26% (670 लाख रुपये) से बढ़कर 1966-67 में 1·63% (1032 लाख रुपये) हो गया है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, हाँ। किन्तु निबटारे के लिये पड़े कर-निर्धारण के मामलों की संख्या 1959-60 में 16,72,001 से बढ़ कर 1963-64 में 27,09,107 हो गयी थी। मामलों के निबटारे का वार्षिक औसत भी प्रति आयकर अधिकारी 1959-60 में 939 से क्रमशः बढ़ते हुए 1963-64 में 1113 हो गया।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) मामलों को शीघ्रता से निबटाने तथा आयकर वसूली की कार्यविधि को प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित कदम उठाये हैं।

मामलों का निबटारा

(i) निरीक्षण सहायक आयुक्तों की 67 रेंजों में 'कर्तव्य के अनुसार कार्य-विभाजन' की योजना शुरू की गई है जिसके अनुसार निर्धारण और उसकी वसूली का काम अलग-अलग कर

दिया गया है तथा कर निर्धारण और उसकी वसूली के लिये अलग-अलग अधिकारी नियत किये गये हैं । इससे कर-निर्धारणों के मामलों के निबटारे तथा कर की मांगों की वसूली में गति आने की संभावना है ।

(ii) कम आमदनी के मामलों के निबटारे के लिए एक नयी योजना शुरू की गयी है जिसके अनुसार 7,500 रुपये अथवा उस से कम आमदनी वाले निर्धारितियों द्वारा पेश की गयी आय की विवरणियां अधिकांश मामलों में स्वीकार कर ली जाएंगी ।

(iii) कम्पनियों तथा अधिक आमदनी के कम्पनी-भिन्न मामलों में बकाया कर निर्धारण के काम को पूरा करने के लिये एक समय-लक्ष्य-बिन्दु अर्थात 31 मार्च 1969 निश्चित कर दिया गया है ।

(iv) वेतन पाने वाले निर्धारितियों के मामलों में हिसाब लगाने के लिए यान्त्रिक पद्धति का प्रयोग आरम्भ किया गया है ।

आयकर की वसूली

(i) राज्य सरकारों से वसूली का कार्य धीरे-धीरे (केन्द्र में) ले लेना । राज्यों सरकारों से वसूली का कार्य दिल्ली और आन्ध्र प्रदेश के आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में पूर्ण रूप से तथा आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, गुजरात और राजस्थान के कार्य-क्षेत्रों में आंशिक रूप से ले लिया गया है ।

(ii) कर्तव्यों के अनुसार कार्य-विभाजन की योजना लागू करना जिसके अधीन वसूली करने के काम पर लगे आयकर अधिकारी बकाया कर की वसूली में पूरी तरह जुट सकें ।

(iii) वसूली के लिये बकाया पड़ी रकमों के मामलों में उपयुक्त कार्यवाही करने की जिम्मेदारी नीचे दिये अनुसार अधिकारियों विशेष पर डाली गई है :—

आयकर अधिकारी	... 1 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले
निरीक्षण सहायक आयुक्त	... 1 लाख रुपये से अधिक परन्तु 5 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले ।
आयकर आयुक्त	... 5 लाख रुपये से अधिक की बकाया के मामले ।

(iv) विलम्ब से की गई अदायगियों के मामले में तारीख 1-10-1967 से ब्याज की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है ।

(v) बकाया मांगों की शीघ्र वसूली पर नजर रखने के लिए आयुक्तों के कार्यभार में विशेष वसूली यूनिटों की स्थापना की गयी है ।

(vi) 5 लाख रुपये से अधिक की बकाया मांग के मामलों की निरीक्षण निदेशक (गवेषणा, सांख्यिकी तथा प्रकाशन) द्वारा समीक्षा ।

(vii) सभी कम्पनियों के मामलों में और यदि कर-निर्धारण के लिये आय की रकम 20,000 रुपये से अधिक हो तो कम्पनी भिन्न मामलों में बकाया बताने वाले विवरण-पत्र रखना ।

पूर्ति तथा निबटान महानिदेशालय में ठेका अधिकारी की नियुक्ति

1561. **श्री दामानी : क्या निर्माण तथा आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निबटान महानिदेशालय में एक ठेका अधिकारी की नियुक्ति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसको क्या क्या काम दिया गया है; और

(ग) इस संगठन के कामकाज में किस सीमा तक सुधार हुआ है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां, पूर्ति तथा निबटान महानिदेशालय में 1-12-1966 से एक ठेका अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(ख) उसे निम्नलिखित काम सौंपे गये हैं :

(1) पूछताछ निविदा/विभिन्न क्रय निदेशालयों/व्यापार समूहों के ठेकों के प्रारूपों का मानकीकरण करना ।

(2) विदेशी ऋणों के अन्तर्गत विशेष खरीदों के सब ठेकों के प्रारूपों की जांच करना।

(3) एक करोड़ से अधिक मूल्य के सब ठेकों के प्रारूपों की जाँच करना । इसमें रेट/रनिंग ठेके भी शामिल हैं, जिनका प्राक्कलन ठेके की अवधि में एक करोड़ से अधिक हो ।

(4) सप्लाई कर्ता द्वारा लगाई गई ऐसी विशेष शर्तों के बारे में जो ठेके की सामान्य शर्तों के अनुसार न हों, क्रय निदेशालयों को सलाह देना।

(5) करार करते समय करार सम्बन्धी मामलों का कानूनी तौरपर विवेचन करना ; और

(ग) संदिग्धता को दूर करने अथवा सरकारी हितों की रक्षा करने के लिये ठेके के फार्मों तथा शर्तों में संशोधनों का सुझाव देने में ठेका अधिकारी सहायक सिद्ध हुआ है। ठेके के दस्तावेज तैयार करते समय उनकी विशेष कानूनी सलाह से सरकार को लाभ हुआ है। इससे यह आशा की जाती है कि ठेकेदारों के विवाद कम हो जायेंगे ।

धन की कमी के कारण रुकी हुई सिंचाई परियोजनाएं

1562. **श्री एस० आर० दमानी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण देश की बहुत सी सिंचाई परियोजनाओं को बन्द करना पड़ा है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे कृषि कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) धन की कमी के कारण, नागार्जुनसागर राजस्थान नहर, व्यास यूनिट–2, गंडक आदि जैसी कुछ बड़ी परियोजनाओं पर प्रगति रुक गई है।

(ग) जो सिंचाई लाभ जल्दी ही मिल सकते थे, अब उनमें काफी देरी हो जायगी।

सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना

1563. **श्री ओंकार लाल बरवा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर 1967 को समाप्त होने वाली तिमाही में सरकार ने कितना निषिद्ध सोना पकड़ा; और

(ख) उसका मूल्य कितना था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) सीमाशुल्क कानून तथा स्वर्ण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने के कारण सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों द्वारा अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर 1967 में 2849 किलोग्राम सोना पकड़ा गया जिसका मूल्य लगभग 240.5 लाख रुपये होता है।

पुरानी इमारतों से पानी का टपकना

1564. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सभी पुरानी सरकारी इमारतें जिनमें संसद-सदस्यों के बंगले भी शामिल हैं, पिछली बरसात से चू रही थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इन इमारतों के टपकने को बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) जी, नहीं। कुछ भवनो के चूने की सूचना मिली है और इसको रोकने के लिये शीघ्र कार्यवाही की गई थी।

सिन्धु नदी आयोग

1565. **श्री हेम राज :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1967 में सिन्धु नदी आयोग की कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या क्या निर्णय किये गए ; और

(ग) क्या निर्णयों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी हाँ।

(ख) आयोग ने अक्तूबर, 1967 से लेकर फरवरी, 1968 की अवधि के लिये अपनी बैठकों और निरीक्षण दौरों के कार्यक्रम का अवलोकन किया और इस सम्बन्ध में एक अस्थायी अनुसूची पर निर्णय किया।

इस आयोग ने पाकिस्तान को पूर्वी नदियों से सितम्बर, 1965 में तथा इसके बाद पानी देने से सम्बन्धित प्रश्नों पर भी और विचार किया । इन प्रश्नों को किस प्रकार निपटाया जाए, इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न विचार प्रकट किये गए परन्तु आयोग इस बात पर सहमत था कि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों को इस मामले के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिये कहा जाय । किन्तु सन्धि के किन उपबन्धों के अन्तर्गत इस प्रकार की रिपोर्ट भेजी जाय, इस बारे में आयोग सहमत न हो पाया और परिणाम-स्वरूप कोई रिपोर्ट प्रस्तुत न की गई ।

(ग) बैठक का विवरण 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का परिशिष्ट बन जाएगा जिसकी प्रतियां उचित समय पर सभा पटल पर पहले की तरह, रखी जायेंगी ।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

1566. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स ने 1964 में 60 लाख टन रुपये की लागत के फासफोरस एसिड के 75 ड्रमों का आयात किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सामग्री को अच्छी तरह से नहीं रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप वह खराब हो गई और इससे कम्पनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कोई जांच की गई थी ताकि नुक्सान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा कुल कितना नुक्सान हुआ था ; और

(घ) नुक्सान के लिये जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में जुलाई से सितम्बर, 1967 के बीच फासफोरस एसिड के दो लदे जहांज पहुंचे । एसिड के लदान में 2.50 लाख रुपये खर्च हुए ।

(ख) इसमें कुछ ड्रम चू रहे थे और उनमें से कुछ ड्रम बिल्कुल खाली पाये गये । ड्रमों के रास्ते में और पिपरी स्टोर में चूने के परिणाम स्वरूप 44,182 रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है । इससे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) और (घ) जी, हाँ । इसके सब पहलूओं की जाँच के लिये एक जाँच बोर्ड का गठन किया गया था । कम्पनी के किसी कर्मचारी को नुक्सान के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया गया । कम्पनी ने नुक्सान को फिर से रोकने के लिये उपचारात्मक कार्यवाही की है । मार्ग में होने वाले 21,587.79 रुपये के नुक्सान के लिये बीमा कम्पनी से अलग से दावा किया गया है ।

मंत्रियों द्वारा निवास स्थानों का परिवर्तन

1567. **प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने जून 1967 से अब तक निवास स्थान बदले हैं और निवास स्थान बदलने के क्या कारण थे ; और

(ख) प्रत्येक नये निवास स्थान की मरम्मत परिवर्तनों, नये फर्निचर सामग्री, उपकरणों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने पर कितना खर्च किया गया ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1698/67]

खाद्य पदार्थों में मिलावट

1568. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री नम्बियार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने मामले हुए और कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में 52 प्रतिशत मिलावट होने का पता लगा है ; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं। मध्य प्रदेश में 1965 में अपमिश्रण के मामले 51 प्रतिशत से 49 प्रतिशत और 1967 में (अब तक) यह 44 प्रतिशत रह गये हैं।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के उपबन्ध को और कठोर कर दिया गया है और राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह इस अधिनियम को उचित रूप से लागू करें। समस्या का समाधान करने के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

(1) समान्य स्वास्थ सेवा निदेशालय में केन्द्रीय एकक का स्थापित किया जाना और निरीक्षणालय कर्मचारियों और प्रयोगशालाओं के साथ तीन क्षेत्रीय कार्यालयों का खोला जाना।

(2) खाद्य निरीक्षकों को पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के अधिकार दे दिये गये हैं।

(3) राज्य सरकारों ने प्रयोगशालाओं में और सुविधाएँ प्रदान की हैं।

(4) नगरीय क्षेत्रों में खाद्य निरीक्षकों की 1 से 25,000 के अनुपात में व्यवस्था करना और ग्रामीण क्षेत्रों से उन्हें खाद्य निरीक्षकों की भाँति कार्य करने के अधिकार देना और यथासमय उन्हें प्रन्तीय सेवा में लगा लेना।

विश्व बैंक से ऋण

1569. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को अपने ऋणों का भुगतान करने के लिये बिना शर्त वाला एक विशेष ऋण देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी विशेषताएँ क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) **और** (ख) विदेशी मुद्रा के ऋण भार को कम करने के उद्देश्य से विश्व बैंक ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में एक विशेष खाता खोला है जिसमें विश्व बैंक को दी जाने वाली बकाया रकम के बराबर रकम इस खाते में जमा कर दी जाती है। उस विशेष खाते में जमा की जाने वाली कुल रकम की सीमा 500 लाख डालर के बराबर होगी। 31 मार्च, 1968 तक यह प्रबन्ध जारी रहेगा।

बगान उद्योग को कर से मुक्ति

1570. **डा० रानेन सेन:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इन बगानों को, जिनमें श्री लंका से स्वदेश लौटे लोगों को काम पर लगाया जायेगा, कर से मुक्त किया जाये, ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर नगरपालिका कर को बकाया राशि

1571. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर नगरपालिका के करों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये कलकत्ते के महापौर से मिले थे ; और

(ख) यदि हां; तो इस मुलाकात में किन किन बातों पर विचार किया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) कलकत्ते में केन्द्रीय सरकार की सम्पति पर नगरपालिका के करों की बकाया राशि के पूर्ण भुगतान करने के प्रश्न पर कलकत्ते के उप-महापौर की उप-प्रधान मंत्री से

29 अगस्त, 1967 को बातचीत हुई थी । इस बातचीत के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई :--

(क) कलकत्ता नगरपालिका के करों की बकाया राशि का भुगतान करना।

(ख) कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति के भुगतान किये जाने की दर।

(ग) संविधान की धारा 285 (2) के अन्तर्गत पूरा सम्पत्ति कर का भुगतान किया जाना।

बिना डाक्टरों वाले स्वास्थ्य, केन्द्र

1572. **डा० रानेन सेन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर तो भारत में स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं तथा दूसरी ओर समूचे देश में इतनी ही संख्या में डाक्टर बेकार हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश में कार्य कर रहे 4666 प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों में से 653 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डक्टरों के कार्य कर रहे हैं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की कमी का कारण सामान्यता डाक्टरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिये तैयार न होना है। बहुत से डाक्टर नगरों में रहना पसन्द करते हैं और नगरों में निजी प्रैक्टिस पर निर्भर करते हैं ।

(ख) राज्यों / केन्द्र शासित सरकारों ने इन प्राथमिक केन्द्रों में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिये उन्हें अच्छे वेतनमान और भत्ते, मुफ्त रहने की व्यवस्था या मकान का भत्ता, सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति और चिकित्सा कालिजों की संख्या और प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है।

कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन

1573. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड **की मान्यता** कुछ और समय के लिये बढ़ा दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को इस संस्था के विरुद्ध अनुचित सट्टेबाजी के आरोप प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या मान्यता की अवधि किन्हीं नई शर्तों के आधार पर बढ़ाई गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां । 10 अक्तूबर, 1967 से कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज कलकत्ता को कुछ शर्तों पर पाँच वर्ष के लिये और मान्यता देने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) और (ग) व्यापार के अनुचित तरीके प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हुई है। सरकार ने अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, स्टाक एक्सचेंजों के कार्य में सुधार करने के उद्देश्य से कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज, और दूसरे एक्सचेंजों को कुछ निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत मान्यता दे दी है। इन शर्तों में अन्य बातों के साथ साथ ऐसे स्वतन्त्र कार्यकारी अधिकारी को प्रबन्धक बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने की व्यवस्था भी है जिसका मंडी पर प्रभाव न हो और जिसका व्यवहार निष्कपट हो तथा जो पूंजी लगाने वालों के हित की रक्षा कर सके।

Aid to Bihar for Flood-Relief

1574. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lakhs of kacha houses were either washed away in floods or collapsed because of heavy rains in Patna, Gaya, Shahabad, Monghyr, Saran, Muzaffarpur, Darbhanga, Champoran District of Bihar this year;

(b) if so, the total number of houses so collapsed;

(c) whether the State Government of Bihar have asked for financial aid from the Central Government for providing asistance to persons rendered homeless and to rehabilitate them; and

(d) if so, the amount demanded by them and the action Government propose to take in this regard?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) The State Government have reported that 89,164 houses were damaged or destroyed by the floods and heavy rains in Bihar this year.

(c) Yes, sir.

(d) The State Government had placed their requirements for relief measures at Rs. 8·28 crores. A Central Team of officers visited the State to assess the situation. After detailed discussions with State Government officials, the Team estimated the requirements at Rs. 1·36 crores, against which a loan of Rs. 1 crore has been advanced to the State Government. Further amounts will be released to the extent found necessary.

Village Housing Scheme in Bihar

1575. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Work, Housisg and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out any Housing Scheme for rural areas in Bihar under the Housing Plan of the Central Government;

(b) if so, the number of villages where the above scheme will be implemented;

(c) whether the above scheme has been introduced in any state and if so, the number of villages where new houses have so for been constructed and the number thereof;

(d) whether Government grant loans for the construction of houses only or whether there is any scheme of free housing also; and

(e) whether there is any housing scheme for agriculture labourers and if so, the number of villages where such houses have so far been constructed and the number thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) Yes, the Village Housing Projects Scheme of this Ministry is in operation in Bihar.

(b) Out of 600 villages allotted to the State, the Scheme is at present being implemented by the State Government in 73 villages.

(c) The Scheme has been introduced in almost all the States. According to the progress reports received, 35,220 houses have been completed in about 3000 villages up to 31st. March, 1967.

(d) The Government grant only loans for construction and improvement of houses and there is no provision for any free housing.

(e) Apart from loans for construction or improvement of houses, the Village Housing Projects Scheme also provides for allotment of free house sites (or at a nominal cost) to landless agricultural workers. The Central Government gives 100% grant to the State Governments for this purpose. So far, only four States have taken up this programme, as indicated below :

Bihar	..	About 10 acres of land acquired.
Gujarat	..	68 house sites allotted.
Kerala	..	60 house sites allotted.
Mysore		100 house sites allotted.

The landless agricultural workers to whom house sites may be allotted, are also eligible for grant of loans for construction.

अशोधित सोना

1576. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अगस्त 1967 के बाद निजी कब्जे में अशोधित सोना रखने के कुछ मामले पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) 1 सितम्बर 1967 से 10 नवम्बर 1967 तक ऐसे 113 मामले पकड़े गये जिनमें 52,443 ग्राम शुद्ध सोना लोगों के खानगी कब्जे में पाया गया।

(ग) ये मामले पूछ ताछ/जांच पड़ताल की भिन्न-भिन्न स्थितियों में हैं। जांच पड़ताल पूरी हो जाने पर स्वर्ण नियंत्रण नियमों तथा/अथवा अन्य उपयुक्त कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

Medical Colleges in Tribal Areas

1577. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the reasons for which all the medical colleges in the country have been opened only in urban areas and not in tribal areas;

(b) whether Government are drawing up any scheme to open a Medical College in some thickly populated tribal areas; and

(c) whether Government propose to open a Medical College in the tribal area of Sendhwa in West Nimad District?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) The establishment of Medical Colleges presupposes the availability of a number of facilities such as, teaching Hospitals training personnel, clinical equipment, trainee students etc. It also depends upon the considerations of population because a Medical College, according to the recommendations of the Health Survey and Planning Committee, is required to cater to the needs of five million population. These conditions are satisfied in urban areas and not in the tribal regions.

(b) No.

(c) Establishment of new Medical Colleges lies within the jurisdiction of the State Governments. Central assistance for such colleges is made available to the State Governments on an approved pattern. The location of the colleges is, however, determined by the State Government concerned.

The Government of India are not aware if the Government of Madhya Pradesh propose to open a new Medical College in tho tribal areas of Sendhwa in West Nimad District.

Road Rollers

1578. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government propose to lay a list of the names of road rollers being manufactured in India which are cheap and useful for constructing roads in the hill areas and are purchased by the Department of Supply; and

(b) the reasons for which some road rollers are not being purchased despite being cheap and good and the names of such road rollers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) and (b) Road Rollers of 8-10 ton capacity, standard type, for use in the plains and also in the hill areas are being purchased on rate contract price agreement basis from the following firms :—

(i) M/s. Garden Reach Workshops ;

(ii) M/s. Britannia Engineering ;

(iii) M/s. Jessops.

Another firm, Ms. U. P. C. C. was supplying road rollers of Agrind-More make, but on account of irregularities and non-supply of road rollers, the rate contract with this firm was not renewed.

Only against specified limited demands' road rollers of lower capacity had been purchased from the following firms :—

(i) M/s. Garlick (3-4 ton capacity)

(ii) M/s. Jessops (4-6 ton capacity)

Social Welfare Departments at the Centre and in the States

1579. **Shri Shashibhusban Bajpai** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to merge the Social Welfare Departmem of the Central Government in the Social Welfare Departments of the States ,

(b) whether the Social Welfare Departments of States co-operate with the Social Welfare Departments of the Central Government functioning in the States ; and

(c) the details of the programmes chalked out by the Social Welfare Departments at Central and in the States in respect of Harijans and Adivasis ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guhap) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The details of the programmes undertaken by the Government of India for the welfare of Harijans and Adivasis are published every year in the report of the Department of Social Welfare and also in the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

अनुचित जातियों और असूचित आदिम जातियों के लिये गृह निर्माण योजनाएं

1580. **श्री रवि राय :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की गृह निर्माण योजनाओं की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या ये योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारें इस कार्य को सुचारु रूप से करें इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) गृह निर्माण के लिये नियत राजकीय सहायता की राशि में हाल ही में वृद्धि का गई है।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्यों की वार्षिक योजनाएं, राज्यों और केन्द्रीय क्षेत्रों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा के बाद बनाई जाती हैं। समय-समय पर राज्य सरकारों, अनुसूचित

जाति और अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्तों और पिछड़े वर्गों के मुख्य निदेशक द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

'ग्राम-गृह निर्माण परियोजना' योजना

1581. **श्री रवि राय :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे तथा तीसरे योजना कालों मे ग्राम-गृह निर्माण परियोजना योजना के बारे में क्रमशः 37.6 प्रतिशत तथा 34.7 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा न करने के क्या कारण है;

(ख) क्या यह सच है कि उन ग्रामों की संख्या, जिनमें इस योजना को क्रियान्वित किया जाना था, दूसरे और तीसरे योजना-कालों में 5,000 पर ही स्थिर रही;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रा-लय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) तीसरी और चौथी योजना की अवधि में योजना के अन्तर्गग क्रमशः 22.30 प्रतिशत और 65.48 प्रतिशत की वस्तविक कमी हुई है। इस कमी के मुख्य कारण यह हैं कि तीसरी योजना अवधि में यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित हो गई थी और राज्य सरकारें कृषि, सिंचाई और बिजली इत्यादि के मुकाबले में इस योजना को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दे सकीं थीं। इसके अलावा तीसरी योजना में चीन और पाकिस्तान के साथ कटु सम्बन्ध होने के परिणामस्वरूप रक्षा के लिये शीघ्र आवश्यक चीजों की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा, जिसके कारण इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) जी, हां।

(ग) अगस्त, 1967 में जब इस योजना को आरम्भ किया गया था तब इसका उद्देश्य 1970-71 तक 10 वर्ष के भीतर विभिन्न स्तरों में 5000 ग्रामों को नया रूप देना था। इसके अलावा बहुत से चुने हुए ग्रामों में कार्यक्रमों का सूत्रपात्र नहीं किया गया है। अतः इस समय चुने हुए गावों की संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता। सितम्बर, 1962 में मकानों में सुधार करने और गलियो और नालियों को बनवाने तथा किसानों को मुफ्त रहने की जगह देने के लिये ऋण की सहायता की व्यवस्था करने के लिये योजना में परिवर्तन किया गया था। इस परिवर्तनों के अनुसार कुल गांवों को नये रूप देने के स्थान पर वर्तमान गांवों में सुधार करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

(घ) इस योजना को उचित रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से चौथी लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में (1967-68) कुछ उपयोगी सुझाव दिये हैं। प्राक्कलन समिति द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान रखते हुए योजना में परिवर्तन किये जाने का प्रश्न योजना आयोग के विचाराधीन है।

जैसलमेर में गैस

1582. **श्री अमृत नाहाटा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर में गैस पाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जैसलमेर क्षेत्र में खोदे गये एक कुंए में प्राकृतिक गैस होने के संकेत मिले हैं ।

(ख) चूंकि और आगे खुदाई की जानी है, इसलिये इस अवस्था में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

गर्भ निरोधक सामग्री का आयात

1583. **श्री अमृत नाहाटा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गर्भ निरोधक सामग्री का आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयात की जाने वाली गर्भ निरोधक सामग्री की सूची सभा पटल पर रखने का है; और

(ग) प्रथम योजना के आरम्भ से अब तक उस पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर):

(क) जी, हां ।

(ख) इस समय केवल रबड़ का बना गर्भ-निरोधक सामान आयात किया जाता है ।

(ग) रबड़ के बने गर्भ निरोधक सामान के आयात पर वर्षवार खर्च की गई राशि के आंकड़े सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1699/67]

प्रधान मंत्री का निवास स्थान

1584. **श्री मणि भाई जे० पटेल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या प्रधान मंत्री के लिये स्थायी निवास-स्थान के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है; और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल में आत्म-निर्भरता

1585. **श्री विश्वनाथ राय :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने किसी प्रकार के तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है; और

(ख) क्या हमारा देश किसी प्रकार के तेल का निर्यात करने की स्थिति में है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) मांग के वर्तमान स्तर के आधार पर, भारत मिट्टी के तेल, स्नेहक तेल तथा कुछ छोटे-मोटे उड़ान ईंधनों को छोड़ कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भर है।

(ख) भारत इस समय मोटर स्पिरिट, नापथा, एच० एस० डी० और पेराफिन वैक्स का निर्यात करता है ।

गांवों में बिजली की व्यवस्था

1587. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे गांवों का सर्वेक्षण किया है जहां पर अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (ग) लगभग 5,72,822 ग्रामों में से तीसरी योजना के अन्त तक 5,19,435 ग्रामों में बिजली नहीं पहुंचायी गई थी । तीसरी योजना के अन्त तक 53,387 ग्रामों में बिजली लगा दी गई थी ; 1966–67 वर्ष के दौरान 7706 ग्रामों में बिजली लगाई गई । अगले पांच वर्षों की अवधि में कुल 1,10,000 ग्रामों में बिजली लगाने का अस्थायी लक्ष्य है । ग्राम-विद्युतन स्कीमों के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिसमें ग्रामों में बिजली लगाना भी सम्मिलित है ।

नाइलोन के धागे का चोरी छिपे लाया जाना

1588. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** . क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जनवरी, 1967 को या इसके लगभग अपर सीमा शुल्क कलक्टर, बम्बई को यह सूचना मिली थी कि नाइलोन के धागे की 6000 पेटियां देश में चोरी छिपे लाई गई हैं;

(ख) क्या इस व्यापार से सम्बन्धित फर्मों के नाम तथा पता बताये गये थे;

(ग) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या है;

(घ) क्या दी गई सूचना के आधार पर कोई कार्यवाही की गई थी;

(ङ) यदि हाँ, तो किस तारीख को और क्या कार्यवाही की गई; और

(क) कितने मूल्य का नाइलोन का धागा पकड़ा गया है और जिनसे यह माल पकड़ा गया है उन फर्मों के नाम और पता क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) यह सच है कि 27 जनवरी 1967 को अतिरिक्त सीमाशुल्क समाहर्ता बम्बई को इस आशय की सूचना मिली की देश में काफी बड़ी मात्रा में नायलन का सूत चोरी छिपे लाया गया है, किन्तु इस सूचना ने सूत की मात्रा व्यक्त नहीं की थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(घ) से (च) सूचना के आधार पर आगे की कार्यवाही की गई थी । आवश्यक पूछताछ करने पर बम्बई के जिन-जिन स्थानों पर अवैध नायलन के सूत होने का संदेह था उनकी 16 फरवरी, 1967 से 1 मार्च 1967 तक की अवधि में तलाशियाँ ली गई और लगभग 41 लाख रुपये मूल्य का नायलन-सूत पकड़ गया । जिन पार्टियों से नायलन का सूत पकड़ा गया था, उनके नाम तथा पते निम्नलिखित हैं :—

1. अब्दुल लतीफ, मेसर्स अस्लाम ट्रेडिंग कम्पनी,
   55/57 नारायण ध्रुव स्ट्रीट, बम्बई
2. श्री वाई० ए० पटेल,
   53/54 नारायण ध्रुव स्ट्रीट, बम्बई ;
3. मेसर्स बम्बई बर्मा डाइंग एण्ड रोप मेनुफेक्चरिंग कम्पनी,
   33, नखोड़ा स्ट्रीट, बम्बई;
4. मेसर्स रेवाचन्द एण्ड सन्स एण्ड एलाइड फर्मस, गांधी मेंनसन,
   न्यू सिल्क बाजार, बम्बई ;
5. श्री अब्दुल सतार अबूबकर की मेसर्स नोबुल ट्रेडिंग कम्पनी,
   46, नारायण ध्रुव स्ट्रीट; बम्बई;
6. रमेश टेक्सटाइल्स कारपोरेशन,
   246-ए, कावसजी बी० स्ट्रीट बम्बई,
7. मेसर्स गोकुलदास हरभगवानदास, गायवाड़ी कवेल, बम्बई;
8. मेसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, थाना स्ट्रीट;
9. श्री मणिहरलाल आर० सदारंगानी, 35 शंकर महाल
   कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बम्बई;
10. मेमन कोआपरेटिब बैंक गोडाउन, काम्बेकर स्ट्रीट, बम्बई ।

बम्बई की एक कम्पनी द्वारा नायलोन के धागे का आयात

1589. **जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1967 में बम्बई स्थित मेसर्स नेशनल ट्रांस्पोर्ट कम्पनी, मणिलाल पटेल एण्ड कम्पनी, तुलसीदास खीमजी तथा खीमजी पूँजा के गोदामों में रखे नायलोन के धागे की तलाशी ली गई थी अथवा उसके बारे में जाँच की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन गोदामों में कितने मूल्य का धागा रखा था; और

(घ) इन गोदामों में पाये गये दागे के आयातकों के नाम क्या थे तथा क्या इन गोदामों में रखा गया माल सीधे आयातकों के नाम से रखा हुआ था अथवा उनके साहूकारों के नाम से ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) तलाशियां इस समुचित विश्वास के आधार पर ली गई थीं कि इन गोदामों में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जप्त किये जाने योग्य सामान रखा था।

(ग) तलाशी के समय इन गोदामों में पाये गये नायलोन के सूत का मूल्य लगभग 285 लाख रुपये है।

(घ) गोदामों में कुल मिलाकर माल के 257 जत्थे थे। इनमें से माल के 73 जत्थे उन 54 व्यक्तियों के नाम से पाए गए जो सीधे आयात करते है। उनके नामों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1700/67]

भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारियों द्वारा खर्च की जा सकने वाली राशि का खाता

1590. **श्री जार्ज फरनेंडीज**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न अधिकारी प्रतिवर्ष कितना धन खर्च कर सकते हैं ;

(ख) इस व्यय-खाते का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या यह बात का पता लगाने के लिये कोई जाँच की गई है कि इस व्यय-खाता का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, और

(घ) यदि हाँ, तो क्या यह व्यय खाता युक्ति संगत है और उसका उचित रूप से उपयोग किया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ) निगम के प्रधान कार्यालय के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक और एककों डिवीजनों के महाप्रबन्धकों को निगम के खर्चे पर प्रति वर्ष क्रमश: अधिकतम 3000 तथा 2,000 रुपये मनोरंजन व्यय के रूप में ले सकते हैं। इन मनोरंजन व्यय खातों की अनुमति चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के मामले में सरकार की स्वीकृति से और महाप्रबन्धकों के मामले में निदेशक बोर्ड की स्वीकृति से दी जाती है। यह राशि निजी प्रमाणपत्रों पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सुझाये गये अतिथियों

के मनोरंजन के लिये उपयोग में लाई जाती है। अधिकारियों के रुतबे और कम्पनियों में विद्यमान प्रथा को दृष्टि में रखते हुए यह मनोरंजन व्यय खाता उचित समझा जाता है।

कम्पनियों को जीवन बीमा निगम के ऋण

1591. **श्री सम्बधन्न** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्पनियों को ऋण देने के लिये जीवन बीमा निगम के निबन्धन और शर्तें क्या हैं;

(ख) 1965 66 और 1966-67 में जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों को किस किस प्रकार के तथा कितनी कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

ग्वालियर और इंदौर के भूतपूर्व शासको की सम्पति के बारे में सम्पदा शुल्क का निर्धारण

1592. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर और इंदौर के भूतपूर्व शासकों के उत्तराधिकारियों पर सम्पदा शुल्क का निर्धारण कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सम्पदा शुल्क की राशि क्या है;

(ग) सम्पदा शुल्क में निर्धारण के लिये निज सम्पत्तियों की सम्पति का मूल्य निर्धारण किया गया है, उनमें से प्रत्येक सम्पति की कीमत कितनी थी;

(घ) निर्धारित शुल्क की राशि में से कितनी राशि वसूल कर ली गई है और बकाया रकम कब तक वसूल किये जाने की सम्भावना है ;

(ङ) क्या बकाया रकम पर व्याज लगाया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) चूंकि ग्वालियर और इन्दौर के स्वर्गीय भूतपूर्व शासकों के उत्तराधिकारी जीवित हैं, अतः उन उत्तराधिकारीयों के सम्बन्ध में सम्पदा–शुल्क के निर्धारण का कोई अवसर ही नही आया है।

फिर भी, ग्वालियर के स्वर्गीय महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की सम्पदा के सम्बन्ध में सम्पदा-शुल्क का निर्धारण किया गया है।

इन्दौर के स्वर्गीय महाराजा यशवंतराव होल्कर की सम्पदा के सम्बन्ध में सम्पदा-शुल्क का अन्तिम रूप से निर्धारण अभी होना है।

(ख) ग्वालियर के महाराजा के मामले में निर्धारित शुल्क की कुल 86,94,453 रुपये की रकम देय बनती है।

इन्दौर के महाराजा के मामले में अनन्तिम रूप से 20,34,443 रुपये की मांग जारी की गई है।

(ग) ग्वालियर के मामले में मूल मूल्य 4,55,60,566 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) भारत-स्थित चल-सम्पत्ति	...	3,65,67,501 रुपये
(2) भारत-स्थित अचल सम्पत्ति	...	2,34,96,030 रुपये
(3) विदेश-स्थित चल-सम्पत्ति	...	76,21,273 रुपये
(4) अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाली संपत्ति		6,57,547 रुपये
परिवारिक सम्पत्ति का मूल मूल्य	...	6,83,42,351 रुपये
परिवारिक सम्पत्ति में मृत-व्यक्ति का 1/3 हिस्सा		2,27,80,783 रुपये
घटाइये — दाह-संस्कार व्यय		1,000 रुपये
		2 27,79, 783 रुपये
जोड़िये — सम्पदा शुल्क अधिनियम की धारा 34 (1) के अन्तर्गत दर-निर्धारण के प्रयोजनों के लिये मृत व्यक्ति के पुत्र का शामिल किया गया 1/3 हिस्सा	...	2,27,80,783 रुपये
सम्पदा का मूल मूल्य	...	4,55,60,566 रुपये

(घ) ग्वालियर के मामले में 76,00,400 रुपये पहले ही अदा हो चुके हैं और 10, 94,053 रुपये की वसूली संयुक्त राज्य स्थित सम्पत्तियों पर दोहरी सम्पदा-शुल्क सम्बन्धी रियायत के लिये तथा कृषि-भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित कुछ विवाद के कारण अभी रोक रखी गई है।

इन्दौर के मामले में अनन्तिम मांग की पूरी रकम वसूल हो गई है।

(ङ) बकाया रकमों के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ब्याज लगाया जायगा।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों द्वारा विकास निधियों का व्यय

1593. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने राज्यों में विकास कार्य के लिये केन्द्र द्वारा नियत राशि के अतिरिक्त अपना हिस्सा भी खर्च कर दिया है ;

(ख) क्या जो राज्य अपना हिस्सा व्यय नहीं कर सके हैं, उन्होंने भूराजस्व में छूट के परिणामस्वरूप अपनी आय में कमी तथा अतिरिक्त आय बढ़ाने की इच्छा न होने के कारण ऐसा किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप विभिन्न राज्यों के विकास में असमानता रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे राज्य केन्द्र द्वारा नियत राशि लेने से पहले अपने हिस्से का धन व्यय करें ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तीसरी योजना अवधि में गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ने अपने राज्यों की योजनाओं पर अपने हिस्से से अधिक राशि व्यय की, अन्य राज्य अपने हिस्से का पूरा धन नहीं जुटा सके। 1966-1967 के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। प्रारम्भिक आंकड़ों से पता लगता है कि बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र तथा पश्चिमी बंगाल ने अपने लक्ष्य से अधिक राशि जुटाई।

(ख) कुछ राज्यों के मामले में जो तीसरी योजना अवधि में अपनी योजनाओं के लिये अपने हिस्से का पूरा धन नहीं जुटा सकीं अतिरिक्त कराधान के लक्ष्यों में कमी रही। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों की अपने हिस्से का धन जुटाने में असफलता में भूराजस्व छूट का थोड़ा बहुत ही हाथ था। 1966-67 के लिये अपनी वार्षिक योजनाओं के लिये राज्यों के संसाधनों में कमी के मुख्य कारण भूराजस्व छूट नहीं, अपितु कुछ और हैं; अतिरिक्त करारोपण में कमी से भी कोई खास फर्क पड़ने की आशा नहीं हैं।

(ग) जिस सीमा तक कोई राज्य योजना के लिये अपने हिस्से का धन जुटाने में पीछे रहता है उस राज्य की योजना का आकार उतना ही कम हो जाता है। जिसके परिणामस्वरुप उस राज्य में विकास की गति कम हो जाती है। एक प्रकार से विभिन्न राज्यों के असमान विकास के लिये यह उत्तरदायी हैं।

(घ) चूँकि राज्यों की योजनाओं के लिये केन्द्र तथा राज्य दोनों मिलकर धन की व्यवस्था करते हैं, इसलिये राज्यों के अपने संसाधनों से तथा केन्द्र द्वारा दी गई राशि में से व्यय को पृथक करना संभव नहीं है। फिर भी राज्यों द्वारा अपना पूरा हिस्सा न जुटाये जाने की अवस्था में केन्द्रीय सहायता में भी कमी कर दी जाती है।

मंहगाई भत्ता और पेंशन का दिया जाना

1594. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार पेंशन और मंहगाई भत्ते के रूप में अपने पेंशन-प्राप्त कर्मचारियों को कुल कितनी राशि प्रतिवर्ष दी जाती है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष चुकाई गई रकमों के आँकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन 31-12-1966 को समाप्त होने वाले वर्ष में (रेलवे के पेंशनरों को छोड़कर) केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को चुकाई गई रकम 24,22,00,061.98 रुपये थी। इस रकम में छोटे पेंशनरों को मंजूर की गई अस्थायी तदर्थ वृद्धि भी सम्मिलित है।

मध्य प्रदेश में बिजली द्वारा पंपो को चलाना

1595. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को सिंचाई के लिये पंपों को बिजली से चलाने के निमित्त चालू वर्ष में कोई धनराशि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; श्रौर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (ग) मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतन स्कीमों के लिये जिनमें सिचाई पंपों का ऊर्जन शामिल है, 1667-68 वर्ष में 217 लाख रुपये की राशि केंद्रीय सहायता के रूप में निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम विद्युतन स्कीमों के अन्तर्गत 217 लाख रुपयों की राशि के अतिरिक्त श्रौर श्रावटन के लिये कहा है। इस प्रार्थना पर विचार हो रहा है।

Jewellery Recovered from an Aircraft at Palam Airport

1596. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jewellery worth Rs. 2 millions was recovered from an aircraft at Palam Airport, New Delhi in September, 1967 ;

(b) if so, the name of the place from where this jewellery was brought and the place where the jewellery was being sent ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**) :

(a) to (c) On 18th September, 1967, 11 packets containing diamonds worth about Rs. 20 lakhs were detained at Palam airport from a Tokyo-bound Air France Aircraft on the ground that the said packets had not been properly manifested. Subsequently on production of documentary proof that the consignment booked for Tokyo by an earlier flight not transiting through India had been off-loaded in Paris far operational reasons and was being despatched by a subsequent flight, the packets were released to the Airlines fcr onward movement on 7th October, 1967.

Ganja Seized at Muzaffarpur

1597. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 5483 on the 13th July, 1967, and state :

(a) whether investigations with regard to the Ganja seized at Muzaffarpur Railway Station in February, 1967 has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes, Sir.

(b) Charge Sheet in both the cases has been filed in Court and the cases are now subjudice.

Illegal Sale of Foreign Exchange in Delhi

1598. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 6176 on the 20th July, 1977 and state :

(a) whether the investigations into the illegal sale of foreign exchange in Delhi have since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai)
(a) Yes, Sir.

(b) As a result of the investigations conducted by the Central Bureau of Investigation, a charge-sheet has been filed on the 30th October, 1967 against 4 persons under section 120-B read with section 420, 489 and 201/511 of the Indian Penal Code, in the Court of the Magistrate I Class, Delhi. The case has now been posted for hearing on the 16th December, 1967.

(c) Does not arise.

आसाम में पेट्रोकैमिकल कारखाने की स्थापना

1599. **श्री जी० ना० हजारिका :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सरकारी क्षेत्र में एक पेट्रोकैमिकल कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) इसके लिये कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है और इसमें किन किन उत्पादों का उत्पादन करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Income-Tax Due From Factories In Varanasi

1600. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of factories at Varanasi, Uttar Pradesh from whom Income-tax is due and the names thereof; and

(b) when this tax is likely to be realised ?

Deputy Prime Minister And Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible.

गंगा गोमती योजना

1601. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गंगा गोमती योजना के लिये 15 करोड़ रुपये के अनुदान के लिये केंद्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को अपेक्षित निधि कब तक दिये जाने की संभावना है।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल०राव) :

(क) चूंकि स्कीमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए अभी तक औपचारिक रूप से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरौनी और नामरूप उर्वरक कारखाने

1602. **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने इटली की एक कम्पनी मोंटेकेटिनी एडीसन के साथ 10 वर्ष के लिये सम्भरणकर्ता ऋण करार किया है जिसके अनुसार यह कम्पनी बरौनी उर्वरक परियोजना और नामरूप कारखाने के विस्तार के लिये आवश्यक उपकरण तथा कच्चा माल देगी;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं और इसके फलस्वरूप बरौनी उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ जायेगी; और

(ग) इस करार से परिणामस्वरूप भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ । भारतीय उर्वरक निगम ने बरौनी परियोजना तथा नामरूप विस्तार परियोजना के लिये अत्यावश्यक उपकरक, कच्चे माल, भण्डार तथा अतिरिक्त सामान की सप्लाई के लिये इटली के मैसर्स मोन्टेकेटिनी एडीसन के साथ दो करार किये हैं बशर्तेकि सरकार उन्हें स्वीकार कर ले ।

(ख) करार की शर्तें निम्न हैं :—

(एक) बरौनी परियोजना का कुल करार मूल्य 11, 183.318 मिलियन इटेलियन लीरे और नामरूप विस्तार परियोजना का 11,581.015 मिलियन इटेलियन लीरे होगा ।

(दो) कुल करार मूल्य का 8 प्रतिशत भाग निर्बाध विदेशी मुद्रा में अदा किया जायेगा और शेष नो समान वार्षिक किस्तों में दिया जायेगा ।

(तीन) पहली किस्त करार की प्रभावी तिथि से 44 मास बाद दी जानी है और अन्तिम यानी 9 वीं किस्त 140 मास बाद दी जानी है ।

(चार) बकाया राशि पर 5.75 प्रतिशत वार्षिक व्याज दिया जायेगा ।

दोनों नामरूप विस्तार तथा बरौनी नई परियोजनाएँ हैं जिनके पूरा होने पर प्रति वर्ष 3 लाख टन नाइट्रोजन का उत्पादन हो सकेगा ।

(ग) बरौनी परियोजना तथा नामरूप विस्तार परियोजना पर क्रमशः कुल 14.18 करोड़ तथा 14.28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होने का अनुमान है । इन परियोजनाओं के पूरे होने पर उर्वरक के उत्पादन से प्रति वर्ष 36 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

गण्डक योजना तथा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की क्रियान्विति

1603. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गण्डक परियोजना तथा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की क्रियान्विति में शीघ्रता नहीं लाई जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) यदि नहीं, तो यह दो परियोजनाएँ कब तक पूरी हो जाएँगी; और

(घ) इन परियोजनाओं से कितने एकड़ भूमि को लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गण्डक परियोजना के 1972-73 में पूर्ण होने की संभावना है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के पूर्ण होने की इस समय ठीक ठीक तारीख नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह परियोजना अभी अपनी प्रारिंभक अवस्था में ही है ।

(घ) इन दो परियोजनाओं से निम्नलिखित वार्षिक सिंचाई परिकल्पित है :

गण्डक परियोजना

बिहार	...	28.45 लाख एकड़
नेपाल	...	1.44 लाख एकड़
उत्तर प्रदेश	...	7.12 लाख एकड़
		कुल : 37.01 लाख एकड़

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना

बिहार		7.73 लाख एकड़
नेपाल	...	0.30 लाख एकड़
		कुल : 8.03 लाख एकड़

Central Family Planning Council

1604. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the suggestion regarding the discontinuance of incentives, allowance, loans, leave, grants, scholarships, free eduction etc. have been accepted in the meeting of the Central Family Planning Council held in Oclober, 1967 in Delhif or those having more than three children;

(b) whether it is also a fact that this suggestion has been sent to Government for implementation; and

(c) if so, the decision taken thereon ?

The Minister of State In the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) :

(a) Yes, an extract from the relevant resolution of the Central Family Planning Council is laid on the Table of the House. [**Placed in library See No. L. T. 1701/67**]

(b) and (c) The recommendation made by the Central Family Planning Council have been sent to all State Governments for consideration and implementation.

सोडा ऐश के कारखाने

1605. **श्री शशि भूषण बाजपेयी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों का विचार सोडा ऐश के उत्पादन के लिये कारखाने स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो ये कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) :

(क) मद्रास, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में सोडा ऐश के उत्पादन के लिये कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव हैं । जबकि मद्रास का कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने वाला कारखाना सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने की योजना है जिसमें राज्य सरकार भी भाग लेगी और आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित कारखाना आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, हैदराबाद द्वारा स्थापित किया जायेगा जो राज्य सरकार का अपना ही निगम है।

(ख) मद्रास, थाना-बेलापुर क्षेत्र (बम्बई के निकट), विशाखपत्तनम । मसूलीपत्तनम ।

(ग) 200 मीट्रिक टन/दिन ।

प्रकाशन प्रबन्धक की पात्रता

1606. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 25 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3377 के उत्तर के सबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन प्रबन्धक का, जिसे मैडिकल बोर्ड ने 24 मार्च 1966 को शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से अयोग्य घोषित कर दिया था, पुनरीक्षण मैडिकल बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण किया गया था और यदि हां, तो किस तारीख को और उसका क्या परिणाम रहा;

(ख) क्या उसी पदाधिकारी का तीसरी बार परीक्षण विलिंगडन अस्पताल के केन्द्रीय स्थायी मेडिकल बोर्ड द्वारा 26 सितम्बर, 1967 को किया गया और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है; और

(ग) क्या यह सच है कि लगातार तीन बोर्डों द्वारा उक्त पदाधिकारी को अयोग्य घोषित कर दिये जाने के बाद भी उक्त पदाधिकारी को सरकारी सेवा में बने रहने की अनुमति दे दी गई और उसके क्या कारण थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ । अपीलीय मैडिकल बोर्ड ने 27 नवम्बर, 1966 की अपनी रिपोर्ट में इस पदाधिकारी को अयोग्य घोषित कर दिया था ।

(ख) जी हां, बोर्ड ने उस पदाधिकारी को किसी भी प्रकार की नौकरी से पूर्णतया तथा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया था ।

(ग) मैडिकल बोर्ड को बुलाने में प्रक्रिया के पालन में कुछ त्रुटियों के कारण उस पदाधिकारी को सेवानिवृत्त करने के लिये पहले दो बोर्डों की रिपोर्टों पर अमल नहीं किया जा सका। इसलिये उसकी जांच के लिये एक नया मैडिकल बोर्ड स्थापित करना पड़ा। विधिवत् स्थापित किये गये इस बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर, 16 नवम्बर, 1967 को उस पदाधिकारी को सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया गया और 18 नवम्बर, 1967 से उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

प्रकाशन प्रबन्धक

1607. **श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 10 अगस्त 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8837 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन प्रबंधक के विरुद्ध भ्रष्टाचार और दूसरी अनियमितायों की शिकायतों के सम्बन्ध में की जा रही जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) दस में से 8 मामलों की जांच पूरी हो गई है, दो मामलों में अभी जांच की जा रही है।

(ख) एक मामले में सम्बन्धित अधिकारी को आरोप पत्र दिया गया है और जांच के आदेश दिये गये हैं। एक अन्य मामले में कुछ मामूली त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। 6 मामलों में शिकायतें झूठी सिद्ध हुई हैं अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मनीपुर में पानी की सप्लाई

1609. **श्री मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालयन टाइल्स एण्ड मार्बल्स लिमिटेड, मनीपुर ने मनीपुर के लोक निर्माण विभाग को जो नलियां सप्लाई की थी और जिनका प्रयोग जल सप्लाई डिवीजन (मनीपुर) द्वारा किया गया था, निर्धारित गुणप्रकार से घटिया थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त फर्म द्वारा सप्लाई की गई नलियां बनाने में स्थानीय रेत का प्रयोग किया गया था जबकि टेन्डर के अनुसार धनेश्वरी रेत का प्रयोग किया जाना चाहिये था ;

(ग) क्या धनेश्वरी रेत से बनी नलियों के हिसाब से इन नलियों के बिल का भुगतान कर दिया गया है : और

(घ) यदि हो, तो अब तक उपरोक्त फर्म को कितनी राशि दी जा चुकी है और क्या इन नलियों में पानी चालू करने से पहले या पानी चालू होने के बाद इनकी स्थिति के बारे में कोई जाचं की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान नहर प्राधिकार

1610. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर प्राधिकार की स्थापना की स्थिति क्या है ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं , और

(ग) क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था द्वारा की जा रही प्रगति से संतुष्ट है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जब तक निदेशन समिति राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई की गहनता को बढ़ाने के प्रस्ताव के सभी पक्षों पर विचार नहीं कर लेती, तब तक राजस्थान नहर प्राधिकार को स्थापित करने के प्रश्न को स्थगित कर दिया गया है ।

(ग) वर्तमान ढाँचे के अन्तर्गत तथा धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति अब तक साधारणतया अनुसूची के अनुसार ही रही है ।

नेफा में तेल की खोज

1611. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इन्डिया लिमिटेड ने नेफा में बड़े पैमाने पर तेल की खोज आरम्भ की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में अब तक कितने कुँए खोदे जा चुके हैं ; और

(ग) आयल इन्डिया लिमिटेड की तुलना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को यह काम या इसका लाइसेंस न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) और (ख) आयल इन्डिया ने नेफा के कुछ क्षेत्रों में भूतत्वीय कंपणों और भूकम्प सम्बन्धी सर्वेक्षण किये हैं। अभी तक कोई कुआं नहीं खोदा गया है ।

(ग) देश के अन्य भागों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा हाथ में लिये गये अत्यधिक कार्य को और आसाम में आयल इन्डिया लिमिटेड की उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए सरकार का यह विचार है कि उस क्षेत्र में तेल की खोज का कार्य आयल इन्डिया लिमिटेड द्वारा अधिक तेजी से किया जा सकता है ।

राज्यों से ऋण की राशि

1612. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक राज्य पर ऐसा ऋण कितना बकाया है जिसके भुगतान की अवधि समाप्त हो चुकी है ;

(ख) उक्त ऋण पर ब्याज की कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 31 मार्च 1967 तक मुख्य रूप से बकाया राशि निम्नलिखित है ;

(लाखों रुपयों में)

	मूल	ब्याज	कुल
1. पश्चिम बंगाल	27·00	367·00	394·00
2. मद्रास	76.07	35·82	111·89
3. उड़ीसा	3·00	1·00	4·00
4. राजस्थान	1·48	0·59	2·07
	107·55	404·41	511·96

चालू वर्ष में आसाम और उड़ीसा ने भी केन्द्रीय ऋणों का भुगतान नहीं किया है। आसाम की ओर यह राशि 9.75 करोड़ रुपये (6·04 करोड़ रुपये मूल और 3.71 करोड़ रुपये ब्याज) और उड़ीसा की ओर 10·24 करोड़ रुपये (6·53 करोड़ रुपये मूल के और 3·71 करोड़ रुपये ब्याज) के बकाया हैं।

इसके अतिरिक्त जम्मू और काश्मीर के मामले में लगभग 24 करोड़ रुपये की मूल और ब्याज की किस्तों को जिनको 31 मार्च,1967 तक वसूल किया जाना था चालू वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है ।

(ग) सम्बन्धित सरकारों के साथ समझौते के लिये इन मामलों को उठाया गया है।

Smuggling of Silver From Bombay

1613. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the month of July, 1967, silver worth Rs. 2 crores was smuggled from Bombay alone;

(b) whether Government have found any clue of the persons involved in it; and

(c) if not, whether Government are making any attempts to find it out and the places from where the silver was being smuggled ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) While the Government is aware of the fact that silver is being smuggled out of the country, there is no basis for estimating with any exactitude the quantity so smuggled.

(b) and (c) In each case of smuggling of silver caught by the Customs, efforts are made to apprehend ed the persons involved. Some persons have actually been apprehended while attempting to smuggle silver out of the country. From the indications available, silver is mostly smuggled through places on the west coast.

Taking Over of Gandak Project

1614. **Shri Ramavatar Shastri** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 22 lakh acres of land in Bihar and Uttar Pradesh will be irrigated on the completion of the Gandak Project;

(b) whether it is also a fact that the deficit of 13 lakh tons of food-grains annually in Bihar will be wiped out as a result of the completion of Gandak Project; and

(c) if so, whether Government propose to reconsider the suggestion of Bihar Government to take over this peoject ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) :

(a) The annual irrigation envisaged in Bihar and U. P. on the completion of Gandak Project is as under :—

Bihar	28·45 lakh acres
U. P.	7.12 lakh acre.s

(b) Yes. The present deficit can be wiped out.

(c) There is proposal to take over the Project by the Centre.

Shortage Of Houses

1615. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Works, Housing rnd Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of houses in the country;

(b) whether Government are aware that apart from other reasons, Acts imposing restrictions on rents have in various States discouraged persons from constructing new houses in private sector; and

(c) if so, whether Government propose to issue any direction to the State Governments to amend the said Acts so as to give incentive to the people for constructing more houses in the private sector ?

The Deputy Minister in the Ministry OF Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) No directions aro proposed to be issued. The States have, however, been advised ndividually, from time to time to amend their Rent Control laws suitably so as to encourage construction of houses in the private sector.

औषधियों के मूल्य

1616. **श्री शिव नारायण :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम पर औषधि मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण) आदेश, 1966 लागू नहीं होता है;

(ख) जनवरी, 1967 से सितम्बर, 1967 के बीच राज्य व्यापार निगम द्वारा क्लोरमफैनिकोल यू० एल० पी० का क्या मूल्य लिया गया; और

(ग) मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) नहीं ।

(ख) जनवरी, 1967 से सितम्बर, 1967 की अवधि के बीच राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित क्लोरमफेनिकोल के समय समय पर निम्नलिखित बिक्री मूल्य लिये गये हैं :

जनवरी-फरवरी 1967...198 रुपये प्रति किलोग्राम ।

अगस्त, 1967...220 रुपये प्रति किलोग्राम ।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा सामान के वितरण पर किये गये अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये मूल्यों में वृद्धि की गई थी ।

Medical College At Saugar

1617. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Health aod Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government propose to ask the Madhya Pradesh Government to open a Medical College at Saugar from the allocations made by the Central Government for setting up Medical Colleges in Madhya Pradesh; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health Family Planning and Urban Development (Shri B.S.Murthy):

(a) No.

(b) The location of new medical colleges in a state is decided by the State Government concerned.

Allocations for Social Welfare

1618. **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(e) the total amount allocated for his Department since 1947 and the amount lapsed out of the total allocations;

(b) the number of institutions which have been receiving grants from his Department in Saugar and Damoh Districts and the yearly amount thereof; and.

(c) the name of the District in Madhya Pradesh which largest grant from his Department ?

The Minister of State in The Department Of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha):

(a) The Department of Social Welfare came into being during January, 1966. The budget provision for grants-in-aid to institutions during the year 1966-67 was Rs. 1,95.10,100/- and the amount lapsed for that year was Rs. 9,05,847/-.

(b) No amount has been allocated directly by this Department to institutions in these Districts.

(c) Does not arise.

Taxeg due from Bidi Industrialists of Saugar District

1619. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ?

(a) the amonnt of Income-tax, Property Tax and Central Excise Duty to be recovered from the bidi and other industrialists of the Saugar District ;

(b) the reasons for not recovering the same so far ;

(c) the steps taken by Government to recover the same expeditiously ; and

(d) the amount of excise duty, property-tax and income-tax realised in the Saugar Districtct, year-wise. during the last five years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) It has not been possibleto furnish information in reply to the question as framed. Apart from the fact that property Tax (Taxes on lands and buildings), not being a Union subject, is not levied or collected by the Union Government, the figures of Central taxes collected or in arrears could be compiled only if industrialists in respect of whom the information is desired are specified.

(d) Information in respect of Central Excise duty and income-tax is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

ग्रान्ड होटल, शिमला

1620. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला के ग्रान्ड होटल को 'होली डे होम' में परिवर्तित करने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्योरा क्या है;

(ग) ठेकेदारों से इस समय कितनी ग्राय होती है; ग्रौर

(घ) यदि ग्रान्ड होटल के पट्टे पर दिये गये भाग को 'होली डे होम' में परिवर्तित कर दिया जाता है तो सरकार को इससे कितनी हानि होगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) ग्रौर (ख) जी, नहीं।

(ग) 49, 812·00 रुपये ।

(घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

Greater Bombay Bhatsa Water Scheme

1621. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Greater Bambay Bhatsa Water Scheme has been approved by the Central Government ;

(b) whether members of the International Development Association had conducted an enquiry into this scheme ;

(c) if so, whether they have submitted their report in this regard ;

(d) if so: the details thereof ;

(e) the amount of loan demanded from the World Bank for this Scheme ; and

(f) the World Bank's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Minisitry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy):

(a) Yes.

(b) to (f) : The Government of Maharashtra has commissioned M/S Binnle and Partners India (P) Limited for the prepration of a Project report dealing with the projected demand for water supply in Greater Bombay and outside areas of the Metropolitan region; the availability of water from the existing sources and the possibilities of developing the Bhatsai Project as a source of water supply. The consultants have submitted a preliminary report which is under consideration of the Government of Maharashtra in consultation with the International Development Association, The complete report is expected by the end of December, 1967.

The Gevernment of Maharashtra has had certain preliminary discussions with the International Develepment Association regarding the possibility of the International Develop-Association financing the water supply scheme for the Metropolitan region. The International Development Association sent a team of officials to India a few months ago to discuss the matter with the Governmena of Maharashtra. Subsequently, representatives of the Government of Maharashtrr and the consultants visited the U.S.A for discussions with the International Development Association.

The complete report from the consultants is still awaited and several details have yet to be settled. It is, therefore, not possible to determine the amount of loan that would be required from the world Bank or the International Development Association.

Drinking Water Schemes of Maharashtra

1622. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of schemes submitted by the Government of Maharashtra regarding the supply of drinking water and the names thereof during the Fourth Plan period so far; and

(b) the number of them which have been approved and the number of those which are under examination ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development(Shri B.S.Murthy):

(a) and (b) 107 rural water supply schemes (as shown in the statment laid on the table of the house) have so far been received in the Fourth plan period from the Government of Maharashtra for scrutiny and approval under the National Water Supply and Sanitation Programme [**Placed in library see no. LT—1702/67**]. Out of these 49 schemes have since been approved, 52 schemes have been referred back to the State Government for revision in the light of remarks offered by the Government of India, and 6 schemes are under scrutiny in the Office of the Central Public Health Engineering Organisation. No 'Urban' Scheme has so far been recived from the Government of Maharashtra in the Fourth Plan Period.

In addition, 134 rural water supply schemes and 18 urban water supply schemes, estimated to cost Rs.386.65 lakhs and Rs.355.46 lakhs respectively, were approved during the first three Plans under the National water Supply and Sanitation Programme.

The state Governments have already been delegated powers to sanction and execute rural water supply schemes costing not more than Rs.5.00 lakhs each and urban water supply schemes costing upto Rs. 10.00 lakhs each.

Prosecution against Income Tax Evaders.

1623. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of income tax evaders against whom prosecution cases were allowed by the income tax department during the years 1963-64, 1964-65 and 1965-66;

(b) the number of cases out of them in which punishment was awarded. the number of those in which compromise was made and the number of cases dismissed without any punishment; and

(c) the total amount of income tax arrears involved in trial cases?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) prosecutions were launched as under:—

1963—64	Nil
1964—65	13 persons in whose cases 28 prosecutions have been launched.
1965—66	Nil.

(b) Punishment was not awarded in any case by the Courts. One case was compounded. In 20 prosecutions, the lower Courts have dismissed the complaints and the matter has been taken up on appeal. The remaining 7 prosecutions are pending.

(c) Rs.77,95,097.

राज्यों द्वारा व्यय में कमी की जाना

1624. **श्री रा० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले आम चुनाव के पश्चात कुछ राज्यों के खर्च में अत्यधिक वृद्धि हुई है और वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निरन्तर अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन राज्यों को अपने खर्च में कमी करने के लिये कोई निर्देश दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों को अपने साधनों के अनुसार व्यय को सीमित रखने का परामर्श दिया गया है;

(ग) कुछ राज्यों ने विभिन्न मदों में अपने व्यय को कम करने के लिये कार्यवाही की है। अन्य राज्यों ने कहा है कि वे मितव्ययता के विभिन्न उपायों पर विचार कर रहे हैं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका द्वारा बमबारी के कारण हनोई में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के एक भारतीय सारजेंट की मृत्यु :

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"अमरीका द्वारा बमबारी के कारण हनोई में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के एक भारतीय सारजेंट की मृत्यु"

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : सूचना मिली थी कि 17 नवम्बर, 1967 को सवेरे 11-00 बजे हवलदार मंगल चंद और हनोई-स्थित अंतर्राष्ट्रीय कमीशन कार्यालय की सिगनल यूनिट के सिगनलमैन अजय सिंह अमरीकी हवाई जहाज से फेंके गए राकेट से निकले एक टुकड़े से आहत हुए; यह राकेट हनोई में उक्त कमीशन के सिगनल केन्द्र भवन के बहुत पास गिरा था। जब हवलदार मंगलचंद हवाई हमले से बचने के स्थान में प्रवेश कर रहे थे; तब ही उन्हें वह टुकड़ा आ लगा। उन्हें 11-30 बजे अस्पताल में भरती किया गया और वह दुर्भाग्य से 12-15 बजे चल बसे। पोस्ट मार्टम के बाद स्वर्गीय हवलदार मंगल चंद का

18 नवम्बर, 1967 को 19·00 बजे पूरे सैनिक सम्मान के साथ दाह संस्कार कर दिया गया। इस घटना की जांच करने के लिये कनाडा पोलैंड और भारत के प्रतिनिधियों के एक दल की सर्वसम्मत राय से इन तथ्यों की पुष्टि हो गई है ।

हमने दिल्ली-स्थित अमरीकी राजदूत के साथ इस मामले को उठाया और खास तौर से रिहायशी इलाकों में बमबारी पर अपनी चिंता प्रकट की और उन्हें बताया कि अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो वियतनाम में उक्त कमीशन का काम चलाना मुश्किल हो जायगा । अमरीकी राजदूत ने दुःख प्रकट किया और हमें यकीन दिलाया कि यह खेदजनक घटना थी । उन्होंने वादा किया कि वह हमारी चिंता को अपनी सरकार तक पहुँचाएंगे । उसके बाद अमरीका के विदेश मंत्री, श्री डीन रस्क से विदेश मंत्री के पास खेद और सहानुभूति का संदेश भी प्राप्त हो गया है ।

वियतनाम (वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य) की लोक सेवा के संपर्क मिशन के उप प्रमुख उस घटना के फौरन बाद घटनास्थल पर आए और संवेदना प्रकट की । कमीशन के अन्य दो सदस्यों, अर्थात् कनाडा और पोलैंड ने भी संवेदना संदेश भेजे ।

भारत सरकार को घटना पर खेद हैं जिससे जानी नुकसान हुआ है । वह शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती है । वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण कमीशन के अन्य कर्मचारियों की तरह ये अधिकारी भी शांति मिशन के लिये भेजे गए हैं । यह दुख की बात है कि युद्ध विराम का अधीक्षण करने की वजाय उन्हें युद्ध की विभीषिका को देखना पड़ा और उसका शिकार होना पड़ा । युद्ध के विस्तार और विशेषकर, उत्तर वियतनाम पर बमबारी के बारे में भारत सरकार के विचार सब को मालूम हैं । सरकार को आशा है कि इस युद्ध से संवद्ध सभी पक्ष वर्तमान रुख को बदलने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे और वियतनाम में शांतिपूर्ण स्थिति फिर से लाने के लिये कार्य करेंगे ।

इस अवसर पर मैं वियतनाम में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों की इस बात की सराहना व्यक्त करूंगा कि वे कमीशन में कनाडा और पोलैंड के सहयोगियों के मिलकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : अध्यक्ष महोदय' अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अमरीकी शासकों ने वियतनाम की जनता पर आक्रमण करते समय अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के एक भारतीय हवलदार को मार कर एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध किया है। श्री जान रस्क ने जो संवेदना संदेश भेजा है, वह इस प्रकार है । "मुझे बहुत दुःख है कि वियतनाम में संघर्ष के दौरान अमीरीकी सेनाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का एक भारतीय नागरिक मारा गया है ।" वह यह सुझाव देना चाहते हैं कि यह एक प्रकार की दुर्घटना है । हालांकि आयोग द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि उस भारतीय नागरिक की मृत्यु अमरीकी बमबारी के कारण हुई, तथापि उन्होंने कहा है कि उसकी मृत्यु सम्बन्धी सब बातों का अभी तक पता नहीं चला है ।

मैं सभा का ध्यान राष्ट्रपति जॉनसन के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ जिस में उन्होंने अमरीकी बमबारी के परिणामों पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है । यह एक अद्भुत बात है

कि अमरीका का राष्ट्रपति इस प्रकार का वक्तव्य दे और श्री डीन रस्क खेद प्रकट करें। यह केवल एक धोका है। परन्तु दुःख की बात यह है कि हमारी सरकार भी धोखे से काम लेती है। जब ऐसी घटनायें हमारे अमरीकी स्वामियों द्वारा की जाती हैं, तो वह उन्हे दुर्भाग्यपूर्ण अथवा दुःखद कह कर टाल देती है, परन्तु जब चीन अथवा पाकिस्तान द्वारा ऐसी कार्यवाही की जाती है तो उसका विरोध पत्र भेजा जाता है; उनकी कटु आलोचना की जाती है तथा शोर मचाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार अमरीका के राजदूत तथा अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इस तथाकथित संवेदना संदेश को अस्वीकार करने तथा अमरीकी सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के एक भारतीय नागरिक को मारने के कारण बिना शर्त क्षमा याचना करने को कहने का है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आयोग के दो अन्य सदस्य देशों से मिल कर इस मामले को अमरीका, जो कि आक्रमणकारी है, के साथ उठायेगी ताकि भविष्य में ऐसी बमबारी तथा ऐसी घटनायें न हों ? मैं मंत्री महोदय के इस विशेष वाक्य का विरोध करता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है :—

"सरकार को आशा है कि इस युद्ध से संबद्ध सभी पक्ष वर्तमान रुख को बदलने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे और वियतनाम में शांतिपूर्ण स्थिति फिर से लाने के लिये कार्य करेंगे"

ऐसा कह कर उन्होंने हमलावर तथा जिन पर हमला हुआ है, दोनों पक्षों को एक पलड़े में रखा है। इसीलिये मैं कहता हूँ कि यह सरकार धोखेबाज है और अमरीकी स्वामियों का विरोध करना इसके वश की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विरोध पत्र के बारे में आप को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले भाग का उत्तर दें।

श्री ब० रा० भगत : संवेदना संदेश को अस्वीकार करने का हमारा कोई विचार नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या इस मामले को अमरीका सरकार तथा आयोग के दो सदस्य देशों के साथ उठाया जायेगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों ?

श्री ब० रा० भगत : आयोग एक करार के अन्तर्गत कार्य कर रहा है तथा वहां उसको कुछ कर्त्तव्यों का पालन करना है। जो घटनायें हुई हैं उन को देखते हुए यह निर्णय करना तथा यह सुनिश्चित करना आयोग का कार्य है कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जायें, जिन में आयोग प्रभावकारी ढंग से काम कर सके।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : सभा में एक ओर कहा जा रहा है कि अमरीकी हमारे स्वामी हैं तथा दूसरी ओर कहा जा रहा है कि रूसी हमारे स्वामी हैं। यह बड़े दुःख और शर्म की बात है कि अंग्रेजों को निकालने के बाद भी विदेशियों को हम अपने स्वामी समझें। क्या यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि हम स्वयं अपने आप को अपने स्वामी समझे, यह पहला अवसर नहीं है, जब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ड्यूटी पर एक भारतीय सिपाही मारा गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ की ड्यूटी पर फिर भेजने से पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ से एक निश्चित आश्वासन प्राप्त करने हेतु कि संयुक्त राष्ट्र संघ का

कोई सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन पर हमला नहीं करेगा, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठायेगी ? दूसरे यद्यपि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की इस क्षमा याचना को स्वीकार करने को तैयार हैं कि यह कार्यवाही जान बूझ कर नहीं की गई, तथापि एक मूल्यवान भारतीय जीवन समाप्त किया गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अमरीका पर्याप्त प्रतिकर देने को तैयार है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का प्रश्न है, यह एक ऐसा मामला नहीं है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाय ।

जहां तक प्रतिकर का सम्बन्ध है, ड्यूटी की शर्तों के अन्तर्गत उन का बीमा किया हुआ है तथा उन्हें कुछ प्रतिकर प्राप्त होगा। यह निर्णय करना आयोग का कार्य है कि कितना और प्रतिकर भत्ता दिया जाये। हम अवश्य इस पर विचार करेंगे ।

डा० कर्णी सिंह : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा में अपने सैनिक भेजने से पूर्व, क्या आप संयुक्त राष्ट्र संघ से यह आश्वासन प्राप्त करेंगे कि कोई सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थानों पर हमला नहीं करेगा ?

श्री ब० रा० भगत: ऐसे कार्यों में खतरा अवश्य होता है। शांतिपूर्ण कार्यों में भी विशेषतया युद्धविराम पर्यवेक्षण के कार्यों में खतरा निहित होता है । जहां तक गारंटी का सम्बन्ध है उन पक्षों ने जो इस करार में शामिल हैं तथा उन सरकारों ने जिन्होंने इस का समर्थन किया था, इसके कार्य संचालन को बिना शर्त अनुमोदन तथा सहयोग दिया था अतः यह सुनिश्चित करना उनका कार्य है कि वहां सर्वोत्तम परिस्थितियां हों तथा आयोग को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दिया जाये।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : यद्यपि कोमल भावनाओं का प्रदर्शन किया गया है तथा अमरीका सरकार द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस से यह संकेत मिले कि भविष्य में ऐसी घटनायें नहीं होंगी । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने अमरीका को कोई विरोध पत्र भेजा है अथवा अमरीका सरकार से कोई आश्वासन प्राप्त किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के निकट बमबारी नहीं की जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक बमबारी का सम्बन्ध है, इस सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है । अनेक बार यह बात दोहराई गई है कि हम बमबारी के विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि बमबारी बिल्कुल बन्द की जाये।

Shri Shiv Chandra Jha(Madhubani). It has been told in the statement that Government of India expressed its concern to the U.S. Ambassador at the bombing of residential areas. I want to know whether U.S. Government has not publicly declared its support to I.C.C. and if so, why they have dropped bombs in a residential area where the headquarters of I.C.C. are situated. All bombardmentis done on a targent not with out any target. Does itnot signify that the aim of American bombing is planned massacre of India personnel and if so whether Government of India have lodged any protest against this planned massacre and if it has been done what is the reply given by American Government. I want to know whether they have tendered an unqualified apology or not?

I want to know whether any compensation has been demanded by Indian Government, if not, why not, and if has been demanded, what reply has been given by American Government in this regard?

If any body commits any crime or murder, he is not saved from the clutches of law and justice by tendering an apology. America is committing massacre in Vietnam and they are killing Indian personnel there in discriminately. I want to know whether Government of India propose to take up this matter in U.N.O. through submit tribunal or Afro Asian Nations and whether they want to start a trial against President Johnson, Secretary of State Dean Rusk, Secretary of Defence Macnamara end Ambassador Chester Bowles as it was launched against Goering, Hitler and Revantaop?

Shri B.R. Bhagat: Mr. speaker, how can I reply this question?

Mr. speaker— Papers to be laid on the table.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

बीसवीं विश्वस्वास्थ्य सभा में तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति में

भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) 8 से 26 मई, 1967 तक जनेवा में हुई बीसवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट की एक प्रति [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1678/67]।

(2) 1 से 8 अगस्त, 1967 तक उलन-बाटोर (मंगोलिया) में हुए दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति के बीसवे अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल की रिपोर्ट की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1679/67]

भारत के औद्योगिक वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 30 जून, 1967 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के औद्योगिक वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, तथा निगम की आस्तियां तथा दायित्व और हानि लाभ लेखा दिखाने वाला विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1680/67]

(2) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र (प्रथम निर्गमन) (पहला संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 4 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1659 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1681/67]

(3) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 4 (83)। 67–फिन (इ) (आई) में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1682/67]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ;

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 54वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1690 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 55वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1691 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 56वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1692 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 57वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1693 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) जी० एस० आर० 1696 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनाक 16 सितम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1406 में एक संशोधन किया गया। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1683/67]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1694 की एक प्रति जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 28 मई, 1960 की जी० एस० आर० 575 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1684/67]

भारत में खाद्य दुर्लभता की स्थिति की समीक्षा

खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं भारत में खाद्य तथा दुलर्भता की स्थिति की समीक्षा (नवम्बर, 1967) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 1685/67]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है :

कि राज्य सभा ने अपनी 21 नवम्बर, 1967 की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार परिक्रियाओं सम्बन्धी विधेयक, 1967 को संसद् की दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें राज्य सभा के 15 सदस्य अर्थात :—

(1) श्रीमती वायलेट आल्वा
(2) श्री के॰ बी॰ रघुनाथ रेड्डी
(3) श्री एम॰ एम॰ धारिया
(4) श्री बाबूभाई एम॰ चिनाई
(5) श्री अर्जुन अरोड़ा
(6) श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह
(7) श्री चन्द्र शेखर
(8) श्री आर॰ के॰ भुवालका
(9) डा॰ अनूप सिंह
(10) श्री गुलाम नबी अन्तू
(11) श्री निरंजन वर्मा
(12) श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी
(13) श्री डाह्याभाई वी॰ पटेल
(14) श्री के॰ दामोदरन
(15) श्री बी॰ एन॰ मण्डल

और लोक-सभा के 30 सदस्य हों और सिफारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को सूचित करे।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

पहला प्रतिवेदन

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

पहला प्रतिवेदन

Shri Jagannathrao Joshi (Bhopal) : I beg to lay on the table of the House the first Report of the Joint Committee on office of Profit.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा उनकी हाल की विदेश यात्राओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT BY DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE ON HIS RECENT VISIT ABROAD

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं जो वक्तव्य देना चाहता हूँ, वह बहुत लम्बा है । क्या मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं अपनी हाल की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1686/67]

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—Contd.

अध्यक्ष महोदय : 22 नवम्बर, 1967 को श्री मधुलिमये द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार किया जायेगा ।

" कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का अभाव प्रकट करती है ।"

इस से पूर्व कि हम इस विषय पर आगे चर्चा आरम्भ कर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने कल और दो दिन इस विषय पर चर्चा की है । मेरे विचार में कल प्रश्न काल के पश्चात् प्रधान मत्री उप-प्रधान मंत्री, गृह कार्य मंत्री आदि भी इस विषय पर बोलना चाहेंगे । सभी दलोंका के लिये समय निर्धारित किया गया था । स्वतन्त्र दल ने कल 20 मिनट लिये थे । इस अर्थ है कि उस दल से कुछ अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद अन्य घटनाएँ घटी है । पंजाब का मंत्रि-मण्डल हटाया जा चुका है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इससे पूर्व कि प्रधान मंत्री अपना भाषण दें, दो घंटे का समय दिया जाये ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मेरे दल को केवल 20 मिनट का समय दिया गया है । मैं चाहता हूँ कि कुछ और समय दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर तीन दिन का समय नहीं दिया जा सकता । सभी दलों को निर्धारित समय दिया जायेगा ।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर): कल साम्यवादी दल (दक्षिण पंथी) के नेता द्वारा यह बात कही गई थी कि हमें पेकिंग रेडियों के प्रचार को गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए । परन्तु पेकिंग रेडियो द्वारा किये जाने वाले प्रचार को सुनने से ऐसा लगता है कि वह निश्चय ही अपनी विचार धारा के अनुसार इस देश में क्रान्ति लाना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1962 में हम 'हिन्दी चीनी भाई भाई' के नारों में अपनी सीमाओं की रक्षा की ज़िम्मेदारी को भूल गये थे और चीन ने आश्चर्यजनक ढंग से आक्रमण कर हमें इस तरह पराजित किया कि हम उसको आज तक नहीं भूल सके । हमने यह शपथ ग्रहण की थी कि हम अपनी भूमि का एकएक इंच चीन के चंगुल से स्वतन्त्र करायेंगे परन्तु शर्म की बात है कि हम अपनी शपथ को पूरा नहीं कर सके । इसलिये हमें चीन के प्रचार के प्रति सतर्क रहना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें 'माओ त्से तुंगस्थाट' नामक पुस्तक पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चीन का लक्ष्य समूचे विश्व में क्रान्ति लाना है । उनका प्रत्येक पग इसी ओर उठ रहा है । इसी पुस्तक में माओ का प्रसिद्ध सिद्धान्त कि "राजनैतिक शक्ति बन्दूक की बैरल से प्राप्त होती है" दिया गया है । वे सभी सम्भव तरीकों से विश्व क्रान्ति लाना चाहते हैं फिर भी हमें इसकी परवाह न करने को कहा जाता है । अतः हमें साम्यवादी दलों के इस व्यवहार को गम्भीरता से लेना चाहिये ।

इस सम्बंध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि चीन किसी सीमा तक हमारी आर्थिक कठिनाई के लिये भी जिम्मेदार है। चीन से युद्ध से पूर्व हम प्रतिरक्षा पर बहुत कम व्यय करते थे । परन्तु युद्ध के पश्चात हमें अपनी प्रतिरक्षा पर अत्यधिक व्यय करना पड़ा । विकास कार्यों के लिये निर्धारित धनराशि को भी प्रतिरक्षा प्रयोजनों पर व्यय करना पड़ा था । हड़तालें और प्रतिरक्षा व्यय किसी भी देश की प्रगति तथा उत्पादन में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। साम्यवादी हमारे देश में हड़तालों को प्रोत्साहन दे रहे हैं । उन्होंने घेराव का एक नया ढंग निकाल लिया है। इन्हीं दो कारणों से आज हमारी प्रगति रुकी हुई है और हमें अवमूल्यन करना पड़ा था। यह सच है कि कुछ मजदूर संघों की मांगें न्यायोचित हैं और हमें उनकी मांगों को पूरा करना है। परन्तु क्रान्ति तथा दलगत हितों के लिये उनका शोषण न तो आम जनता के लिये अच्छा है और नही यह देशभक्ति का कार्य है ।

साम्यवादी विश्व में मजदूरों का शासन स्थापित करना चाहते हैं । परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कभी कृषि मजदूरों की ओर भी ध्यान दिया है । साम्यवादी देशों में कृषि असफल रही है उसका कारण यह है कि कारखाने के मजदूरों द्वारा उनका शोषण किया जाता है । वे राष्ट्रीय आय का अधिक भाग खा जाते हैं और कृषि मजदूरों को उनके

भाग्य पर छोड़ देते हैं । यही कारण है कि आज चीन और रूस को भी अमरीका और आस्ट्रे- लिया से अनाज की भिक्षा मांगनी पड़ रही है।

एक तर्क यह दिया गया है कि हम गैर-कांग्रेसी सरकारों को हटाना चाहते हैं । यद्यपि मैं कांग्रेसी हूँ तथापि मद्रास में जिस ढंग से डी० एम० के० का मंत्रिमण्डल बना है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ । मैं प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन के नाते मंत्रिमंडलों में जितने मंत्री लेने की सीमा निर्धारित की है कि मद्रास में उससे भी कम मंत्री लिये गये हैं । वहां पर एक जिम्मेवार सरकार पूरी दक्षता और उचित ढंग से कार्य कर रही है । अतः हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। इस लिये यह कहना ठीक नहीं है कि हम गैर कांग्रेसी सरकारों को हटाना चाहते हैं ।

जहाँ तक बंगाल का संबंध है विधान सभा की बैठक 29 को बुलाने का निश्चय किया गया था । यदि संयुक्त मोर्चा सरकार 29 को सत्र बुलाने के लिये सहमत हो जाती तो उनको हटाने का कोई प्रश्न नहीं था । वास्तव में साम्यवादी केरल और कलकत्ता में बंद आदि करके अन्ततः वहां पर क्रान्ति लाना चाहते हैं । यदि हमने इन 'बन्दी' आदि पर गम्भीरता से विचार नहीं किया तो 1962 की तरह हम स्वयं को धोखे में रखेंगे । लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले दल आपस में मिलकर इस क्रान्ति को रोक सकते हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteenth of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]
[**Mr. Deputy Speaker in the Chair**]

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । केन्द्र में सत्तारूढ़ दल ने देश में राजनीति को बहुत निम्न स्तर तक गिरा दिया है । राज्यपाल के पद का दलगत हितों के लिये प्रयोग किया जा रहा है। वह केन्द्रीय सरकार के हाथों में एक टूल बनकर रह गया है। 1967 के आम चुनाव के पश्चात केन्द्र में कांग्रेस की शक्ति बहुत कम हो गई है और बहुत से राज्यों में तो इसको शक्ति- हीन कर दिया गया है ।

आमतौर पर यह समझा जाता था कि लोकतन्त्र की सामान्य प्रक्रिया द्वारा कोई भी दल राज्यों अथवा केन्द्र में सत्तारूढ़ हो सकता है । परन्तु भारत में एक आश्चर्यजनक प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। यदि कोई दल सत्ता सम्भालना चाहता है तो उसको जनता के पास जाने की आवश्यकता नहीं बल्कि वह दल केवल राज्यपाल को विश्वास दिला कर सत्ता सम्भाल सकता है । संविधान के अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत राज्यपाल को अपनी विवेक शक्तियों को आपात की परिस्थितियों में ही प्रयोग करना होता है । परन्तु हम देखते हैं कि राज्यपालों द्वारा इन शक्तियों

का अविवेक ढंग से प्रयोग किया जा रहा है । अलग-अलग राज्यों के लिये अलग-अलग मानक स्थापित किये गये हैं । वहाँ पर मंत्रिमंडलों को हटाने के लिये पृथक्-पृथक् प्रक्रिया अपनाई जाती है । भारतीय लोकतन्त्र के कार्यसंचालन में यह एक सबसे बुरा धब्बा है ।

पंडित कुजंरू ने 30 मई 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए यह कहा था कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे देश में लोकतंत्र का विकास हो और किसी भी हालत में तानाशाही को रोका जा सके । राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के परामर्श से राज्यपालों की नियुक्त के बारे में बोलते हुए उन्होंने यह शंका प्रकट की थी कि इससे देश में तानाशाही स्थापित हो सकती है ।

एक अन्य सदस्य श्री विश्वनाथ दास ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि यह सम्भव है कि भविष्य में किसी राज्य में केन्द्र से पृथक सरकार हो तो उसमें यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि प्रधान मंत्री जिसके परामर्श से राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, अपने हितों के लिये अपना राज्यपाल नियुक्त करें । उन्होंने इस बात की शंका प्रकट की थी कि राज्यपाल कहीं वही काम न करे जैसा कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद में करते रहे हैं ।

उसी दिन एक अन्य सदस्य डा० बी० जी० खेर ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि सीमित शक्तियों के बावजूद एक अच्छा राज्यपाल अच्छा काम कर सकता है और एक बुरा राज्यपाल बुरा तथा शरारतपूर्ण काम कर सकता है ।

यह भी कहा जाता है कि लोकतंत्र और एक व्यक्ति के शासन में यह अन्तर होता है कि यदि प्रशासक कुप्रशासन करता है तो जनता को दुख उठाना पड़ता है और लोकतंत्र में यदि सत्तारूढ़ व्यक्ति कुप्रशासन करता है तो उसको जनता द्वारा बदल दिया जाता है । परन्तु यदि राज्यपाल ऐसा करता है तो जनता उसको बदल नहीं सकती और नहीं उसकी विवेक शक्तियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ।

हरियाना, बंगाल अथवा पंजाब में जो कुछ है वह गलत कामों का ही परिणाम है । वहाँ पर लोकतंत्र की आश्चर्यजनक ढंग से हत्या की गई है ।

सर्वप्रथम राजस्थान में विधान सभा को स्थगित कर राष्ट्रपति शासन लागू करने का दुःखःपूर्ण निर्णय किया गया था ; वहाँ पर बहुमत के नेता श्री सुखाडिया ने मंत्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया था । परन्तु किसी अन्य दल को मंत्रिमंडल बनाने को नहीं कहा गया था । उस समय विरोधीदल में 93 सदस्य थे । उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति के समक्ष अपने आप को उपस्थित भी किया था । इस सबके बावजूद भी राज्यपाल ने कोई कार्यवाही नहीं की थी ·

दूसरा दुखभरा ड्रामा 19 मार्च, 1967 को पांडीचेरी में खेला गया । दो मंत्रियों सहित कांग्रेस के सात सदस्यों ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर युनाइटिड डैमोक्रेटिक फ्रंट स्थापित किया था । उन्होंने 20 मार्च को अविश्वास का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया । परन्तु इस प्रस्ताव को लिये बिना ही सभा को स्थगित कर दिया गया । इसके पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज द्वारा श्री वेंकटाराघवन को वहाँ पर पुनः कांग्रेस सरकार स्थापित करने के लिये भेजा गया । दस दिन के

भीतर यह सब काम कर दिया गया। वहाँ पर एक विशिष्ट घटना यह घटी कि एक दिन के लिये पांडीचेरी में कोई सरकार नहीं थी क्योंकि वेंकट सुब्बा रेड्डियार सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा नहीं की गई थी।

जैसा कि कल यहां गृहकार्य मंत्री ने कहा कि हरियाना के राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा कि यदि विधान सभा का सत्र बुलाया जाता है तो कई भी दल अर्थात सत्तारुढ़ अथवा विरोधी दल अपना बहुमत स्थापित कर सकता है। अतः वहाँ पर शान्ति अथवा स्थायी सरकार स्थापित नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस बात का निर्णय कि बहुमत किसके साथ है सभा में ही किया जा सकता है। किसी दल की शक्ति का परीक्षण सभा में ही किया जा सकता है। अतः राज्यपाल को तुरन्त विधान सभा का सत्र बुलाना चाहिए था। राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन के अन्त में भी यह कहा था कि वर्तमान मंत्रिमण्डल अपने साथ बहुमत बनाये रख सकता है।

हरयाना में जब कि राज्यपाल ने अपने पत्र में यह कहा था कि विधान सभा में राव बीरेन्द्र सिंह का अब भी बहुमत है, फिर भी विधान सभा भंग कर दी गई है और जब कि राजस्थान में केवल स्थगित की गई थी।

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने संयुक्त मोर्चा सरकार को समाप्त करके तथा नई सरकार की स्थापना करके एक भीषण निर्णय लिया है। किन्तु विधान सभा में बहुमत किसका है, इसका निर्णय लेने वाला राज्यपाल नहीं अपितु निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इसका मतलब तो यह है कि किसी दल की सरकार बनाने अथवा हटाने का एक मात्र अधिकार राज्यपाल को है, वह भी उसकी इच्छा पर। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल की विवेक-शक्तियों का प्रयोग मंत्रालय की स्थापना करने अथवा उसे हटाने के मामले में नहीं किया जाना चाहिए, भारत में यह एक बहुत खतरनाक बात हो रही है। वर्ष 1965 में जब केरल में राष्ट्रपति के शासन की घोषणा की गई थी, कांग्रेस के वरिष्ट सदस्य श्री खाडिलकर ने, जो अब उपाध्यक्ष हैं, कहा था :

"इस मामले में किसका फैसला अन्तिम है—राज्यपाल का फैसला अथवा लोगों के प्रतिनिधियों का ? संघर्ष यही है।"

वह संघर्ष अभी भी जारी है। राजस्थान में विधान सभा बैठने नहीं दी गई। राज्यपाल ने यह निर्णय किया। पाण्डीचेरी में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव दिया और जब देखा गया कि उनका बहुमत है, तो विधान-सभा स्थगित कर दी गई, वही चीज हरयाना में हुई। सभा में एक तर्क यह दिया जा रहा है कि हर एक चीज संविधान के उपबन्धों के अनुसार की जा रही है और राज्यपाल ने संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्य किया है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन प्रश्न यह है कि केवल संविधान के उपबन्धों का अनुसरण करके ही प्रजातंत्रीय ढांचे की रक्षा नहीं की जा सकती, संविधान में निहित भावना का अनुसरण किये बिना केवल उसके उपबन्धों को क्रियान्वित करने की नीति खतरनाक

होगी और इससे जल्दी ही देश में तानाशाह शासन आ जायेगा। प्रजातंत्र चलाने के लिये संविधान है और उसकी भावना का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, जर्मनी के संविधान की भांति हमारे देश में भी सत्तारूढ़ दल प्रजातंत्र को नष्ट करने के लिये संविधान के उपबन्धों की क्रियान्विति उसी तरह कर रहा है। यद्यपि संविधान बहुत अच्छा है और उसके उपबन्धों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि जब तक संविधान की भावना का अनुसरण नहीं किया जाता हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, यही कारण है कि आज कांग्रेस का पतन हो रहा है और उसकी लोकप्रियता का ह्रास हो रहा है। उसे निजी स्वार्थ-लोलुपता ने अन्धा बना दिया है।

वर्ष 1937 में जब कांग्रेस ने विधान मंडलों में प्रवेश किया, तो उसने स्वतः गवर्नरों की विवेक शक्तियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी और कहा था कि वे मंत्रियों के पद तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि गवर्नरों को हस्तक्षेप करने तथा मंत्रियों को हटाने के सम्बन्ध में अपनी विवेक-शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। उस समय गवर्नर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के हितों का देख-भाल करने तथा उनकी रक्षा करने के लिये नियुक्त किये जाते थे, यद्यपि शाही-प्रतिनिधि वाइसरॉय होता था। इसलिये जब संघर्ष की स्थिति आई, तो उन्होंने जो जनता के समर्थन से सत्तारूढ़ हुए थे, यह मांग की। किन्तु अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का रूप केन्द्र में कांग्रेस ने धारण कर लिया है और वे राज्यपालों का प्रयोग उसी भाँति कर रहे हैं जिस तरह अंग्रेजी साम्राज्यवाद किया करता था। कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने मद्रास में हाल के उप-चुनाव के दौरान कई जगह भाषण दिये और कहा "हम यहाँ सेना लायेंगे।" केवल उन्होंने ही नहीं, अपितु कई और वक्ताओं ने भी, जो उनके बाद बोले, कहा "तुम्हारे पास पुलिस है, लेकिन सेना लायेंगे" जैसे कि सेना कांग्रेस अध्यक्ष अथवा कांग्रेस पार्टी के घर की है। सेना सरकार की है और भारत के लोगों की है वह चीनियों तथा पाकिस्तानियों को भगाने के लिये है न कि देश के बेकसूर लोगों का वध करने के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय: सदस्य महोदय एक भीषण आरोप लगा रहे हैं, क्या वह अपने कथन को प्रमाणित कर सकते हैं ?

श्री सेझियान : जी, हाँ मैं पूरी जिम्मेदारी की भावना से बोल रहा हूँ और इस सम्बन्ध में प्रमाण पेश कर सकता हूँ।

श्री कामराज आज लोगों को गोलियों से डरा रहे हैं। वह प्रजातंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। वह सेना की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी स्वयं इस बात के विरुद्ध थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए 30 मार्च, 1937 को जारी किये गये अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था।

"It does appear to me that once more the British Government has broken to the heart what it promised to the ear. I do not doubt that they can and will impose their will on the people till the latter develop enough strength from within to resist it, but that cannot be called working provincial autonomy. By flounting the majority obtained through the machinery of their creation, they have in plain language ended the autonomy which they claim the constitution has given the provinces. The rule, therfore, will now be the rule of the sword, not of the pen, nor of the indisputable majority."

वही शब्द अब भी कामराज तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के मुँह से आ रहे हैं। वे तलवार के बल पर हकूमत करेंगे, न कि कलम की ताकत से। शलाका से नहीं अपितु गोली से। लोगों के बल पर नहीं बल्कि सेना के बल पर। यही रवैया अपनाया गया तो प्रजातंत्र का यदि वध भी नहीं होगा, तो हड्डी पसली तो एक हो ही जायेगी। प्रजातंत्र का गला घुट रहा हैं। वस्ताव में राज्यपाल ने जैसा कि लगभग 20 वकीलों ने समाचारपत्रों में आज एक वक्तव्य जारी है, विधान मंडल के कृत्य स्वतः ग्रहण कर लिये हैं। भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली में यह, यदि सबसे काला नहीं, तो सबसे खराब दाग तो निस्सन्देह है। जब तक इस विवेक-शक्तियों पर बुद्धिमान आदमियों द्वारा जो केन्द्र में हो, प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, कम नहीं किया जाता तथा नियंत्रित नहीं किया जाता, भारत में प्रजातंत्र का जीवन सुरक्षित नहीं है।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने का मेरा अभिप्राय नहीं था क्योंकि उन कुछ समस्याओं का सम्बन्ध, जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, गृह-कार्य मंत्री से है जो इस समय किसी अविलम्बनीय कार्य के सिलसिले में राज्य सभा में हैं। प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केवल पश्चिम बंगाल तथा हरियाना सम्बन्धी मामले ही नहीं अपितु आर्थिक व विदेशी मामले भी उठाये गये हैं। वास्तव में आरोप यह लगाया गया है कि सरकार अपने हर काम में पूर्णतः असफल रही है और वह किसी भी आधार पर पद सीन रहने के काबिल नहीं है जहाँ तक प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्ध है, चूँकि मैं किसी तरह भी यह नहीं कह रहा हूँ अथवा आरोप लगा रहा हूँ या नतीजा निकाल रहा हूँ कि इसे खेल-खेल में ही लाया गया है। किन्तु वर्ष 1963 के बाद समय-समय पर लाये गये अविश्वास प्रस्तावों को दृष्टि में रखते हुए, लगता है कि यह एक प्रथा बन चुकी है —हर समय वही कारण दुहराये जाते हैं; इसलिए इसे उन लोगों से, जिनके विरुद्ध यह लाया गया है, उतना महत्व नहीं मिलेगा। जहां तक मेरे माननीय मित्रों की इस इच्छा का सम्बन्ध है कि वर्तमान सरकार को हटना चाहिये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु जब वे सरकार को हटा नही सकते, तो छाती फाड़-फाड़ चिल्लाने का कोई काम नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ।

यह आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में की गई कार्यवाही पूर्णतः असंवैधानिक है और संविधान की हत्या की गई है। संविधान में उपबन्ध यह है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है। इस बात से किसी ने इन्कार नहीं किया है और इसके अर्थ में कोई भी मतभेद नहीं है। इस मामले में, उपबन्ध क्या है ? राज्पाल बहुमत वाले दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करता है; यद्यपि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तथापि इसका स्पष्ट अर्थ यही है और हमेशा यही माना गया है और मंत्रिपरिषद् तब तक सत्तारूढ़ रहता है जब तक राज्यपाल चाहता है (अन्तर्बाधाएं) संविधान की धारा 164 में इन शब्दों का प्रयोग किया है यथा :

"मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जायगी और अन्य मंत्री मुख्य मंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और मंत्री राज्यपाल के इच्छानुकूल (डूरिंग दि प्लेजर) पदासीन रहेंगे ।"

"डूरिंग दि प्लेजर आफ दि गवर्नर" का अर्थ केवल यह है कि जब राज्यपाल यह देखता है कि मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वह उससे त्यागपत्र देने के लिये कहता है । इस धारा के अन्तर्गत यही उसका कृत्य है । (अन्तर्बाधाएं) मैं जानता हूँ कि मेरे माननीय मित्र अन्तर्बाधाएँ डालने में विशेषज्ञ हैं । लेकिन अन्तर्बाधाओं से तर्कों का खण्डन नहीं किया जा सकता । यदि उनकी बात तर्कसंगत हो और उसमें सचाई हो, तो मैं उसे मानूँगा अन्यथा अन्तर्बाधाओं से क्या लाभ है ।

पश्चिम बंगाल को देखिये । राज्यपाल ने वहाँ क्या किया ? राज्यपाल ने विधान सभा की बैठक नहीं बुलाई क्योंकि वह ऐसा खुद-ब-खुद नहीं कर सकता और उसने ऐसा करना भी नहीं चाहा, इसलिये राज्यपाल ने मुख्य मंत्री को केवल यह सुझाव दिया कि मुझे यह प्रदर्शित करने वाले प्रमाण मिले हैं कि आपको अब बहुमत प्राप्त नहीं है और अतएव यह सिद्ध करने के लिये कि आपको बहुमत–समर्थन प्राप्त है, आप एक सप्ताह के अन्दर विधान सभा की बैठक बुलायें । राज्यपाल ने उन्हें बरखास्त नहीं किया । हालाँकि राज्यपाल, यह सिद्ध हो जाने पर कि मुख्य मंत्री के साथ बहुमत नहीं है, उसे तत्काल बरखास्त कर सकता है'। किन्तु राज्यपाल ने, इस बात को दृष्टि में रखकर कि यह कई दलों की सरकार है, जो कई बातें कह सकते हैं। इसलिये उन्होंने मुख्य मंत्री को सात दिन के भीतर विधान सभा कि बैठक बुलाने का सुझाव दिया । किन्तु मुख्य मंत्री 18 दिसम्बर से पहले बुलाने के लिए राजी नहीं हुए—यानी इस सुझाव के डेढ़ महीने बाद ।

श्री सेझियान : हरयाना में क्या हुआ जहाँ, मुख्य मंत्री विधान सभा की बैठक बुलाने के लिये सहमत हुए थे ?

(**श्री मोरारजी देसाई**) : मैं हरयाना के विषय पर आ रहा हूँ, आप थोड़ी धैर्य रखिये !

ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्य मंत्री को डेढ़ महीने तक पदासीन कैसे रख सकते थे ? राज्यपाल मुख्य मंत्री के हाथों संविधान की यदि इस प्रकार हत्या करवा देते, तो वह खुद पदासीन रहने के काबिल न रहते । (अन्तर्बाधाएँ)

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I hope the Deputy Prime Minister will not mind my interruption when I remind him of the present Law Minister who was allowed to remain in office as the chief Minister of Travancore-Cochin for six months even after loosing his election. Will he please be kind enough to enlighten us, after keeping in view the then existing facts, as to how he was allowed to remain in office.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : आपके लिए तत्कालीन परिस्थिति समझना जरूरी है । (अन्तर्बाधाएं)

Shri Madhu Limaye : I am asking the Deputy Prime Minister.

श्री मोरार जी देसाई : उस समय क्या हुआ था, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है (**अन्तर्बाधाएँ**)।यह सत्य है कि उनका मंत्रिमंडल छः मास तक रहा परन्तु यह गलत कार्य था और यदि कभी एक गलत कार्य हो जाये तो इसका अर्थ यह नहीं कि एक और गलत कार्य किया जाये। मुख्य मंत्री स्वयं अक्तूबर के आरम्भ में त्यागपत्र देना चाहते थे और जो कारण ऐसा करने के लिये उन्होंने लिखे थे वे मेरे सामने रखे हैं। मैं मुख्य मंत्री को जानता हूँ कि वह एक सज्जन व्यक्ति हैं परन्तु जिन लोगों के हाथ में वह खेल रहे हैं उनके मन में सच्चाई अथवा सिद्धान्तों का कोई मान नहीं। एक बार बहुमत खो देने के पश्चात् मुख्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं कि वह नये चुनावों के बारे में कहे। यही बात विरोधी पक्ष वालों ने तब कही थी जब मध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री बहुमत खो बैठे थे और मैं उनसे सहमत था।

यदि हम एक दूसरे से मतभेद भी रखते हों तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम एक दूसरे की नीयत पर शंका करें और एक दूसरे पर आरोप लगाना आरम्भ पर दें।

मुख्य मंत्री जिन चार कारणों से त्याग-पत्र देना चाहते थे वे मेरे सामने रखे हैं। मैं कभी भी दल बदलने के हक में नहीं रहा चाहे उसके कुछ भी कारण क्यों न हों।

यह कहना उचित नहीं है कि केन्द्र में नये मंत्री इस कारण नियुक्त कर दिये हैं क्योंकि यहां भी दल बदलने का डर था। मंत्रियों की इतनी संख्या तो यहां सदा से रही है। यहां के मंत्रिमंडलों की संख्या राज्य सरकारों के मंत्रिमंडलों से नहीं मिलानी चाहिये क्योंकि यहाँ केन्द्रीय मंत्रिमंडल है। यहां सदस्यों की संख्या 322 है। यदि आप देखें तो पता चलेगा कि मंत्रियों की संख्या कहां अधिक है। जो चार कारण श्री मुखर्जी ने दिये थे कि कोई भी राज्यपाल इनके मंत्रमंडल को तुरन्त बर्खास्त कर सकता था। परन्तु उस समय ऐसा नहीं किया गया था। हम भी नहीं चाहते थे कि राज्यपाल से कहें कि वह अपने विवेक अधिकार का किस प्रकार प्रयोग करें। जब तक संवैधानिक रूप से वह मंत्रिमंडल में रह सकते थे, वह रहे।

30 सितम्बर तक 799 बार घेराव की घटनायें वहां हुईं। इतने दिन तो वह मंत्रिमंडल में भी नहीं रहे। वहां इस अवधि में 27 बार प्रदर्शन हुए तथा 64 बार काम करने से इन्कार कर दिया। 15 दिन में 70 बार वहां रेलगाड़ियां रोकी गईं तथा रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण किये गये। इसी कारण राज्यपाल ने इनसे कहा कि वह 7 दिन में विधान सभा की बैठक बुलायें। वह तो इस अवधि को 7 दिन के लिये और बढ़ा सकते थे परन्तु मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें 20 से 25 दिन की अवधि बढ़ा दी जाये। ऐसा करना गलती होती।

यदि राज्यपाल उन्हें बर्खास्त न करते तो उनसे पद छीन लिया जाता। इसलिये यदि कहीं राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को उचित रूप से बर्खास्त किया तो वह पश्चिमी बंगाल है। यदि वह ऐसा नहीं करते तो संविधान की हत्या समझी जाती।

हरियाना में तो वहां की सरकार ने लोकतन्त्र को मजाक बना दिया था। वहां सदस्यों ने कई-कई बार दल बदले। यह सब भ्रष्टाचार था और यदि राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हो

जाये कि ऐसे मंत्रिमंडल को हटा देना चाहिये तो उन्होंने ठीक ही कार्य किया। वहां अब जनता को फिर अवसर मिल गया कि वह अपने प्रतिनिधियों का पुनः चुनाव करें। यदि सारे दल ऐसा नियम बनाने को तैयार है कि दल बदलने वाले का कोई दल समर्थन नहीं करेगा तो हम उसके साथ तैयार हैं। इस मामले में यह नहीं हो सकता कि एक दल तो दूसरों को अपने दल में मिलाता फिरे और हम चुपचाप बैठे रहें। जब मैं ऐसा करता हूँ तो इसमें उपदेश देने की कोई बात नहीं है।

जहां तक हरियाना का सम्बन्ध है, राज्यपाल ने राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश की थी ताकि वहां फिर से नये चुनाव करवाये जा सकें। वहां चुनाव शीघ्र होंगे। पंजाब में जो कुछ हुआ उसका सरकार को पता नहीं था–वहां जो कुछ हुआ उसके बारे में सबको एक साथ ही मालूम पड़ा। लेकिन मुख्य मंत्री ने तत्काल त्यागपत्र दे दिया।

आर्थिक क्षेत्र में सरकार की असफलता के जो कारण बताये गये हैं उनके बारे में मुझे कुछ कहना है। वर्तमान आर्थिक मन्दी को सरकार की नाकामयाबी बताया गया है। मैं यह नहीं समझ पाता कि मन्दी के लिये दोष सरकार के सिर कैसे मढ़ा जा रहा है। वैसे तो सरकार को हर बात के लिये, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, दोषी ठहराया जा सकता है, किन्तु सरकार पर दोष लगाने का भी एक ढंग होता है–उसमें तर्क होना चाहिए प्रमाण होना चाहिए और तथ्य होना चाहिए। यह नहीं कि जिसका कोई कारण समझ में नहीं आया–सरकार को दोषी बना दिया। यह कहा गया है कि योजना असफल हो गयी है। (अन्तर्बाधाएं) मैंने इस बात का दावा कभी नहीं किया मैंने गलतियां नहीं कीं। मैंने यह नहीं कहा कि योजना आयोग ने कोई गलती नहीं की। मैं तो एक मोटी बात कह रहा हूँ। जब यह कहा गया कि योजना पूर्णतः असफल हो गई है, तो मैं केवल यह कह रहा हूँ कि योजना पूर्णतः असफल नहीं हुई है। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि यह कथन गलत है.. (अन्तर्बाधाएं,) जहां तक योजना बनाने तथा उसकी क्रियान्विति का सम्बन्ध है, मैंने यह कभी नहीं कहा कि हमारी योजना आदर्श योजना रही है, मैंने हमेशा ही यह कहा है कि कोई भी मानव एजेन्सी पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिये इस योजना के लिये भी हम पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकते। हमें देखना यह है कि योजना ने देश में क्या किया है।

पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमें काफी अच्छी सफलता मिली है। चाहे कुछ भी हो खाद्य-उत्पादन के मामले में 8 करोड़ 15 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में खाद्यान्नों का उत्पादन 8 करोड़ 20 लाख टन था। क्या इसका मतलब यह निकलता है कि देश में योजना असफल रही है? (अन्तर्बाधाएं) जहां तक दोष लगाने का सवाल है, विरोधी दल अपनी आदत से मजबूर हैं और वे उससे बाज नहीं आयेंगे। वे तो आज भी निराधार तर्क देते हैं। उनका कहना है कि 20 वर्षों की योजना के बावजूद हम आज 1 करोड़ टन के खाद्यानों का आयात कर रहे हैं जो कि केवल पिछले दो वर्षों के दौरान मंगाये गये हैं। उससे पहले हम औसतन 30 से लेकर 40 लाख टन तक अनाज मंगाते थे, किसी चीज के कारणों की जांच

किये बिना उसकी नुक्ता-चीनी करने से कोई लाभ नहीं होता। देश के स्वतंत्र होने से पहले देश की तथा उसके कई भागों विशेषतः अनेक पिछड़े क्षेत्रों में हालत अति दयनीय थी, यहां तक कि वहां के लोगों को महीनों तक अनाज नहीं मिलता था। उन लोगों को केवल जड़ी-बूटियों पर जीवन बिताना पड़ता था, किन्तु आज स्थिति ऐसी नहीं है। (अन्तर्बाधाएं)

दूसरी पंच वर्षीय योजना के पश्चात् वर्षा कम होने लगी, या समय पर नहीं हुई अथवा अधिक हुई। परिणामस्वरूप दूसरी पंच वर्षीय योजना के बाद अगले तीन वर्षों में अनाज का उत्पादन गिर गया जिससे कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। चौथे वर्ष 8 करोड़ 90 लाख टन अनाज पैदा हुआ लेकिन पिछले दो वर्षों में क्रमशः केवल 7 करोड़ 20 लाख टन तथा 7 करोड़ 50 लाख टन अनाज हुआ। इस प्रकार दो वर्षों में लगभग 3 करोड़ टन अनाज की कमी हो गई। इतना होने के बावजूद भी हमने 3 करोड़ टन का नहीं अपितु केवल 2 करोड़ टन अनाज का आयात किया। हमारे माननीय मित्र आयात न करने के तरीके में मदद देने में प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, वे अधिकाधिक आयात करने के तरीके में मदद करना चाहते हैं, वे कीमतों को बढ़ाने के तरीके में मदद देना चाहते हैं, वे उत्पादन बढ़ाने के तरीके में नहीं अपितु घटाने के तरीके में मदद करना चाहते हैं। फिर भी वे यह कहना चाहते हैं कि—ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय महत्व के मामलों में प्रत्येक सरकार आशा करती है कि सभा के सभी दल एक मत हों और एक दूसरे से सहयोग करें, किन्तु ऐसा हुआ नहीं है। यदि सरकार की हैसियत से यह कहा जाये कि हम अपने माननीय मित्रों से मदद लेने में सफल नहीं हुए हैं, तो आरोप लगाया जाता है कि सरकार अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही है। यह सच है कि हम इस कार्य में निश्चित रूप से असफल रहे हैं। किन्तु यदि हमें इसमें सफलता नहीं मिली, तो क्या यह भी हमारा ही दोष है या किसी और का? यदि दोष पारस्परिक है, तो फिर सारा दोष कांग्रेस पार्टी के सिर पर मढ़ने का लाभ क्या है? हमारे लिये मार्गोपाय ढूढ़ने जरूरी हैं। इस लिये, योजना के मामले में, पिछले पन्द्रह वर्षों में, जिनमें से पांच वर्ष बुरे थे, यदि खाद्य स्थिति बिगड़ गई तो इसमें सरकार का कसूर नहीं है। सरकार तो इस कोशिश में है कि खाद्योत्पादन और अधिक बढ़े और पिछले पन्द्रह वर्षों में इस दिशा में किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आगामी तीन-चार वर्षों में उत्पादन बढ़ेगा और यह कमी पूरी हो जायेगी।

हम यह देख रहे हैं कि राज्यों मे "गैर-कांग्रेसी सरकारें" किस तरह काम कर रहीं हैं। मैं मद्रास, केरल, तथा उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूँ,मैं उन राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ, जहां विभिन्न मत वाले दलों ने मिलकर सरकारें बनाई हैं। कांग्रेस के प्रति घृणा के कारण उनमें यह हेल-मेल हुआ है, बंगाल में जो कुछ हुआ, वह हमने देखा। हरयाना में क्या हुआ? वह हमने देखा। इसी प्रकार पंजाब में जो कुछ हुआ, वह भी हमने देखा। अब उत्तर प्रदेश तथा बिहार में जो कुछ हो रहा है, उसे भी हम देख रहे हैं। श्री रंगा ने बिहार के मुख्य मंत्री की तारीफ की है कि उन्होंने अकाल की स्थिति का बड़ी योग्यता से मुकाबला किया मुझे बहुत खुशी है, लेकिन वह इस चीज को महसूस क्यों

नहीं करते ? मुख्य मंत्री को धन किसने दिया जिससे कि वह ऐसा कर सके ? हमने उन्हें 50 करोड़ से अधिक रुपये दिये और जो कुछ भी मांगा, वह दिया। फिर भी यह कहा जाता है कि सरकार भेद-भाव बरत रही है। वे कोई उदाहरण दें जहां ऐसा किया गया हो। राज्य सरकारों के बारे में, चाहे वहां कांग्रेस सरकार हो अथवा गैर-काँग्रेसी सरकार, हमने कोई भेद-भाव नहीं बरता है और यथोचित मांग सब की पूरी की है। और सरकार, जो कुछ भी उचित है, कर रही है। किन्तु यह कहना कि सरकार नें राज्यों को कुछ दिया ही नहीं है, तथ्यों से इन्कार करना है। एक विचित्र बात यह है कि विरोधी दल, जहाँ सामूहिक स्वार्थ निहित हो, एक हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में कुछ माननीय मित्रों ने कहा था कि यह सरकार नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जब अविश्वास-प्रस्ताव पेश हुआ, तो सब एक हो गये।

अब अन्य बातों की ओर देखिये। चीनी के मामले में, असफलता रही है, लेकिन उसके भी कारण हैं। हो सकता है, एक कारण यह भी हो कि इस मामले को उस तरह नहीं निपटाया गया जिस तरह उसे निपटाया जाना चाहिए था, वह ठीक है। पर यह भी तो बताइये कि और क्या किया जा सकता है। यह कहने का कोई लाभ नहीं कि पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने के लिये ऐसा किया गया है। यह बात बिलकुल गलत है। मैं नहीं समझता यह नीति किसी के कहने पर निर्धारित की गई है। पिछले दो वर्षों में सभी नकदी फसलों को विशेषकर कपास, गन्ने, तिलहन तथा जूट की फसलों को भारी क्षति पहुंची है। इस कारण भी ऐसा हुआ है। इस प्रक्रम पर यदि आप स्थिति का मुकाबला करना चाहें, तो क्या हमें खुद संयम से काम नहीं लेना चाहिये ? हम ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब कि सभी दल मिल-जुलकर लोगों को समझायें और उनसे कम चीनी का इस्तेमाल करने को कहें, ऐसा किये जाने पर सारा मामला स्वतः सुलझ जायेगा।

माननीय सदस्य यदि किसी नई योजना का सुझाव देते हैं, तो मैं उसका प्रयोग करने के लिये तैयार हूँ बशर्ते कि वह व्यावहारिक हो। ऐसी योजनाओं की पहले परख तथा प्रयोग किया जाना जरूरी होता है उसके बाद उन पर कार्यवाही करनी होती है। माननीय सदस्यों के बुद्धि का हम निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहते हैं बशर्ते वे रचनात्मक और व्यावहारिक सुझाव दे जिससे देश को लाभ पहुंचे।

जैसा कि हम देखते हैं, इस अविश्वास-प्रस्ताव के बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने जो उसका समर्थन कर रहे हैं, परस्पर-विरोधी बातें कहीं हैं और वे ही तर्क दुहराये हैं जिन्हें वे पहले देते रहे हैं जिससे उसका सम्पूर्ण महत्व ही नष्ट हो जाता है, इसलिये, मुझे पक्का यकीन है कि सभा इसे रद्द करेगी।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : हमारे उप-प्रधान मंत्री ने हमें बहुत सी बातें बताई हैं। वह सच्चाई के पुजारी हैं परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब उन्हें तथ्यों का पता लगता है तो वह सच्चाई के तथ्यों को भूल जाते हैं उदाहरण के तौर पर उन्होंने हमें बताया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुख्य मंत्री को बताया कि मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि आपने अपना बहुमत खो दिया है और इसलिये मैं विधान सभा को किसी समय बुलाना चाहता हूँ।

परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने यह नहीं लिखा है कि उन्होंने अपना बहुमत खो दिया है। दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि ऐसा सन्देह है। मेरे विचार से सन्देह और सच्चाई में विश्वास करने में अवश्य अन्तर है। और उप-प्रधान मंत्री उस अन्तर को समझते हैं। आखिरकार सन्देह सन्देह ही है और तथ्य तथ्य ही है। मैं संविधान के प्रश्न पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि संवैधानिक प्रश्नों का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वित्त मंत्री को बिल्कुल याद नहीं है कि केरल में क्या हुआ था। वहाँ पर जब मंत्रिमंडल विधान सभा के मत से टूटा तो पराजित मुख्य मंत्री ने राज्यपाल को सलाह दी कि विधान सभा को भंग किया जाये और उसी मंत्रिमण्डल को मध्यावधि चुनाव होने तक रखा जाय। वह छः महीने तक रहा और हमारे गृह-कार्य मंत्री कहते हैं कि पराजित मुख्य मंत्री राज्यपाल को सलाह नहीं दे सकता है। परन्तु केरल में पराजित मुख्य मंत्री की सलाह को ही माना गया था। यही कारण है कि मैं संविधान के प्रश्न की बात नहीं करना चाहता जिससे कांग्रेस दल को सहायता मिलती है वह ही उसका संविधान है। आज स्थिति क्या है। आज भी स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में शिकांडी को मुख्य मंत्री बनाया गया है। उसने सब से पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। आज की स्थिति की तुलना में 1937 की स्थिति से करना चाहता हूँ जबकि बेनामी सरकार बनाई गई थी। उस समय भी वही घटनायें हो रही थीं जो आज बंगाल में हो रही हैं।

श्री मोरारजी देसाई कांग्रेस के विगत काल की बात कर रहे थे। हमें भी उस विगत काल का गर्व है। परन्तु दुख की बात तो यह है कि अब स्थिति कितनी खराब हो गई है। इसके क्या कारण हैं? क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होना उनके लिये गर्व की बात है?

वित्त मंत्री डींग मार रहे थे कि हमें पहली, दूसरी और तीसरी योजना में बहुत सफलता मिली है परन्तु क्या उन्हें देश की वर्तमान स्थिति का पता है? क्या यह गर्व की बात है कि बजट सत्र के बाद वित्त मंत्री देश-देश में भीख मांगने जाता हैं, और उन देशों की सरकारों से प्रार्थना करता हैं कि हमें कुछ दीजिये अन्यथा हमारे देश की स्थिति खराब हो जायेगी। उदाहरण के तौर पर पिछले बजट सत्र के बाद हमारे वित्त मंत्री अगस्त के अन्त में जापान, अमरीका, कनाडा और ब्रिटेन में गये थे। इस प्रकार इन देशों में जाकर सहायता की प्रार्थना करना कोई गर्व की बात नहीं है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि स्वतंत्रता के बीस वर्ष बाद भी हमारे देश की यह स्थिति हैं?

देश में जो मंत्री की स्थिति है अब मैं उस पर आता हूँ। वित्त मंत्री ने भी इस बात का उल्लेख किया था। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिये हम जिम्मेदार हैं? वह उत्पादन की बात कर रहे थे परन्तु हम देख रहे हैं कि आज कारखाने बन्द हो रहे हैं जिसके लिये सरकार जिम्मेदार है न कि विरोधी दल। कर अपवंचन के सम्बन्ध में जो सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है उसके लिये सरकार जिम्मेदार है न कि विरोधी दल। इस अवधि के बीच काले बाजार में चीजें बिकने तथा सट्टेबाजी के लिये सरकार ही जिम्मेदार है। गत बीत वर्षों में देश की ऐसी आर्थिक स्थिति के लिये सरकार ही उत्तरदायी है। स्वतंत्रता के बाद समाजवाद की बात कही जाती थी परन्तु वास्तविकता यह है कि देश में काले बाजार में चीजें बेचने वाले तथा

सट्टेबाज खुशहाल हो रहे हैं । आज बिना विदेशी सहयोग के देश में कोई उद्योग स्थापित नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में देश में तकनीकी विकास कैसे हो सकता है ? जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मंदी के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

जहाँ तक अनाज के उत्पादन का सम्बन्ध है इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है न कि विरोधी दलों की । इन वर्षों में भू-सुधार कामों को गम्भीरता-पूर्वक न करने के लिये सरकार जिम्मेदार हैं । जब केरल में भू-सुधार विधेयक लाया गया तो उदारता अभियान चलाया गया। अतः मैं यह बताना चाहता हूँ कि विदेशी पूँजीपतियों और देश के भू-स्वामियों की सहायता से देश में पूँजीवादी समाज जब तक बना रहेगा तब तक हम सहायता नहीं कर सकते हैं। यदि आप हमारी सहायता चाहते हैं तो आपको अपने पुराने अनुभव से यह सीखना होगा कि इन वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति बदतर हुई है ।

अब मैं बंगाल के प्रश्न को लेता हूँ । वित्त मंत्री घेराव की बात कर रहे थे । वह कानून और व्यवस्था की बात भी कर रहे थे । परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इन 20 वर्षों में नियोजकों के सम्बन्ध में कानून और व्यवस्था को बनाये रखा है ? क्या उन्होंने इन 20 वर्षों में किसी भी भू-स्वामी को दण्ड दिया है जो किसानों को बेदखल कर रहे थे? ऐसी परिस्थितियों में वे कानून और व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहे हैं । मैं मानता हूँ कि कलकत्ता में घेराव हुए परन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि इंजीनियरी कारखाने के मालिकों ने इंजीनियरी मज़ूरी बोर्ड की अन्तरिम सिफारिशों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में इन वर्षों में भारत सरकार ने क्या किया है ? क्या यह कानून और व्यवस्था की बात कर्मचारियों पर ही लागू होती है ? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था वरना न तो कोई व्यक्ति मारा गया था और न ही किसी पर प्रहार किया गया था। इसलिए घेराव आदि की बात करना निष्फल है अतः मूल प्रश्न यह है कि लोग 20 वर्षों तक तो आप पर विश्वास करते रहे हैं परन्तु पिछले चुनावों से पता चलता है कि लोगों का अब यह विचार है कि वे गलत दल पर विश्वास करते रहे। उनमें अब आपके प्रति विश्वास नहीं रहा है । वे अब हर बात पर ऐसे ही विश्वास करने वाले नहीं हैं ।

यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जब संविधान आपके लिये सुविधाजनक नहीं होता है तो आप उसमें संशोधन कर देते हैं। यह मूलभूत प्रश्न है कि चुने हुये प्रतिनिधि सर्वोच्च हैं अथवा राज्यपाल ? इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री संविधान के अनुच्छेद 164 का उल्लेख कर रहे थे। परन्तु संविधान में इस बारे में और भी अनुच्छेद हैं । दूसरे भिन्न-भिन्न राज्यों में संविधान का भिन्न-भिन्न प्रकार से विवेचन किया गया है । इसलिये यह संविधान के प्रश्न की बात नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई सहयोग की बात कर रहे थे । मैं केरल का उदाहरण लेता हूँ। केरल में चावल नियत मात्रा से भी कम दिया गया है। एक ओर तो चावल कम सप्लाई किया

गया है और दूसरी ओर वहां के कांग्रेसी लोगों को कहा गया है कि तुम अपनी सरकार की चावल सप्लाई करने में असफल रहने का शोर करो। कांग्रेस करकार का विरोधी सरकार के प्रति इस प्रकार का विचित्र तरीका अपनाना मेरी समझ में नहीं आया है। श्री मोरार जी देसाई को तब यह घोषणा करनी चाहिये थी कि चावल को सप्लाई न करना हमारी असफलता है न कि केरल सरकार की।

अब मैं पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण देता हूँ। आप पश्चिम बंगाल में 18 दिसम्बर तक प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सके? क्योंकि आपको पता था कि तब तक प्रतीक्षा करने से आप सत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः कानून और गैर-कानून अथवा संविधान आदि की बात करने का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिये हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यदि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल ही राज्यों में विरोधी दलों के सदस्यों को खरीद सकें तो ठीक है वरना वे हिंसात्मक अथवा असंवैधानिक कार्यवाही करने को भी तैयार हैं। यही बात केरल में भी हुई थी।

अन्त में मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि आप इस देश में संविधान को अच्छी तरह से कार्य नहीं करने देंगे तो लोग संविधान-अतिरेक कार्य करने के लिये बाध्य हो जायेंगे जिसके लिये आप उत्तरदायी होंगे।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न

POINT OF PERSONAL EXPLANATION

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में बोलने का मेरा विचार नहीं था परन्तु इस वाद-विवाद के दौरान तथा पिछली बार जो वाद-विवाद हुआ उसमें मेरे राजनैतिक चरित्र के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाये गये थे। दूसरी बात यह है कि मुझे बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री मधु लिमये ने भी ये आरोप लगाने में भाग लिया है। मुझे उनके भाषण की नकल नहीं मिल सकी है चाहे मैंने उसके लिये बहुत प्रयत्न किया है। तथापि मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ।

आचार्य कृपलानी ने भी अपनी बातचीत के दौरान कहा था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कुछ विचार व्यक्त किये हैं। मुझे पता नहीं कि किस व्यक्ति को ध्यान में रखकर उन्होंने यह टिप्पणी की थी परन्तु यदि उन्होंने मुझे ध्यान में रखा है तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने कोई ऐसे विचार व्यक्त नहीं किये है क्योंकि मैंने और मेरे सहयोगियों ने तीनों योजनाओं का सही-सही मूल्यांकन तैयार करके उस दस्तावेज में प्रस्तुत कर दिया है, जो सभा के सम्मुख रखा गया था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Was it a point of personal explanation?

उपाध्यक्ष महोदय : जब कुछ अपमानजनक बातें कही गई थीं तो व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का उनका अधिकार था।

मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव–जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS--Contd.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मुझे विश्वास है कि श्री अशोक मेहता ने अब यह महसूस करना आरम्भ कर दिया होगा कि जिस दल के वह अब सदस्य बने हैं वह दल डूब गया है और उसके साथ देश भी डूब रहा है। दूसरी ओर भी श्री हनुमनतैय्या का भाषण मैंने बड़े गौर से सुना है। उन्होंने अपने भाषण के अन्त में कहा है हमें लोकतन्त्र को बचाना चाहिये, हमें अपने देश को साम्यवादी तानाशाही से बचाना चाहिये तथा देश के सभी लोकतंत्रात्मक राज्यों को आपस में मिल जाना चाहिये।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

यदि श्री हनुमंतैया और उनकी विचारधारा वाले सभी लोगों को इस बात में विश्वास है तो उन्हें इस अविश्वास प्रस्ताव का अवश्य समर्थन करना चाहिये। मैं भी इस प्रस्ताव का इसलिये समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यदि यह सरकार केन्द्र में रही तो लोकतंत्र का हमारे देश में हमेशा के लिये हनन हो जायेगा। इसके कई कारण हैं। हमने देखा है कि आर्थिक मामलों के सम्बन्ध में हमारी सरकार बिल्कुल असफल रही है। देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और मनोबल गिर गया है। यह लोकतन्त्रता की परीक्षा थी। इसमें सरकार असफल रही है। यह पश्चिम बंगाल, हरियाना और पंजाब का सवाल ही नहीं है धीरे-धीरे अन्य राज्य भी ले लिये जायंगे।

उन्होंने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करना और मनोनीत नौकरशाहों को वरीयता देना आरम्भ कर दिया है। नौ राज्यों में असफल रहने वाली कांग्रेस सरकार यदि किसी प्रकारसे केन्द्र में विजयी हो गई परन्तु उन्होंने इससे सबक नहीं सीखा है। उन्हें विरोधी दल बन कर लोगों को यह बता देना चाहिये था कि 20 वर्ष सत्ता में रहने वाला दल किस प्रकार से उत्तरदायी विरोधी दल के रूप में काम कर रहा है परन्तु वे जिस किसी राज्य में सरकार नहीं बना सके, सरकार बनाने के लिये चिन्तित रहे। उन्होंने छः महीने तक प्रतीक्षा की। उन्होंने छः महीने तक इसलिये प्रतीक्षा की क्योंकि उनका विचार था कि इस अवधि के दौरान यह मंत्रिमंडल आपसी झगड़ों के कारण समाप्त हो जायेगा परन्तु जब उनका विचार गलत सिद्ध हुआ तो उन्होंने सरकार को गिराना आरम्भ किया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि मध्यावधि चुनाव किये जायें तो जनता इस सरकार को कभी मत देने वाली नहीं है। केन्द्र में कभी सरकार नहीं बन सकती। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में जो कार्यवाही की गई है क्या वह उचित है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यदि राज्यपालों को चुनीदा सरकारों को बर्खास्त करने की असंवैधानिक और गैर-कानूनी तौर पर अनुमति दी गई तो यह अच्छी बात नहीं होगी। भारत प्रशासन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार की सुविधा के अनुसार काम करने के उद्देश्य से ही नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को वहाँ पर किसी विशेष प्रयोजन के लिये भेजा गया था यदि उसने उचित कार्यवाही की होती तब जनता यह समझती कि उसे देश के लिये प्यार है। उसने 21 अक्तूबर को यह महसूस किया कि बंगाल में बहुमत वाली सरकार होनी चाहिये परन्तु उसने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? उसने क्या कार्यवाही की जब हस्तक्षेप किया गया?

मुझे पश्चिम बंगाल की सरकार के विरुद्ध बहुत शिकायतें हैं परन्तु फिर भी यह बात स्पष्ट है कि लोगों को उस सरकार पर विश्वास था। हालांकि कलकत्ता में 5 रुपये किलो चावल बिक रहा था परन्तु लोगों ने फिर भी उस सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई क्योंकि वह इस पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस पुनः शक्ति ग्रहण करे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्यपाल को मंत्रि-परिषद भंग करने की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है। श्री मोरारजी देसाई खण्ड 164(1) का उल्लेख कर रहे थे परन्तु वह खण्ड 164 (2) को भूल गये जिसमें यह लिखा है कि मंत्रि-परिषद मंत्रिमंडल के लिये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संविधान में राज्यपाल को स्वविवेक से काम करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। जहाँ तक सामूहिक उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है इस बात का निर्णय कि विधान सभा में मंत्रि-परिषद को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं, तभी किया जा सकता था यदि विधान सभा बुलाई जाती। विधान सभा को ऐसा अवसर ही प्रदान नहीं किया गया था। आज वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पर गोली चल रही है। आगजनी की धटनायें हो रही है और लाखों रुपये की सार्वजनिक धनराशि का नुक्सान हो रहा है।

यदि राज्यपाल धारा 356के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करना चाहता तो उसे केवल राष्ट्रपति को बताना ही था तथा राष्ट्रपति को कार्यवाही करनी थी। यदि वह इस स्थिति को गम्भीरता से देखते तो वह कभी यह न करते। हमें पता है कि ये चीजें राजनैतिक प्रयोजन के लिये की जा रही थी।

अब मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूँ जो 2 अक्तूबर को बंगाल में हुई। 2 अक्तूबर को श्री अजय मुकर्जी त्यागपत्र देने वाले थे। परन्तु इस बीच क्या हुआ यह मुझे पता नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं जैसा कि श्री अजय मुकर्जी ने स्वीकार भी किया है कि वहाँ की काँग्रेस पार्टी ने कहा था कि वह एक और समिति बनायेंगे जिसके अध्यक्ष अतुल्य घोष नहीं होंगे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि श्री अतुल्य घोष और कामराज का अब भी काँग्रेस में बहुत प्रभाव है।

जब वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सके तो उन्होंने प्रयत्न किया कि काँग्रेस के समर्थन से श्री घोष मंत्रि-परिषद बनायें। ऐसी बात चल रही थी और अब जब उन्होंने श्री अतुल्य घोष को हटाने का उचित अवसर देखा है तो उन्होंने यह कार्यवाही की है। जो गैर-कानूनी है। वे सही अथवा गलत तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं।

अतः मैं यह आरोप लगाता हूँ कि ऐसा करने से सरकार ने संविधान का ठट्ठा उड़ाया है। जैसाकि श्री डाँगे और श्री राममूर्ति ने कहा है अब लोगों और काँग्रेस दल के बीच एक संघर्ष है क्योंकि वह लोगों के साथ नहीं है। संवैधानिक और प्रशासनिक उपायों की आड़ में आकर वे समूचे देश में सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा करना गैर-कानूनी है।

इसलिये यदि काँग्रेस दल चाहता है कि देश में लोक तंत्रात्मक प्रगति हो तो उसे बिहार अथवा बंगाल या किसी भी राज्य में ऐसी सरकारों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

अन्त में, मैं आर्थिक नीति की असफलता का उल्लेख करना चाहूँगा । हमारी योजनायें बुरी तरह असफल हुई हैं । यही कारण है कि देश में मन्दी बेरोजगारी और मूल्यों में वृद्धि हुई है । इसके बावजूद औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में भी कमी हुई है । 1962 और 1965 में औसतन विकास 8 प्रतिशत था परन्तु यह 1965-66 में कम होकर 5.5 प्रतिशत हो गया और 1967-68 में और भी कम होकर अर्थात् 2.8 प्रतिशत रह गया है । 1967-68 के प्रथम छः महीने में स्थिति स्थिर हैं ।

कृषि उत्पादन में कमी के कारण सूती कपड़ा उद्योग और अन्य उद्योगों में कम उत्पादन हुआ है । यदि सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध करने, उर्वरक सप्लाई पाने आदि की कोई योजना हो तो कुछ ही समय में यह देश आत्म-निर्भर हो सकता है । परन्तु ऐसी कोई योजना नहीं है ।

अवमूल्यन के पश्चात् जून 1966 में निर्यात 1965 की तुलना में 6 प्रतिशत कम हुआ था । परम्परागत वस्तुओं अर्थात् चाय आदि में भी हमें प्रतियोगिता का सामना है । अब न केवल इंगलैंड ने पौंड का अवमूल्यन कर दिया है बल्कि श्रीलंका ने भी जोकि चाय के निर्यात में हमारा प्रतिस्पर्धी है, रुपये का मूल्य 20 प्रतिशत कम कर दिया है अतः इस प्रकार हमारे रुपये का मूल्य अन्तराष्ट्रीय बाजार में कम हो गया है ।

अतः यह सरकार राजनैतिक तथा आर्थिक सभी मोर्चों पर असफल रही है और उसके बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है । मैं महसूस करता हूँ कि यदि केन्द्र में यह सरकार बनी रहती है तो लोगों को और दुख उठाने पड़ेंगे ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर): मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वतंत्र संसदीय ग्रुप का कोई नेता नहीं है । हम प्रत्येक दो महीने के पश्चात् एक स्टीयरिंग समिति का चुनाव करते हैं । इसलिये मेरे ग्रुप के कुछ अन्य सदस्य भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे ।

मैंने पहले कभी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया परन्तु राजस्थान में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि मुझे भी इसका समर्थन करना चाहिये ।

इस समय देश के समक्ष समस्या यह है कि राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों को हटाने संबंधी कांग्रेस सरकार की नीति ठीक है अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि स्वतंत्र संसदीय ग्रुप किसी भी राज्य में चाहे वहाँ कांग्रेस का शासन हो अथवा विरोधी दलों का, गड़बड़ी को पसंद नहीं करता । अतः मेरे ग्रुप का दृष्किोण रचनात्मक होगा । अब समय आ गया है कि सब विरोधी दलों को मिलाकर कांग्रेस की तानाशाही को समाप्त करना चाहिये । मैं यह भी चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार ऐसी परम्परायें समाप्त न करें जो कि आने वाली सरकारें इन्हीं के विरुद्ध प्रयोग कर सकें ।

हम निदलीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि राज्यों में मंत्रिमण्डलों को हटाने आदि में जो समय नष्ट किया जा रहा है यदि सभी दलों को मिलाकर केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बनाई जाये तो यह देश के लिये अधिक अच्छा होगा और देश का विकास भी तेजी से हो सकेगा । मुझे विश्वास है कि विरोधी दलों में कुछ बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जिनका प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सरकार

के मंत्रिमंडल में लाभ उठाया जा सकता है। हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि यदि हमसे कोई केन्द्र में सरकार बनाने का इच्छुक हैं तो हमें सामूहिक रूप से कार्यवाही करनी चाहिये। हमें काँग्रेस को दिखाना चाहिए कि इस मामले में हम सब एक हैं।

पश्चिम बंगाल में जिस समय काँग्रेस के समर्थन से डा० घोष सत्तारूढ़ हुए उसी समय वहाँ पर गोली चली। यह बड़े शर्म की बात है।

राजस्थान में जो कुछ हुआ उसका कोई भी पक्ष नहीं ले सकता। 93 सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु उनको सरकार बनाने को नहीं कहा गया। राजस्थान में इस समय जनता की सरकार नहीं है। यदि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव कराये जायें तो यह बात सिद्ध हो जायेगी।

दल-बदल का काम भी सर्वप्रथम राजस्थान में ही आरम्भ हुआ था। यह प्रथा इस स्थिति में पहुंच गई है कि पार्लियामेंट को किसी न किसी समय दल-बदल को रोकने के लिये कानून बनाना पड़ेगा। हमारे देश के लोगों का विधायकों में विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए चाहे काँग्रेस हो चाहे विरोधी दल सबको महसूस करना चाहिये कि इस प्रकार लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। अतः प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी से अपील करूँगा कि अब समय आ गया है जबकि केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिये और वह इस ओर ध्यान दे ताकि हम आगामी पांच वर्षों में चीन, पाकिस्तान, भूख और बेरोजगारी का अच्छी तरह सामना कर सकें। इन सब समस्याओं को एक दूसरे पर पत्थर फेंकने के बजाय सामूहिक रूप से अच्छी प्रकार हल किया जा सकता है।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

यह कहा गया है कि कांग्रेस ने लोक-तंत्र की हत्या की है। यदि ऐसा होता तो हम में से बहुत से लोग इस दल का समर्थन नहीं करते।

जहाँ तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है मैं यह चाहता था कि वहाँ की गैर-कांग्रेसी सरकार को सफलता प्राप्त हो और वह अच्छा स्टैंडर्ड स्थापित करें। परन्तु वहां हुआ यह कि वहाँ के मंत्रिमण्डल में सामूहिक रूप से जो भी निर्णय किये जाते वे बाहर प्लेटफार्म पर विवाद का विषय बन जाते। संयुक्त मोर्चे की एक पार्टी दूसरो पार्टी पर आक्षेप करती। सर्वप्रथम एक वरिष्ठ सदस्य डा० घोष पर ही आक्षेप किया गया। अभी अभी हमने सुना कि संयुक्त मोर्चे के कुछ समर्थक श्री हुमायूँ कबीर को गद्दार कह रहे हैं। सभा में सभी को समान अधिकार है और सभी को बोलने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार बनने के आठ महीने के भीतर ही सभी दलों ने एक दूसरे पर आक्षेप करना आरम्भ कर दिया था।

लोगों को यह वचन दिया गया था कि चावल एक रुपये प्रति सेर से भी कम मूल्य पर दिया जायगा। परन्तु हमने देखा कि इसका मूल्य चार रुपये प्रति सेर हो गया और राशन व्यवस्था एक धोखा बनकर रह गई है। हमने देखा कि डा० वी० सी० घोष और पी० सी०

सेन के समय में कम से कम राशन व्यवस्था ठीक ढंग से कार्य करती थी। जहाँ तक चावल की वसूली का सम्बन्ध है संयुक्त मोर्चा सरकार एक लाख टन चावल भी वसूल नहीं कर सकी। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव के समय इश्तहार बाँटे गये थे कि पश्चिम बंगाल में चावल की कोई कमी नहीं है और यदि विरोधी पक्ष सत्तारूढ़ हुआ तो चावल एक रुपया प्रति सेर से भी कम दाम पर बेचा जायेगा। परन्तु विरोधी पक्ष की सरकार बनने के एक मास के भीतर ही बताया गया कि चावल की भीषण कमी है और यह सारा दोष केन्द्रीय सरकार का है जो चावल सप्लाई नहीं कर रही।

इसके अतिरिक्त एक के बाद दूसरे सभी कारखानों पर घेराव शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप उत्पादन शून्य हो गया। घेराव के दौरन एक लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गये।

आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि रिजर्व बैंक को भी इस सरकार के दिवालियेपन के बारे में नोटिस देना पड़ा। यही नहीं सरकार को अध्यादेश जारी करके 6 करोड़ रुपये के कर लगाने पड़े। वे यह भूल गये कि उन्हें एक जिम्मेदार सरकार की तरह काम करना है।

पश्चिम बंगाल में विधि व्यवस्था पूर्णतया भंग हो गई थी। खुले आम सरकार के सदस्य हिंसा को और हड़तालों को प्रोत्साहन दे रहे थे। बेलगरिया में बहुत से लोगों को साम्यवादियों की ज्यादतियों से तंग आकर अपने घर छोड़ने पड़े।

बंगाल में उनके दल के अध्यक्ष डा० विमल घोष, जो एक पुराने क्रान्तिकारी भी हैं, के लिये हमारे हृदय में बहुत सम्मान है। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि आसनसोल में उनके बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। वहां यह स्थिति है कि जो भी कोई राजनीतिक दल किसी विशेष राजनीतिक दल की आलोचना करता है उस पर हमला किया जाता और उसके विरुद्ध हिंसक कार्यवाही की जाती है। कुछ देर के लिये हम यह कल्पना करलें कि सभा का सत्र इस महीने की 29 तारीख को होता और इसमें उनकी पराजय हो जाती तो हम इस अपील को कल्पना कर सकते थे।

राज्यपाल ने 29 तारीख को सभा का सत्र बुलाया था कि दल इसमें अपनी शक्ति का परीक्षण करते। उनको यह भय है कि सभा में उनका बहुमत नहीं होगा अतः कलकत्ते के मैदानों, रेलवे स्टेशन तथा गलियों में हिंसक कार्यवाही कर इसका निर्णय करें। हिंसक कार्यवाही का मुकाबला पूरी शक्ति से किया जायेगा।

यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य लोकतंत्र के नाम पर स्वाँग भरना है तो यहाँ और बाहर इस सिद्धान्त को समझने में लोगों को अधिक समय नहीं लगेगा। हमें सभा में एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलना चाहिये। पांच वर्ष में एक बार हम निर्वाचन क्षेत्र में मिलते हैं। जिन लोगों को जनता नहीं चाहती वह निर्वाचित नहीं होते और जिनको चाहती है वह चुने जाते हैं। हमारा लोक तन्त्र एक दलीय लोकतंत्र नहीं है। हमारे देश में बहुत से दल हैं अतः जब हम लोकतंत्र का उल्लेख करते हैं तो हम बहुत से दलों द्वारा स्वतन्त्रता और निष्कपटता से निर्वाचन लड़ने के अधिकार को स्वीकार करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इन्हें मध्यावधि चुनाव के लिये तैयार रहना चाहिये।

श्री अ० कु० सेन : मैं मध्यावधि चुनाव से नहीं डरता। चाहे मैं जीतूं या हारूं। यहां पर कोई न कोई आयेगा। जो भी आयेगा वह सभा के सदस्यों की इच्छानुसार ही इस विशेष राज्य के भाग्य का निर्णय करेगा गलियों में हिंसात्मक कार्यवाही करके नहीं।

जो भीड़ को उत्तेजित करने में विश्वास रखते हैं मैं उनको यह बतला दूं कि एक दिन वह भीड़ उनके विरुद्ध हो जायेगी क्योंकि भीड़ बफादार नहीं होती। यदि कानून-व्यवस्था भंग हो जाती है तो भीड़ न केवल हमको बल्कि सबको अपना शिकार बना लेगी। अतः किसी भी सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उत्तेजित भीड़ के विरुद्ध कार्यवाही करे। जब भीड़ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को घेराव करने की धमकी दी थी तो श्री एस० ए० डांगे ने कहा था कि उन्हें उच्च न्यायालय के घेराव का अधिकार है। हम इससे सहमत नहीं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने देश के लिये बहुत ही उपयोगी श्रम कानून बनाये हैं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : संसद् ने ये उपयोगी श्रम कानून हमें दिये हैं न्यायालयों ने तो इसमें कटौती की है।

श्री अ० कु० सेन : जब भीड़ ने उच्च न्यायालय को धमकी देने का प्रयास किया तो उच्च न्यायालय का यह उत्तर था कि यदि न्यायालय एक व्यक्ति द्वारा किये गये अत्याचार के विरुद्ध की गई कार्यवाही की भाँति भीड़ के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती तो वह जनता का विश्वास खो देगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरी सूची के अनुसार दो और दलों के सदस्यों को बोलना है। जब मैं बोल रहा हूं तो सदस्यों को अपने स्थान पर बैठे रहना चाहिये। सभा के प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यदि वे किसी एक दल में रहना नहीं चाहते तो वे मुझे आज या कल लिख सकते हैं। मैं उनको दल के रूप में मान्यता नहीं दूंगा।

श्री हुमायूं कबीर : मैंने पहले ही दल की अध्यक्षता से त्याग-पत्र देने का निर्णय कर लिया है।

इस सम्बन्ध में मैं आपको आज सुबह बता चुका हूं। अतः यदि आप मुझे बिना दल के सदस्य के रूप में बोलने की अनुमति देंगे तो आभारी हूंगा। दल की ओर से आप श्री चटर्जी या श्री विश्वनाथम को बोलने के लिये कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। श्री कबीर के बोलने के पश्चात् श्री चटर्जी को भी बोलने दिया जायेगा। यदि सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो लोकतन्त्र का अन्त हो जायेगा। यदि सभा में बोलने की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती तो मैं अध्यक्ष नहीं रह सकता।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मुझे बोलने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सभा के सदस्य को बोलने का अवसर न देना उचित नहीं होगा। यदि

आप किसी सदस्य को बोलने नहीं देते तो हम सभा को स्थगित करते हैं। आप के दल के नेता बोल चुके हैं और उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक सुना गया।

श्री नाथ पाई (राजापुर): मेरा एक निवेदन है कि जो भी दल में हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए श्री नी० श्रीकान्तन नायर को बाद में बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही होने देंगे अथवा नहीं ? प्रत्येक दल में मत-भेद हैं। यदि सभा में ही बोलने की स्वतन्त्रता नहीं होगी तो सार्वजनिक स्थानों पर कैसे होगी ?

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण): मेरा यह निवेदन है कि उन्हें विपक्षी दल का समय न देकर कांग्रेस का समय दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ।

श्री हुमायूं कबीर : पश्चिमी बंगाल कांग्रेस ने एक सरकारी प्रस्ताव पास कर पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस दल की पराजय के लिये मुझे उत्तरदायी ठहराया है।

मेरा उद्देश्य कांग्रेस को हटाना है। जब निर्वाचन से पहले किसी ने भी यह घोषणा करने की हिम्मत नहीं की कि कांग्रेस दल की निर्वाचन में पराजय होगी और वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकेगा, उस समय मैंने यह अभियान चलाया और वे इससे इन्कार नहीं कर सके। निर्वाचन के पश्चात भी मेरे प्रयत्न के ही परिणामस्वरूप युनाइटेड फ्रन्ट का गठन हुआ।

1 मार्च को कलकत्ते में हुई बहुत बड़ी सभा में मैंने सरकार को मुबारिक बाद दी और उसके साथ ही चेतावनी भी दी।

पहली मार्च के जलसे में मैंने कहा कि हमने कांग्रेसी सरकार से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न किया है और यह नयी सरकार की परीक्षा है, और यदि यह नई सरकार भी विफल रही तो यह जारी नहीं रहेगी।

चुनावों में हमने वायदे किये थे कि भ्रष्टाचार को मिटाया जायेगा, खाद्यान्न की सप्लाई बढ़ाई जायेगी और रोजगार बढ़ाया जायेगा। 1 अक्तूबर तक मैं सरकार का भागीदार था और मैंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि यह सरकार फले फूले। परन्तु यह सरकार बार-बार विफल रही।

संयुक्त मोर्चे की सरकार बनते समय मैंने आग्रह किया था कि अनुसूचित जाति का एक मंत्री होगा। परन्तु श्री अजय मुकर्जी ने कहा कि वामपन्थी साम्यवादी दल के विरोध के कारण अनुसूचित जाति का मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि यदि अनुसूचित जाति का मंत्री नियुक्त किया गया तो सरकार टूट जायेगी।

सरकार की पहली असफलता घेराव के बारे में थी। घेराव के प्रश्न पर सरकार कार्यवाही करने को तैयार न थी। श्री अजय मुकर्जी ने स्वयं इस बात को माना है कि घेराव के कारण 1.25 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं और 350 करोड़ रु० की नई पूँजी बंगाल में नहीं लगाई गई।

जब 1 अक्तूबर को स्वयं श्री अजय मुकर्जी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने कुछ साथियों को देश के हितों के विरुद्ध षड़यन्त्र रचते हुये पाया है, तो सरकार में मेरी सारी आशा टूट गई। उन्होंने कहा कि वह केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य सरकारों के पास विशेष पुलिस और सेना प्राप्त करने के लिये गये और पहली अक्तूबर को कलकता में सेना भेजी गई। यह एक सर्व-विदित तथ्य है। 2 अक्तूबर को उन्होंने अपनी बात पलट दी। फिर 5 अक्तूबर को मैंने पहली बार इस सरकार को गिराने के प्रश्न पर कांग्रेस से बातचीत की। मैंने ऐसा खुले तौर पर किया।

19 अक्तूबर को मैंने श्री अजय मुकर्जी को बताया कि आपने ये सारे कदम अपने साथियों के विरुद्ध बिना कोई साक्ष्य होते हुए उठाए हैं, इसलिए आप अपने साथियों के प्रति गद्दारी के दोषी हैं; यदि आपने अपने आपको संतुष्ट करके कि देश की सुरक्षा खतरे में है, यह कदम उठाए हैं और आप फिर अपने साथियों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं तो आप देशद्रोही हैं। सारी बातों पर विचार करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि इस सरकार का जारी रहना लोकतन्त्र और शांति के लिये खतरा है और इसलिये उस दिन से मैंने इसके विरुद्ध काम किया है।

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : मेरा निश्चित रूप से यह मत है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने संविधान का उल्लंघन किया है। संविधान सभा में मतदान हुए बिना उन्हें मंत्रि-परिषद को बरखास्त करने का कोई हक नहीं था।

मैं श्री चह्वाण को यह बता देना चाहता हूँ कि यह कहना सर्वथा गलत है कि राज्य को मंत्रिमण्डल को बरखास्त करने का विवेक है अर्थात् वह जब यह समझें कि शासक दल का बहुमत नहीं रहा है तो वह उसको बरखास्त कर सकते हैं। उनको ऐसी कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। संविधान बिल्कुल स्पष्ट है और प्रत्येक राज्यपाल को इसे स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 164 (2) में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर राज्य के विधान मण्डल के प्रति जिम्मेदार होगा। विधान सभा में सरकार को बहुसंख्यक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है या नहीं इसका फैसला केवल विधान सभा द्वारा ही किया जा सकता है न कि राज्य-पाल द्वारा।

संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 9 और 18 में स्पष्ट उपबन्ध है कि आसाम के आदिम जाति के लोगों के विषय में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संवि-धान में वैसे ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि जिसके अनुसार राज्यपाल को अधिकार हो कि वह मुख्य मंत्री के बारे में निर्णय दे दें कि मुख्य मंत्री के पीछे बहुमत नहीं है पश्चिमी बंगाल को विधान सभा का सत्र 29 नवम्बर के स्थान पर 18 दिसम्बर को बुलाने से कोई विशेष अन्तर नहीं होना था। राज्यपाल द्वारा मुख्य मंत्री को किसी बात पर बाध्य करना सर्वथा अनुचित है। संविधान में यह उपबन्ध है कि दो सत्रों के बीच की अवधि छः महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

देश के बड़े-बड़े विधिवेत्ताओं की राय भी यही है कि राज्यपाल किसी राज्य के मुख्य मंत्री

की मंत्रणा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। इंगलैंड में राजा या रानी वहाँ की संसद के सत्र आरंभ होने की तिथि का निर्णय नहीं करते।

मेरे विचार में तो पश्चिमी बंगाल में संविधान के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। और इसमें केन्द्रीय सरकार भी दोषी है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 24 नवम्बर, 1967/3 अग्रहायण 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, November 24, 1967 Agrahayana 3, 1889 (Saka)

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad.